

ISSN 0974-7265

# INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

AN INTERNATIONAL  
REFEREED/PEER REVIEWED JOURNAL

Website : [www.ijosss.com](http://www.ijosss.com)

Volume 29, August 2020

**flash**

*Editor in Chief*

***Dr. Rishikesh Singh***

# **INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES**

**(AN INTERNATIONAL REFEREED / PEER REVIEWED JOURNAL)**

**[www.ijosss.com](http://www.ijosss.com)**

**Volume 29, August 2020**

**Editor in Chief**

**Dr. Rishikesh Singh**

**Published by**

**Flash Publication**

**Gonda / Varanasi**

**For**

**INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES**

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies”.

## **Volume 29, August 2020**

Biannual

**International Standard Serial Number: 0974-7265**

**Website – [www.ijosss.com](http://www.ijosss.com)**

**Prints -1000 Copies.**

**Not for sale.** Only for academic use .

**Edited by:** Dr. Rishikesh Singh, Director, “ Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.” Mob. 09415458974

**DTP By :** Gopi Nath, Mob. 9005856561.  
**Published By :** Flash Publication  
Basant Bihar, Janaki Nagar Colony,  
Baharaich Road, Gonda-271003  
Uttar Pradesh, India  
Mob.: 09415458974

# Editorial


I feel a deep sense of pleasure in presenting the 29<sup>th</sup> volume of “Indian Journal of Social Sciences and Societies” before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U.P.) for “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” a research institute. The purpose of the Laboratory is “latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal”. This journal is an attempt in achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Inter-disciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Inter-disciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.



(Dr. Rishikesh Singh)

**Date: 29 August, 2020.**

## अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शोध पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
01.	Infected And Inflicted : An Impact Of Covid 19 On The Socio- Economic Fabric of Indian Economy	Pushyamitra Mishra Dr. Jitendrabahadur Pal	01-14
02.	Mahatma Gandhi and Khadi : An analytical study	Dr. Rishikesh singh	15-23
03.	Crucial Factors In Inter-State Relations In South Asia	Dr. Gunjan Tripathi	23-27
04.	The Grammar of Communal Politics During The National Movement Of India (From 1757 To 1911)	Dr. Laxmi Kant Tripathi	28-35
05.	Indian Federalism and Regional Parties In Coalition Era (During The Period Of 1967-2005)	Dr. Archana Singh	36-39
06.	स्कन्दपुराण में वर्णित उज्जयिनी माहात्म्य	डॉ० महिमा द्विवेदी	40-44
07.	अयोध्या जनपद में कृषि विकास में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका तथा रणनीति का एक अध्ययन	डॉ० श्याम बहादुर सिंह	45-54
08.	दलित अवधारणा, डॉ० आम्बेडकर एवं आरक्षण : एक अन्वेषणात्मक विमर्श	डॉ० मंशाराम वर्मा	55-62
09.	महाकवि कालिदास के नाटकों पर आगमशास्त्र का प्रभाव	डॉ० आशा गुप्ता	63-66
10.	पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका	डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा	67-69
11.	भारत में नारी की बदलती हुई वैश्विक स्थिति, गाँधीवादी दर्शन के विशेष परिप्रेक्ष्य में	डॉ० सीमा सिंह	70-76
12.	भारतीय चुनावों में उभरती नवीन प्रवृत्तियाँ	डॉ दयाशंकर सिंह यादव	77-80
13.	ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन रोकने के उपाय	अशीष कुमार सिंह	81-84
14.	सोशल मीडिया और परिवर्तित होता भारतीय समाज	डॉ० श्रीमती शशि बाला	85-90
15.	ग्रामीण किसान की चुनौतियाँ एवं उसका समाधान	प्रतिभा सिंह	91-93
16.	वेदकालीन चिकित्सा ज्ञान : एक अध्ययन	डॉ० नीतू सिंह	94-98
17.	नगरीय परिवारों के बदलते हुए प्रतिमान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० राम समुझ सिंह	99-103



# INFECTED AND INFLICTED : AN IMPACT OF COVID 19 ON THE SOCIO- EC NOMIC FABRIC OF INDIAN ECONOMY

**Pushyamitra Mishra\***  
**Dr. JitendraBahadur Pal\*\***

**ABSTRACT-** As COVID-19 spreads around the globe, it has become clear that it has the potential to derail the Indian economy. The virus may in fact be as contagious socially and economically as it is medically. It is clear that this socio-economic shock could cause lingering pain and perhaps leave deep scars far bigger than the other post-socio economic tragedies. If the lockdown continues past a month, the blow is likely to be even more rigorous on the working people and on the economy as a whole. Opportunities to push the cloak of technology adoption will be accelerated by hasty learning about what it takes to drive efficiency when labour is unavailable. To make the sense of balance for both social and economic sustainability, the religious angles of COVID 19 must be condemned by top leaders both political as well as social. Debates in media must be regularly shown to steer clear of misapprehensions. Its Social Distancing not distancing from your old well-wishers on religious opinion. We do know we are before an enemy that is inadequately understood, potentially adaptive, and have by now attacked most of the humans.

**KEYWORD:** COVID-19, shock, lockdown, socio-economic, GDP

**JEL CODES:** A13, A14, H12, N5, Z13

---

## INTRODUCTION

The impact of the COVID-19 pandemic on the economy and healthcare structures will be in coming years later in countries which were affected. Effective outbreak responses and preparedness during emergencies of such magnitude are challenging across India and other middle Asian countries. And yet, a toxic combination of inaction and paralysis remains, stymieing choices that must be made: lockdown or not; isolation or quarantine; shut down the

**\*Assistant Professor, Department of Chemistry, Shri Lal Bahadur Shastri Degree College Gonda, U. P.**

**\*\*Associate Professor, Department of Economics, Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, U. P.**


factory now or wait for an order from above. Government need to determine the scale, pace and depth of action required at the state and business levels. The pandemic has metastasized into a burgeoning crisis for the socio economic system. Well-judged outcome by Union Health Minister to believe social distancing and lockdown are the potent social vaccines against Covid-19, for which there is no other vaccine, medicine or therapy available at present. The government common refrain is that it is not easy to lift the lockdown. We need to be strict in implementing social distancing norms. So be it lifting or extending the lockdown, the general mood of all humans is that it will not be possible to lift the lockdown. In this unprecedented new reality, we will witness a dramatic restructuring of the economic and social order in which business and society have traditionally operated. COVID-19 is spreading human suffering; that is what we should all be focused on. But we are not doctors. We are humans and COVID-19 is most definitely spreading socio-economic suffering nationwide. The virus may in fact be as contagious socially and economically as it is medically. As COVID-19 spreads around the globe, it has become clear that it has the potential to derail the Indian economy. But the bottom line is that while there is too much uncertainty to be certain about outcomes, it is clear that this socio-economic shock could cause lingering pain and perhaps leave deep scars far larger than the other post-socio economic tragedies.

Just few weeks ago, the Indian economy seemed well on the way to a nice recovery; trade and political tensions were seen as “not so bad”, development projections were glowing, and monetary markets were optimistic. Now all bets are off. The situation thus emphasizes the rush of solving now for the virus and the socio-economy, and thereby precedes our focus here on imagining the opportunity, post-pandemic. Here in this article we would like to analysis what is the next normal for Indians in terms of sociology and economics. As India moves from policy and controls to an entire lockdown, the shock of the Covid-19 pandemic on the economy is becoming ever more severe. The Indian economy, which was previously facing a jagged decline by the end of 2019, will surely witness an extraordinarily poor growth rate for the months of March, April, and May 2020. If the lockdown continues past a month, the impact is likely to be even more rigorous on the working people and on the economy as a whole. **It is now clear that COVID-19** has presented the global economy with an unprecedented challenge. The data is well reflected by the United States and Europe, where efforts to control the virus through lockdowns are likely to lead to the largest decline in economic activity since the Great Depression in the US

and Europe. The real global GDP may decline by 4.9 percent to 6.2 percent from the fourth quarter of 2019 to the second quarter of 2020 (Kevin Buehler et. al. 2020). The option left with us- “Isolation”- *its painful but most effective.*

### THE IMPACT OF COVID-19 ON GDP OF INDIA

The Gross Domestic Product (GDP) in India was worth 2800 billion US dollars in 2019, according to official data from the World Bank and projections from Trading Economics. The GDP value of India represents 2.31 percent of the world economy. Rosy projections were made for the coming financial years. GDP in India is expected to reach 2950.00 USD Billion by the end of 2020. In the long-term, the India GDP is projected to trend around 3100.00 USD Billion in 2021 and 3200.00 USD Billion in 2022. Does it seem to be that much easy in this current COVID 19 trap? *For some organizations, near-term survival is the only agenda item. Others are peering through the fog of uncertainty, thinking about how to position themselves once the crisis has passed and things return to normal.* According to Arun Singh, Chief Economist Dun & Bradstreet India the 21-day lockdown in India, GDP growth is expected to moderate further from their earlier estimation of 5 % for FY20 and growth for FY21 remained highly uncertain. According to the World Bank’s latest report under a worst picture, East Asian economies would decrease by 0.5 %, China’s anticipated growth would slow to 0.1 %, and 11 million people across the region would be forced to live under poverty (World Bank Dec 20. 2019). It’s important to remember that this, above all, is a humanitarian challenge. According to 2019 World Bank data (World Bank, March 30, 2020) Asia is home to 60 % of the world’s population and to around 35 % of the world’s poorest people, Pandemics hit the most vulnerable hardest. Asia’s emerging areas, particularly India and its neighbours, face unprecedented risks.






**Figure 1:** The GDP of India

*According to Statistics in a data released on Feb 8, 2019 the Sector-wise contribution of GDP of India*

1. Primary Sectors 18.57 %
2. Secondary Sectors 27.03 %
3. Tertiary Sectors 54.40 %.

### Primary Sectors

India is an agrarian country where the agriculture sector is considered as the backbone of its economy. Agriculture, including crop and Animal Husbandry, fisheries, forestry and agro processing constitutes the very basis of socio economic lives of India. GDP from Agriculture in India increased to 6091.05 INR Billion in the fourth quarter of 2019 from 3664.29 INR Billion in the third quarter of 2019. What will the next prediction after this unpredicted lockdown? The virus has a huge negative impact on agricultural products imported into India. It decreased the imports and where the raw material exports have fallen by 1.6%.



**Figure 2.** The contribution of Agriculture in GDP of India


In these present circumstances the worst effected agricultural sector along with fishing and mining since it mainly depends on a mass of workers working out in field. Addressing *Mahindra Samriddhi Agriawards*, Niti-Aayog CEO *Amitabh Kant* focused on bringing revolution in the agriculture sector in India, if GDP has to grow at 9-10% for the next 30 years since 50% of population is dependent on agriculture. Yes dear CEO! *Farmers*, the root of agricultural

industries were trying but what the faith has left for them. Farmers are unable to transport premium produce to markets. The sudden drop in demand is hurting millions of farmer. What will be effective demand and the size of the market for the produce of the primary sector in the current scenario of even district borders being sealed, for inter city migrations. Many farmers were cultivating on large scale for export. All dreams must be shattered. An order was issued on march 27, 2020 by home secretary *Ajay Bhalla*, exempting farm workers in the fields and farming operations by farmers, agencies engaged in procurement of agriculture products including *MSPs*, *mandis* notified by the state governments, inter and intra-state movement of harvesting and sowing related machines and manufacturing, packaging units of fertilizers, pesticides and seeds, among others (R. Tripathi 2020) Does that is the maximum a government can do for these poor farmers? One more alarming situation is pepping out the Mangoes, out of the total production of mangoes in India, nearly 40 per cent is sent to foreign countries. If we believe *Sanjay Pansare*, a trader and director of the fruit market at APMC the Mangoes bring a lot of revenue from foreign countries and if something is not done, the prices of mangoes will crash and directly affect farmers and traders (S.Vaktania 2020) Same is the conditions of fisheries with several countries affected by the virus, export has turned sluggish. For our country, which shipped \$6.73 billion worth marine products in 2018-19, this year seafood exports could likely to miss its \$7-billion target, as the shock of COVID-19 has adversely impacted demand in many overseas destinations (V. S. Kumar 2020). Also, in the aftermath of Covid-19, transportation of raw materials has diminished by nearly a half due to non-availability of enough drivers to ply trucks and curbs imposed on inter-state freight movement. What has stuck out like a sore thumb is the dread among workers over Covid-19 scare. The severe shortage of labour, triggered by India's 21-day lockdown, will disrupt harvesting of winter crops in India, the world's second largest producer of staple food grains, such as wheat (R.Jadhav et. al. 2020). The northern bread basket states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh rely on farm labourers from eastern India but most of them returned home to their villages. "There is no-one at all for harvests." India has stockpiles of wheat, the country is forecasting a record wheat production of 106.21 million tonnes this year 2.61 million tonnes more last year's output (Bureau ET 2020).

#### Secondary Sectors


India's factory output growth stood at a 7 month high in the month of February. The Manufacturing Production in India is anticipated to be 2.50 % by the end of this quarter. Looking

forward, Manufacturing Production is expected to stand at 5.60 in a year time. If we talk about long-term projections, the India Manufacturing Production is projected to trend around 5.60 % in 2021.



**Figure 3:**The contribution of Manufacturing Production in GDP of India


According to the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI), The Indices of Industrial Production grew on-year, for the mining sector 10 %, manufacturing sector 3.2 %, and electricity sector 8.1 % for the month of February 2020. Positive growth was shown by 13 out of the 23 industry groups in the manufacturing sector in February 2020 as compared to the corresponding month of the previous year (S. Sharma 2020). Construction Output in India averaged 4.52 % from 2005 until 2020, reaching an all time high of 11.66 % in January of 2010 and a record low of -5.80 % in October of 2019 (MOCI 2020).



**Figure 4.**The contribution of construction in GDP of India

### Tertiary Sectors


GDP from Public Administration in India averaged 3342.07 INR Billion from 2011 until 2019, reaching an all time high of 4749.47 INR Billion in the fourth quarter of 2019.<sup>a</sup> Actual potential impact of lockdown on the Indian economy is yet to be known, but services sectors are already feeling the pain. Airlines have to navigate a lot of turbulence; several international flights are cancelled by private carriers. With several companies restricting all but essential travel, business hotels in major cities could be left with a lot of empty rooms (*G Seetharaman2020*). The overall business and summer holiday bookings are likely to be impacted by 25 % on a year-on-year basis. The larger tourism industry in India contributes to about 10 % of the GDP. The cascading effect of the COVID 19 pandemic will cost the Indian hospitality industry losses to the tune of Rs. 620 crore (*F. Gandhi 2020*) 35% of apparel export orders come from Europe(*G Seetharaman2020*). What is accentuating the apparel industry's problems is the decline in footfalls at stores.



**Figure 5.**The contribution of tertiary sectors in GDP of India

## Unemployment

In an urge to know when life will return to normal ‘the facts on the ground’ can’t be avoided. With the unemployment rate of 7.8 % in February 2020, the highest since last October, what can we imagine the future. In rural areas, the rate increased to 7.4 % from 6.0 percent in January, while in urban areas, it fell to 8.7 % from 9.7%.<sup>a</sup> Since the nationwide lockdown, the unemployment rate has almost doubled on a monthly average basis (F. Moharkan et. al. 2020).



**Figure 6.**The unemployment rate in of India



### Another Face of the Coin: Positive Socio Economic Impact

In a McKinsey survey of 2,500 Chinese consumers it is indicated that there is a gradual regaining of confidence, which should increase consumer's spending behaviour (Johnny Ho et. al. 2020). In Australia, one of the leading supermarket store "Woolworths" is working with Qantas and providing 20,000 new jobs for retail hospitality workers and jobless airline employees (Sharon Masige 2020). Woolworths with its biggest rivals, "Coles and Aldi" is coordinating its supply-chain efforts, to ensure a reasonable delivery of fresh food and other groceries and domestic prerequisites to Australian consumers (foodmag.com.au. 2020). DBS a leading consumer bank, in Singapore, offered complimentary insurance coverage and home-loan-payment relief for employees in affected industries. At its peak, the free insurance policy for COVID-19 hospital evidences more than 52,000 sign-ups a day (J. Dahl 2020). The adoption of *Alibaba's DingTalk*, *WeChat Work*, and *Tencent Meeting* to connect physically distanced teams and friends, in China has accelerated exponentially. 20,000 cloud servers were added by *DingTalk* to support the load of increased traffic (Guannan Lu 2020). The online retailer "Coupang" from South Korea, recorded a high 3.3 million items shipping on January 28 and another online purveyor *ssg.com's* food-delivery sales rose by 98 percent (Young Bae 2020). Sales of the delivery business of China's *Meituan* soared by 400 percent during the shock. It has also released around \$142 billion USD 1 % of GDP, which according to the authorities, will be used to build public infrastructure and redeploying the labor affected by the demand damage that the restraint actions caused (Nick Leung et. al. 2020).

### CONCLUSIONS

In almost all countries, crisis-response efforts are in full motion, *but what will normal look like? 11 years ago*, amid the last global financial crisis, Ian Davis wrote "*While no one can say how long the crisis will last, what we find on the other side will not look like the normal of recent years*". They ring true today but if anything, understate the reality the world is currently facing (K. Sneader et. al. 2020). How exactly this crisis evolves is yet to be seen. Healthcare systems must be on a war foot to increase their capacity of beds, supplies, and trained workers. Efforts must be made to alleviate shortages of much-needed medical equipment. The repercussion of the pandemic will also provide an opening to learn from a plethora of social

innovations and experiments, ranging from working from home to large-scale surveillance. With this will come an indulgent of which innovations, if adopted eternally, might provide substantial uplift to socio economic interests and which would eventually inhibit the broader betterment of humanity. Opportunities to push the cloak of technology adoption will be accelerated by hasty learning about what it takes to drive efficiency when labour is unavailable. Educational institutions must necessitate believing modernizing to integrate classroom and distance learning. Special services such as online consultations with doctors and online video lessons for children should be promoted. Ministry of Education must deploy a national cloud-based classroom platform to support remote learning for millions of students simultaneously in case of such emergencies. A complex “through cycle” decisions is urgently required to make that sense of balance for both social and economic sustainability, which is under severe pressure from populism and other challenges that existed pre-coronavirus. Public-, private-, and social-sector leaders will need to join their hands for social cohesion. The religious angles of COVID 19 must condemn by top leaders both political as well as social. Debates in media must be regularly shown to steer clear of misapprehensions. Its *Social Distancing* not distancing from your old well-wishers on religious opinion. With that reality in mind, we offer these suggestions to help government and local leaders navigate the demanding set of choices required to safeguard lives and livelihoods in our socio economic communities.

### **Acknowledgement**

No funding has been received for this work. Authers would like to thanks Secretary Shri Umesh Sah and Principal Dr. Vandana Saraswat, LBS Degree College Gonda, for providing the opportunity to work in Research Center of our college during odd hours from where internet facility were accessed and books were consulted.

### **Additional Information:**

All the statistical data and graphs are taken from the following websites

- a. [www.tradingeconomis.com](http://www.tradingeconomis.com)
- b. [statisticstimes.com](http://statisticstimes.com) › economy › sectorwise-gdp-contribution-of-india
- c. [www.google.com](http://www.google.com)

## REFERENCES

- Coles and Woolworths collaborate to guarantee grocery supply, *Food and Beverage Industry News*, March 27, 2020, foodmag.com.au.
- East Asia and Pacific: Countries must act now to mitigate economic shock of COVID-19, World Bank, March 30, 2020, worldbank.org.
- Year in review: 2019 in 14 charts, World Bank, December 20, 2019, worldbank.org.
- Amitabh Kant: India needs farm revolution to attain 9-10% GDP growth, *The Economic Time*, March 19, 2019.
- Forum Gandhi, “Coronavirus impact: Hospitality industry to suffer losses up to Rs. 620 crore”; *The Hindu, BussinessLine*, March 29, 2020.
- FurquanMoharkan, Mahesh Kulkarni, According to the data available with the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) ; *Deccan Herald*, Bengaluru, April 12 2020.
- G Seetharaman, How different sectors of the economy are bearing the brunt of the coronavirus outbreak, *The Economic Time*, April 10, 2020.
- Guannan Lu, “Lessons from enterprise collaboration experiments in China in the wake of COVID-19,” Forrester Research, March 12, 2020, go.forrester.com
- India to export wheat to Afghanistan and Lebanon; Bureau, *The Economic Time*, April 10, 2020.
- Jacob Dahl, Vito Giudici, Sameer Kumar, Vishal Patwari, and Gabriele Vigo, “Lessons from Asian banks on their coronavirus response,” March 2020.
- Johnny Ho, Daniel Hui, Aimee Kim, and Yuanyuan Zhang, “Cautiously optimistic: Chinese consumer behavior post-COVID-19,” March 2020.
- Kevin Buehler, Ezra Greenberg, Arvind Govindarajan, Martin Hirt, Susan Lund, and Sven Smit, “Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time, March 2020.
- Kevin Sneader and ShubhamSinghal; Mckinsey and Company, ‘Beyond coronavirus: The path to the next normal’, 2020.
- MOCI [Office of the Economic Adviser to the Government of India](#).
- Nick Leung, Gordon Orr, and Jonathan Woetzel, “The state of the Chinese economy,” March 2020.
- Rahul Tripathi, Farm workers, agriculture companies exempted from lockdown: Home Ministry; *The Economic Time*, March 27, 2020.
- RajendraJadhav, Mayank Bhardwaj and Naveen Thakral, *Reuters*, April 1 2020. <https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/01/world/asia/01reuters-health-coronavirus-india-harvests.html>.
- Samrat Sharma, Factory output shoots up in February; manufacturing production growth doubles: *Financial Express*, April 9, 2020
- SaurabhVaktania, Coronavirus outbreak: Mango exports hit, farmers affected: *India Today, Business news*, Mumbai, March 13, 2020



Sharon Masige, “Woolworths is hiring 20,000 more workers, offering mostly casual, temporary positions to retail and airline staff who have lost their jobs,” *Business Insider Australia*, March 27, 2020, [businessinsider.com.au](https://www.businessinsider.com.au).

V Sajeer Kumar, India’s seafood exports unlikely to achieve target as coronavirus hits many overseas markets, *The Hindu*, Business Line, March 23, 2020.

Young Bae, “Covid-19 changes consumption patterns in Korea,” *Retail in Asia*, March 2020, [retailinasia.com](https://retailinasia.com).

**Note: The table for above figure is given in Appendix**

#### **Appendix 1**

**Figure 1: The GDP of India**

**Table 1**

<b>YEAR</b>	<b>GDP</b>
2010	1675.62
2011	1823.05
2012	1827.64
2013	1856.72
2014	2039.13
2015	2103.59
2016	2290.43
2017	2652.24
2018	2718.73
2019	2800
2020	2950

#### **Appendix 2**

**Figure 2. The contribution of Agriculture in GDP of India**

**Table 2**

<b>Months</b>	<b>INR Billion</b>
Jul-Sep 2017	4113.66
Oct-Dec 2017	3464.86
Jan-March 2018	5772.7
April-June 2018	4867.06
July-Sep 2018	4271.77
Oct-Dec 2018	3552.83
Jan-March 2019	5886.79

April-June 2019	4860.94
July-Sep 2019	4392.48
Oct-Dec 2019	3664.29
Jan-March 2020	6091.5

### Appendix 3

**Figure 3: The contribution of Manufacturing Production in GDP of India**

**Table 3**

<b>Months</b>	<b>Average</b>
Mar-19	3.1
Apr-19	2.5
May-19	4.4
Jun-19	0.3
Jul-19	4.8
Aug-19	-1.7
Sep-19	-4.3
Oct-19	-5.7
Nov-19	3
Dec-19	-0.07
Jan-20	1.6
Feb-20	3.2

### Appendix 4

**Figure 4. The contribution of construction in GDP of India**

**Table 4**

<b>Months</b>	<b>INR Billion</b>
Jul-Sep 2017	4113.66
Oct-Dec 2017	3464.86
Jan-March 2018	5772.7
April-June 2018	4867.06
July-Sep 2018	4271.77
Oct-Dec 2018	3552.83
Jan-March 2019	5886.79
April-June 2019	4860.94
July-Sep 2019	4392.48
Oct-Dec 2019	3664.29
Jan-March 2020	4749.47

**Appendix 5**

**Figure 5. The contribution of tertiary sectors in GDP of India**

**Table 5**

<b>Months</b>	<b>INR Billion</b>
Jan-July 2017	3616.88
Jul-Sep 2017	3561.99
Oct-Dec 2017	3850.5
Jan-March 2018	4004.41
April-June 2018	4165.66
July-Sep 2018	3875.89
Oct-Dec 2018	4193
Jan-March 2019	4328.42
April-June 2019	4610.2
July-Sep 2019	4211.91
Oct-Dec 2019	4614.57
Jan-March 2020	4749.47

**Appendix 6**

**Figure 6. The unemployment rate in of India**

**Table 6**

<b>Months</b>	<b>UR %</b>
Mar-19	6.7
Apr-19	7.4
May-19	7
Jun-19	7.9
Jul-19	7.3
Aug-19	8.2
Sep-19	7.2
Oct-19	8.1
Nov-19	7.2
Dec-19	7.6
Jan-20	7.2
Feb-20	7.8



# MAHATMA GANDHI AND KHADI : AN ANALYTICAL STUDY

**Dr. Rishikesh Singh\***

The clothes we wear have played an essential role throughout history. They reflect the personality of individuals and can be used as a marker of a group, community, family, region and even country. Indian culture is older than history. The building up and casting aside of different identities by means of clothes has been a recurring theme in it. In this essay, it is proposed to examine how these very identities were constructed and used through the medium of a simple yet powerful cloth “khadi”. The theory that clothes were necessary due to climatic conditions is not without its opponents. It is always unsafe to make sweeping statements about customs, for customs are often fossilized results of individual minds. Partial or complete nudity might also be attributed to social taboo or some religious system. Modesty is an instinct ranging between shame and fear. Modesty is dictated by custom and usage. Anthropology gradually undermined the belief that clothes are needed to shield us from extreme cold or heat. The fact that hand-spinning as well as hand-weaving were quite prevalent in prehistoric India is quite evident from the oldest Vedas and Manusmriti.

It was in the beginning of the seventeenth century that the English first set their foot in India as a company of traders. The Englishmen had never really actively propagated their dress earlier. However, a tendency was noticeable among the younger generation of disposing the flowing cuts of previous eras and adopting a new European style of trousers. Side by side with these changes in Indian fashions, English dresses were themselves being worn commonly. Moreover, When a country like India, with a rich heritage or well-founded traditions, has always been made the hunting ground of many opposing but tempting cultures, it puts on a hide of complacency which makes it insensitive to sudden shocks and incapable of quick reactions. The people then begin to suffer from a sort of an intellectual cowardice which keeps them torn between shyness and desire. They are drawn towards the new, but are afraid to relinquish the old.

**\*Associate Professor, Post-Graduate Department of Political Science, Shree Lal Bahadur Shastri Degree (Post-Graduate) College, Gonda, Uttar-Pradesh -271001.**

Within this dilemma of the new and the old came khadi. However, as an effective and powerful symbol of freedom struggle, it came to its fore due to its association with M. K. Gandhi and the indispensable role that he played in elevating it to the status of a national cloth. This is also evident in khadi being the result of Gandhi's own sartorial choices of transformation from that of an Englishman to that of one representing India.<sup>1</sup> The choice of Khadi as a symbol was thus not the result of a whim. It was a well-thought-out decision of Gandhi. The key to Khadi becoming a successful tool for the freedom struggle lies in its uniqueness which picked up and re-crafted the then existing politico- economic critiques with its own distinctive qualities. It thus became a material to which people from diverse backgrounds could relate to. To put it simply, 'khadi was the material embodiment of an ideal' that represented freedom from colonialism on the one hand and a feeling of self-reliance and economic self-sufficiency on the other. It embodied the national integrity of all as well as acted as a marker for communal harmony and spiritual humility.

**Khadi** derived from **khaddar** is a hand-spun and woven natural fibre cloth promoted by Mahatma Gandhi during freedom struggle of the Indian subcontinent, 'Khadi' term is used throughout India, Pakistan and Bangladesh. The first piece of the hand-woven cloth was manufactured in the Sabarmati Ashram during 1917-18. The coarseness of the cloth led Gandhi to call it 'khadi'. The cloth is usually hand spun and woven from cotton. However, it may also include silk or wool, which are all spun into yarn on a spinning wheel called a charkha. It is a versatile fabric, cool in summer and warm in winter. In order to improve its looks, khādī/khaddar is sometimes starched to give it a stiffer feel. It is widely accepted in various fashion circles. Popular dresses are made using khadi cloth such as dhoti, kurta, and handloom sarees such as Puttapaka Saree, Kotpad Handloom fabrics, Chamba Rumal, Tussar silk etc. Gajam Anjaiah, an Indian master handloom designer and a recipient of the Padma Shri, is known for his innovation and development of tie-dye handloom products along with the Telia Rumal technique of weaving products based on the Ikat process.

Khadi means handspun and handwoven cloth. In 1918 Mahatma Gandhi started his movement for Khadi as relief programme for the poor masses living in India's villages. Spinning and weaving was elevated to an ideology for self-reliance and selfgovernment. Every village shall plant and harvest its own raw-materials for yarn, every woman and man shall engage in spinning and every village shall weave whatever is needed for its own use. In the first half of this century, and in many parts even now, farmers have not enough work to earn their living throughout the year. About four months they may be idle due to the rainless dry season. Spinning would thereby supply the readiest occupation; it can easily be learnt. It requires practically no outlay or capital, even an improved spinning wheel can be easily and cheaply made. Gandhi saw it as the end of dependency on foreign materials (symbolizing foreign rule) and thus giving a first lesson or real independence. Raw materials at that time were entirely exported to England and then re-imported as costly finished cloth, depriving the local population of work and profits on it. Gandhi also felt that in a country where manual labor was looked down upon, it was an occupation to bring high and low, rich and poor together, to show them the dignity of hand-labor.

He asked not only of those in need, but of every person to do spinning at least about one hour per day as sacrifice to his country, as duty towards the poor. He hoped for a certain bond of unity between the classes and masses by bridging the gap with a common occupation, and he saw great social value in hand-spinning. It was for economic, cultural and social reasons and not merely political that Gandhi established the Khadi Movement. In 1934-35 he expanded the idea from helping the poor individual to self-reliance of whole villages. In 1942-43 he had sessions with workers groups and village organizers to re-organize the whole programme on a bigger country-wide scale. Thus Khadi is not mere a piece of cloth but a way of life.

The year 1920 has, no doubt, been a landmark in the history of Indian National Movement and it has rightly been regarded as the inauguration of Gandhian era, which ultimately emancipated the country from the yoke of foreign domination. The struggle for freedom under the leadership of Mahatma Gandhi has negative and positive approaches. Negatively it has in mind boycott of foreign goods and launching civil disobedience against the British Imperialist. But positively speaking, the programmes included among other things, development of indigenous production particularly mass production of Khadi and handloom clothes. Through these weapons Gandhi intended to encourage the people to wear clothes woven by the Indian weavers and at the same time discourage them from using foreign manufactured goods.

By inaugurating a new policy of constructive programme and initiating new steps in the life of common people, the Indian National Congress launched a major attack on the economic policy of the British imperialists in India. In 1920, the Calcutta session of Congress heralded the dawn of a new economic consciousness among the people in general and the Congress workers in particular with regard to the use of Khadi and boycott of foreign machine-made goods in India. After this, in the Nagpur session Congress endorsed earlier resolution. The Bardoli Congress of 11 and 12 February 1922 directed the Congress Organisation to concentrate on the constructive activities like stimulating the use of spinning wheel and manufacture of hand spun and hand-woven Khadi. The All India Congress Committee from March 10 to 11, 1923 instructed the Congress workers to make intensive efforts to popularize the cult of Khaddar. Before the close of the 1923 the different political bodies emphasized on constructive work. An All-India Khaddar Board was formed, with Jamnalal Bajaj as its Chairman “to organize and carry on khaddar work throughout India under the supervision of the All India Congress Committee.”

The meeting of the Congress was held at Bezwada on 31 March and 01 April 1921. For purely constructive work it passed a resolution asking the people to concentrate on three items. One of them was the introduction in the villages and cities twenty lakhs of Charakhas and from 1921 onward Khaddar became the grand uniform of the Indian patriot.<sup>2</sup> In Bombay Congress session passed a resolution for concentrating attention “upon attaining complete boycott of foreign cloth by 30<sup>th</sup> September next and on manufacture of Khaddar by stimulating hand-spinning hand- weaving.”<sup>3</sup>

Meeting at Delhi on 4 and 5 November 1921, the All India Congress Committee authorized “every province, on its own responsibility, to undertake civil disobedience including non-payment of taxes.” The conditions were that in the “Event of individual Civil Disobedience the individual must know hand-spinning and must have completely fulfilled that part of the programme which is applicable to him or her. For example he or she must have entirely discarded the use of foreign cloth and adopted only hand-spun and hand-woven garments....”<sup>4</sup>

The working Committee and the All-India Khaddar Board had issued an appeal for a supreme effort to make every man and woman in the country wear khadi. The appeal stated “The work before us is of a two-fold nature, we have in the first place to carry on vigorous propaganda to make the people realize to the fullest extent the political significance of khadi work by showing on the one hand, how khadi alone can help to bring about a speedy and effective boycott of piece-goods resulting in the economic freedom of this country and on the other hand, how it can help us to build up a network of organization throughout the length and breadth of the country enabling us to offer concerted and ”<sup>5</sup>

Mahatma Gandhi, touched by the plight of farmers at Champaran Satyagraha and Kheda Satyagrah focused the Swadeshi movement on hand spinning and quoted: "It is the immediately practicable supplementary occupation that can be offered to vast mass of the population that is starving or half fed in consequence of abject poverty and enforced labour for nearly half the year".

In 1922, Gandhi asserted Indian National Congress (INC) to start Khadi Department for spinning activities. In 1924, due to huge work a semi-independent body All India Khadi Board (AIKB) was formed which liaised with INC Khadi Department at provincial and district levels. In 1925, All India Spinner Association (AISA) was formed comprising Khadi Department and AIKB. Mahatma Gandhi was the founder of AISA, later Jawaharlal Nehru and Rajinder Prasad remained in its executive board. He made it obligatory for all members of the Indian National Congress to spin cotton themselves and to pay their dues in yarn. Mahatma Gandhi collected large sums of money to create grass-root level khadi institutions to encourage spinning and weaving which were certified by AISA. This was called the 'khaddar' or 'Khadi' movement. Handspun yarn was expensive and of poor quality and weavers preferred yarn produced by mills because it was more robust and consistent in quality. Gandhi argued that the mill owners would deny handloom weavers an opportunity to buy yarn because they would prefer to create a monopoly for their own cloth. When some people complained about the costliness of khadi to Mahatma Gandhi, he started wearing only dhoti though he used wool shawls when it got cold. Some were able to make a reasonable living by using high quality mill yarn and catering to the luxury market. Mahatma Gandhi tried to put an end to this practice. He even threatened to give up khadi altogether if he didn't get his way. However, since the weavers would have starved if they listened to Gandhi, nothing came of this threat. In 1919 Mahatma Gandhi himself started spinning at Mani Bhawan Mumbai and encouraging others to do so. He invented Patti Charkha, using a double-wheel design to increase speed and control, while it reduced size. It represented probably the first conscious use of the principle of "intermediate technology." Later by 1946



when huge funds were being spent on development for more productive charkhas, he recommended takli over charkha.

The freedom struggle revolved around the use of khādī fabrics and the dumping of foreign-made clothes. In 1921 chakri (spinning wheel) became the symbol of the Indian flag. The movement for Khadi began in 1918. The movement was marked with its own changing dynamics. While initially, a clear emphasis could be seen on using Khadi as a medicine to the masses ridden with poverty due to economic stagnation, from 1934 onwards the fabric became something that the village people could use for themselves. It was no longer seen only as a commodity for sale to bring economic prosperity. The meaning became more humble. In 1942-43, right after coming out of the prison, his ideology behind Khadi became that of making the fabric useful for the villagers themselves. His ideas came out clearly by 1944, when he left no stone unturned to bring this change into effect. Mahatma Gandhi began promoting the spinning of khadi for rural self-employment and self-reliance (instead of mill manufactured) in the 1920s, thus making khadi an integral part and an icon of the Swadeshi movement. In 1921, Gandhi went to Chandina Upazila in Comilla, Bangladesh to inspire local weavers and consequently in the greater Comilla region, weaving centers were developed in Mainamati, Muradnagar, Gauripur and Chandina. In 1942, political activist Suhasini Das pledged to only wear khadi clothing for the rest of her life. Gonsalves seems to think on similar lines when he puts forward the argument that Gandhi's experiments with his dress shows his gradual understanding of clothing as a powerful visual discourse in itself, which could be used to influence people and persuade them into the freedom struggle. He could thus bring his audience closer to himself. The moral language behind Gandhi's sartorial changes, was giving space and thus helping in reviving the earlier beliefs of magic or sacredness that cloth had always signified within the Indian society through this symbolically laden language of Khadi, one could witness creation of an 'imagined national community' encompassing all, even the non-literate.<sup>6</sup>

When Gandhi remarked that swaraj in absence of swadeshi would literally be a soulless body, it was understood that if swadeshi was the soul of swaraj, then its essence would definitely lie with Khadi. The key to self-reliance for a nation was harking upon its indigenous goods of which Khadi was a very important one. In his words, "I am a salesman of swaraj. I am a devotee of khadi. It is my duty to induce people, by every honest means, to wear khadi."<sup>19</sup> Khadi thus became an emblem for the revolution that India was waiting for. Moreover, the revolution led by the emblem soon made Khadi a part of Indian identity. The movement for Khadi began in 1918.<sup>20</sup> The movement was marked with its own changing dynamics. While initially, a clear emphasis could be seen on using Khadi as a medicine to the masses ridden with poverty due to economic stagnation, from 1934 onwards the fabric became something that the village people could use for themselves. It was no longer seen only as a commodity for sale to bring economic prosperity. The meaning became more humble. In 1942-43, right after coming out of the prison, his ideology behind khadi became that of making the fabric useful for the villagers themselves. His ideas came out clearly by 1944, when he left no stone unturned to bring this change into effect.



You have asked me why wearing of Indian mill cloth does not amount to boycott of foreign cloth. This is colossal ignorance. For fulfilling the boycott, it is not enough if we wear mill cloth. The Bengalis even today complain of the exploitation of Bengal by the mill-owners at the time of the Partition. Their experience should teach us that boycott cannot be achieved with the help of only mill cloth. The propaganda should, therefore, be in favour of Khadi only. It is obvious that mill cloth has no place in the house of the Congress.<sup>22</sup> The uniqueness about Gandhi and his understanding of Khadi also lies in the fact that he was one of the pioneers to recognise the need of a craft based society in which not only Khadi but all indigenous arts and crafts could flourish and sustain themselves. Khadi could thus help in building up a community that for the first time would include the non-literates in an equal capacity if not more than the literate ones. Gandhi created a new form of swadeshi politics that encouraged the production and exclusive consumption of hand-spun, hand-woven cloth of Khadi. The campaign to popularize this movement took many forms, including the organization of exhibitions that demonstrated cloth production and sold Khadi goods. On the occasion of one such exhibition in 1927, Gandhi explained the significance of exhibitions for the movement: "[The exhibition] is designed to be really a study for those who want to understand what this khadi movement stands for, and what it has been able to do. It is not a mere ocular demonstration to be dismissed out of our minds immediately..... It is not a cinema. It is actually a nursery where a student, a lover of humanity, a lover of his own country may come and see things for himself.' Clothing and other consumer goods of the Swadeshi Movement were important mediums for creating a national image, as they linked a distinct material culture of nationalism to what were seen as the nation's basic values. The Swadeshi Movement made use of cloth in many forms, including new hats, new flags, and a new style of dress. Khadi could then be seen as a popular symbol in the so-called modern sphere of life. The performative tool that it was, it got the urban Indian community together with its widespread display and consumption. Swadeshi enthusiasts quickly (recognized that the support of urban India was not enough to bring about the economic and social changes that they sought. The All India Spinners' Association (AISA), therefore, set out to bring its ideas to India's rural communities, which were otherwise isolated from India's urban population. AISA created a body of visual images to communicate with India's diverse population.

The Khadi programme was formally established in 1919, but was made clearly distinct from the medieval period's charkha. The latter was a symbol of exploitation and helplessness of the spinners while the wheel of Khadi was to become a symbol of revolution in thought and action, as well as an embodiment of non-violence. Non-violence itself is seen as a defining characteristic of Gandhi's idea of change, development and growth. The first Khadi production centre was soon established in 1921 in Kathiawad, Gujarat. It was in the same year that the charkha too found a proud place on the Indian national flag. For Gandhi, charkha was the genius with the support of which people could get together and attain an independent state of mind leading to their social, political, moral and economic development. He further emphasised, "I never suggested that those, who are more lucratively employed should

give up their lucrative employment and prefer spinning. I have said repeatedly that only those are expected and should be induced to spin, who have no other paying employment, and that too only during the hours of unemployment.' Gandhi was totally convinced with the invincibility of Khadi that he asserted, "Khadi is the only true economic proposition in terms of millions of villagers until such time, if ever, when a better system of supplying work and adequate wages for every able bodied person above the age of sixteen, male or female, is found for his field, in every one of the villages in India."

Gandhi fervently appealed to one and all to wear Khadi, with the intent of satisfying one of the basic needs of mankind. "Khadi is meant for everyone. Even a depraved man, a sinner, a drunkard, a gambler, anybody, can wear it. I would not hesitate to urge them to wear khadi even though I cannot induce them to change their mode of inner life. But the sacred quality of khadi is that it is a symbol of freedom. Those who wish to live in free India ought to wear Khadi." Despite laying emphasis on the economic dimension of Khadi, Gandhi's economics had a different connotation and basis. For him it was not based on competition in which patriotism, sentiments, and humanity play little or no part. Khadi wholly concerned itself with the 'human? Khadi for Gandhi was situated in a larger context in a symbolic manner wherein it was the focal point of regeneration and diversification of rural economy. He remarked, "But khadi is the sun of the village solar system. The planets are the various industries which can support khadi in return for the heat and the sustenance they derive from it. Without it, the other industries cannot grow." Gandhi's emphasis on the villages and Khadi's role in villages also pointed towards his vision of decentralisation. Non-exploitation is the hallmark of a non-violent society. The former could be ensured only when power in all spheres including economic, social, political, was decentralised, so as to ensure vast participation of the common public. Charkha was seen as a mechanism to decentralise the economic dimension. Khadi occupied a distinguished place in the pre-independence era and Pandit Jawaharlal Nehru gave the poetic expression to Khadi as the 'livery of India's freedom.' For Gandhi, wearing Khadi was symbolic of wearing freedom. Khadi thus became an indispensable tool to restore the lost ancient glory of Indian industry and commerce which led to greater confidence amongst the people. This emblem of patriotism was seen as a bad omen for the British, who then tried to curtail the Khadi movement. However, the more it was controlled, the more powerful and widespread it became. By reviving Khadi and other village industries, national life could be reorganised on the lines of simplicity. Gandhi saw a potential market for Khadi among the town. What he wished for was an integration of town and country in a way that would stop the starvation of the peasants, that would include them in the development process fully, and that the profits made from their labour would be beneficial to them.<sup>29</sup> Khadi had been found to be a unique instrument to promote communal harmony and religious tolerance amongst the artisans easily due to their daily face-to-face interaction. It appeared as a medium to come closer to lakhs of 'harijans' and provide them a way of living through spinning and weaving. Khadi provided a prepared platform and organisational support to launch a movement against untouchability. The charkha became an unparalleled means to provide gainful

employment to a very important segment of the population women. This was bound to raise their social and economic status and ensured dignity of labour. The boycott of English cloth was undoubtedly a boon for the cotton Khadi fabric to prosper. The dying industry once more came to life with considerable vigour. The emotional appeal of Khadi compensated to a large extent its qualitative shortcomings in addition to gaining respectability in the circles of the elites and learned people.

The journey of Khadi saw a major struggle for maintaining a balance between tradition and modernity. Both these concepts played a pivotal role in shaping a new national identity for the country. While tradition was indispensable for the nation to sustain its legitimacy and preserve the culture, modern aspects of life could not be overlooked if the nation had to compete on a global scale. Khadi was thus redefined in the following ways by its proponents which made the fabric distinct and also added an element of flexibility to **the idea of Khadi** for it to sustain itself :-

1. Khadi was seen as a presumably traditional product, as it was being produced by traditional means and thus could be envisioned as a material artefact of the nation.
2. Moreover, Gandhian nationalists rendered Khadi a discursive concept by defining its significance in terms of the contemporary politics and economics of swadeshi.
3. Finally and most importantly, Khadi became a visual symbol in the sense that it gave a distinctiveness to Indian bodies by marking them exclusively in association with their region, religion, class, group etc.
4. Three trends can be seen to have shaped the contemporary fashion: technological development, independence movement, and changing social identities. Khadi has always evoked memories of India's great past before the British mills drove weavers out of business and onto impoverished farms. Khadi thus serves as an appropriate example of technology, independence and identity.
5. Khadi shows how customary consumption logic of small communities are intimately tied to larger regimes of value as defined and constructed by large-scale politics. Gandhi actively encouraged people to interpret one another's clothes as a political or personal belief. The result was that people became increasingly self-conscious about their public image and found their clothing choices open to close scrutiny.

Historians have emphasised the fact that Khadi brought within its canopy the wealthy and the poor. This was certainly Gandhi's intention and at some level he was successful. However, khadi itself had become diversified by the fineness of its weave. We may conclude that if material culture is the primary focus of a study, then human agency becomes the subject, for people manipulate objects such as clothes to define themselves, and Khadi did exactly this.

## REFERENCES

- 01-Peter Gonsalves "'Half-Naked Fakir', The story of Gandhi's personal search for sartorial integrity," Gandhi Marg, vol. 31, no. 1 (April-June), Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 2009, pp. 5-30.
- 02- B. Pattabhi Sitaramayya : History of Indian National Congress, Volume I, Page 43.
- 03- K. K. Dutta : History of the freedom movement in Bihar, Volume I, Page 376.
- 04- K. K. Dutta : History of the freedom movement in Bihar, Volume I, Page 397.
- 05- K. K. Dutta : History of the freedom movement in Bihar, Volume I, Page 397.
- 06-Peter Gonsalves, Clothing for Liberation: A Communication Analysis of Gandhi's Swadeshi Revolution. (New Delhi: Sage. 2010).



## **CRUCIAL FACTORS IN INTER-STATE RELATIONS IN SOUTH ASIA**

**Dr. Gunjan Tripathi\***

South Asia as a region stands distinctly due to its geography, history, economy and culture. Most of the countries of the region share a colonial history. The region maintains a distinct cultural unity because of common religions and languages. Poverty, population, unemployment and slow economic growth rates are the common problems of south asia. Nearly two billion population of these countries now comprising South Asia Association For Regional Cooperation (SAARC )<sup>1</sup>. India, the core country of South Asia has 72 percent of regions area and 77 percent of its population and generates 78 percent of GNP. This region has the singular misfortune of being the only area of without any form of regional cooperation<sup>2</sup>, which could help moderate frictions arising out short-term economic interests and encourage trade, industrial and technological ties among the eight countries. There are some crucial factors influencing inter-state relations in South Asia are as follows:

### **(i). Colonial Legacy-**

Almost all the South Asian nations like India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka had to experience the rigorous impact of British colonialism. More or less the economy of South Asia became an appendage of the British economy. A major offshoot of British imperialism in South Asia was the growing bitterness and distrust between the core nation India and other peripheral nations, especially Pakistan, Bangladesh and Nepal. Therefore, with independence most of these nations planned their economies and trade patterns in isolation from one another. Because of such an unnatural diversion of the intra-regional trade in South Asia, the external economic relations of the regional states have become more or less competitive at the global level and quite negligible at the regional level, while looping at the statistics of intra-regional in South Asia, which comes down to less than one percent of the entire foreign trade of the region, one cannot resist the temptation of suggesting that the negative role played by British imperialism has retarded the intra-regional trade in this region<sup>3</sup>

### **(ii). The problem of Immigrants-**

The other socio-economic factors which has proved to be a major variable in the intra-regional

**\*Associate Professor, Political Science, ML & JNK Girls P.G. College, Saharanpur.**

relations in South Asia, is the process of immigration by the people of one country to another during British rule in search of better living conditions. Moreover, with the departure of the British, when the sub-continent was partitioned, millions of people belonging to the Hindu and Muslim communities, were uprooted from their threats and had to be rehabilitated either in India or Pakistan. The herculean task of resettling such a vast multitude to human beings and the recovery of claims made by refugees from both countries resulted in a lot of misunderstanding mutual discord between India and Pakistan. Primarily speaking, the intra regional relations in South Asia are largely determined by the attitude of both India and Pakistan towards each other and their stand major regional and international issue. During the colonial era a large number of Indian workers moved to the neighboring countries Burma (now Myanmar) and Sri Lanka, to serve in British owned industries and plantations. These immigrant Indians having improved their lot by hard-work, did not like to return to their homeland even after the withdrawal of the British colonial power and the granting of formal independence to its colonies. But they soon became high source to the new indigenous leaders in both Sri-Lanka and Burma. They called for the repatriation of these people of Indian origin on the plea that their national economies could not afford to absorb so many aliens. On the other hand, India, with its mounting pressure of population and poor state of economy, could not afford to take back on these people. Naturally, this problem became a major bottleneck between the major South Asian nations and other peripheral one's like Sri Lanka and Burma

### **(iii). Ethno-Religious conflicts-**

Religion plays a very important role in South Asian politics. The sub-continent had to be partitioned on the basis of religions with India becoming predominantly Hindu and Pakistan and subsequently, Bangladesh, predominantly Muslim countries.<sup>4</sup> Religion as a national symbol is concerned, it is clear that Pakistan and Bangladesh have taken it to the extreme. Islam serves as a sort of national identity for the ruling elites of both these states. The Pakistanis or Bangladeshis feel greatly concerned whenever there is any large scale killing of Muslims in a communal riot in India. Similarly, the ruling elites in India project a sort of moral responsibility to protect the interest of the Hindu minority in both Pakistan and Bangladesh. Even at times some strong cases of anti-Hindu agitation in Sri Lanka have had their simultaneous reaction in India. From ethnic point of views South Asia is one of the great melting pots of the world and its racial diversity perhaps the most complex to be found anywhere outside Africa.<sup>5</sup> There are six main religions, viz, Islam, Hinduism, Sikhism, Christianity, Buddhism and Jainism, into played great role in shaping the nation state system in the region while political boundaries of most of the state follow linguistic and ethnical boundaries. In some cases, ethno-religious problems has been convinced or abetted from across the border with political motive. Much more disturbing is, however, the spectre of communal violence that has escalated fresh in recent time. Almost all the countries of the region are multi religious and each has religious minority- big or small. Although, there are deliberate sometimes inadvertent discrimination against some minority communities in some of the countries.<sup>6</sup>

### **(iv). Role of Language—**



The relevance of language in the intra-regional relations in South Asia lies in the fact that two major states, a number of languages are either spoken or understood in more than one country in the region. For instance, Urdu is spoken by a large number of North Indians and by a considerable number of people in South India, especially in the areas of the old Princely State of Hyderabad. Bengali is the official language of Bangladesh and is one of the regional language of India. Nepali, is the official language of Nepal, is largely spoken in the Darjeeling district of West Bengal in India, Tamil one of the regional languages in India, has been recognized also in Srilanka as a second language. Because of the colonial legacy, the elites in South Asia understand and speak English. Because of the overlapping of some languages in the South Asia states, one often notices concern of the leaders of one nation for the recognition and upliftment of a particular language in the neighbouring country, provided that it is also largely spoken or used as official language in their own country. To cite the case of Pakistan, because of the fact that Urdu has been recognized as its official language, its ruling elites have always supported any move for its upliftment in India. Again, mainly, Bengali is spoken by a large segment of the Indian population, its leaders used to support the people of East Bengal, in undivided Pakistan, in their movement for the official recognition of Bengali as a national language. Although the Government of India has not expressed any over sympathy on the status and grievances of the Tamil minority in Srilanka, by and large, the people of Tamilnadu have been largely conscured at the discrimination and unfair treatment meted out to the Indian Tamils in Sri Lanka. The process of granting Sri Lanka citizenship to some of them and repatriating the rest of India has been unfortunately very slow and has remained a major bottleneck in Indo-Sri Lanka relations. Another instance of language playing a negative role in the intra-regional relations in South Asia can be noted in Nepal's special concern for the protection of Nepali language in the Darjeeling district of West Bengal, even though it falls within the exclusive domestic jurisdiction of India. However, such a negative pull can be converted into a positive force, provided the leaders of the region, while looking back to a common linguistic culture, join hands in certain co-operative ventures.<sup>7</sup>

#### **(iv) Dominant Position of India-**

The most important characteristic of the South Asia region is its Indo-centric nature. By its big size, resources and technological base, India is a colossus, almost three times bigger than all its South Asian neighbours put together and with ambitions for a hegemonic role to match. This naturally created an apprehension that any regional association of the countries of, south of the Himalayas would be dominated by India. This fear was confirmed by the experience of the smaller neighbours which has seen that in all disputed issues. India did not proceed on the basis of recognized principles on international conduct, but tried to dictate from a position of strength. Furthermore, India's diplomatic stance in dealing with non-regional powers left little doubt that it expected them to pay heed to its dominant position in subcontinental affairs.<sup>8</sup> India is central to the whole region. This is not only so in terms of India's geographical location and contiguous boundaries with neighbours, but with respect to socio-cultural identities and experiences of historical and political evolution, commonalities in South Asia are mostly bilateral between India

and each of the neighbouring countries separately and individually. There is a bit of India in every other countries of South Asia. All the South Asian neighbours of India have only one thing in common amongst themselves and that is India. As a political corollary of the fear of domination, South Asian countries reiterated the respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in internal affairs in their mutual dealings.

#### **(vi) Common Defence System-**

As fact stand, South Asia is the least developed region of the world. The countries of the region have developed no common political institutions, judicial bodies or security machinery. The vacuum created by the withdrawal of the British power has not been in any way filled by the countries of the region. South Asia as a region can not be developed on the kind of status quo. There are outstanding question between India and Pakistan, which are yet to be resolved. The demand for Pakistan continues to bedevil the relations between Pakistan and Afghanistan. The question of Indian immigrants in Sri Lanka and Burma, though considerably ceased, has brought about immense harm to intra-regional understanding. There are other innumerable problem. But it may be easier to solve them all against the wider background of the region than taking them up individually on the basis of any bilateral negotiations. A large country like India may have to make some sacrifices in the process of settling these problems, but the region as a whole is definitely bound to emerge stronger in world affairs, and what is to the advantage of the region will definitely be of advantage to India.<sup>8</sup>

## **REFERENCES**

1. SAARC comprised of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bhutan and Afghanistan.
2. Other regional groupings besides security pacts are ASEAN, OAU, EEC, OPEC, OAD, ANZUS, GCC and COMECON.
3. B.R. Tomlinson, "Historical roots of economic policy" in foundation of India's economy, (ed) Subroto Roy and William E. James (New Delhi : Sage, 1992), 274-302.
4. M. Abdul Hafiz, 'Regional Problems and Prospects for co-operation in South Asia, BUSS- Journal, Volumes n. 4, October 1987, p. 5 .
5. Newsweek, 24 August 1987, p. 16.
6. V. Kanesalingam (ed.), political dimenson of South Asian co-operation, friedrich Ebert souftung, Colombo, 1993, p. 7.
7. P.K. Mishra, 'South Asia in International Plities', p. 5.
8. Dr. Maqbool AhemadBhatty, "The future of SAARC" , Regional Studies. Vol.10





# **THE GRAMMAR OF COMMUNAL POLITICS DURING THE NATIONAL MOVEMENT OF INDIA (FROM 1757 TO 1911)**

**Dr. Laxmi Kant Tripathi\***

“I thank the Almighty for emancipating this country from the centuries old bondage and placing it under the British rule”.<sup>1</sup> These are the words of Raja Rammohan Roy (1772-1833) about the East India Company’s victory in the Plassey war (1757) and consequent removal of the Muslim rule from Bengal.

The British rule in India had a mixed reaction. It was hailed by those who had seen the tyranny of Islamic rule under the Muslims emperors and nawabs. It was cursed by those who had enjoyed patronage of the extravagant and lustful nawabs and kings. The farmers, the tradesmen and craftsmen, especially the weavers, were all hard hit, because of the new agrarian and trade policies, were all hard hit, because of the new agrarian and trade policies of the East India Company. As a result, there were frequent local uprisings in various parts of the country, especially in Bihar, Bengal and South India, even before the armed revolt of 1857.

The failure of the 1857 revolt brought home to Indians their basic weaknesses. The leaders of the majority home to Indians their basic weaknesses. The leaders of the majority Hindu community realized that they must first get rid of their age-old shackles of casteism, regional prejudices, illiteracy, superstitions, and defeat-ism, before they could succeed in any attempt against the British might. Consequently, a number of social and religious reformist organizations, like the AryaSamaj, BrahmoSamaj,

ParathanaSamaj, Came into being, The British Intelligentsia also realized that they could not take Indian population for granted and must pay heed to Indian sentiments and tone up their administration. On their part, the British started taking certain measures to appease the Indian sentiment.

In the meantime, a new crop of Indian intellectuals, consisting of lawyers, editors, doctors, entrepreneurs and civil servants had been produced by the East India Company and the British Crown. Their only grievance was that they were denied equality of status and remuneration with their white counterparts.

**\*Associate Professor, Department of Political Science, Feroze Gandhi College, Rae Bareilly.**

There were many Britishers who studied the Indian problem in great detail and brought before the British parliament the failings of the British government in India which needed redressal.<sup>2</sup> A British ex-ICS officer, Mr. A.O. Hume, took up the Indian grievances. In a letter to Sir Auckland Colvin, he complained about (a) the costly and unsuitable civil courts, (b) the corrupt and oppressive police, (c) the rigid revenue system, and (d) the galling administration of the Arms Act and the Forest Act. He sought (a) justice cheap, sure and speedy, (b) a land revenue system more elastic and sympathetic, and (d) a less harsh administration of the Arms and Forest laws.<sup>3</sup> Hume had also “unimpeachable evidence” of political discontent and “seething revolt” incubating in various districts, based upon the communication of the disciples of various *gurus* to their religious heads. He, therefore, thought of evolving a safety valve for this unrest and the Congress was the outlet. On March, 1<sup>st</sup>, 1883, in a letter addressed to the graduates of Calcutta University, he asked for just fifty men good and true, men of unselfishness, moral courage, self-control and active spirit of benevolence. He stated, “If only fifty men good and true can be found to join as founders, the thing can be established and the further development will be comparatively easy.” Hume added.. “if they can’t renounce personal ease and pleasure, then at present at any rate all hopes of progress are at an end and India truly neither desires nor deserves any better government than she enjoys.”<sup>4</sup>

Hume also consulted the then Viceroy, Lord Dufferin, about forming the Indian National Union (later named as Congress) and was also blessed by Mr. W.C. Bonnerjee, the first President of the Congress, through his Introduction to Indian Politics’, published in 1898:

“It will probably be news to many that the Indian National Congress, as it was originally started and as it has since been carried on, is in reality the work of the Marquess of Dufferin and Ava when that nobleman was the Governor-General of India. Mr. A.O. Hume had in 1884, conceived the idea.... saw the noble Marquess when he went to Simla in early 1885... Dufferin took great interest in the matter and after considering over it for some time, he sent for Mr. Hume..... He said, there was no body of person in this country who performed the functions which Her Majesty’s Opposition did in England... it would be very desirable in their interest as well as in the interest of the ruled that Indian politicians should meet yearly and point out to the Government in what respects the administration was defective and how it could be improved, and he added that an assembly such as he proposed should not be presided over by the local Governor, for in his presence the people might not like to speak out their minds... Lord Dufferin had made it a condition with Mr. Hume that his name in connection with the scheme of the Congress should not be divulged so long as he remained in the country, and his condition was faithfully maintained and none but the men consulted by Hume knew anything about the matter,”<sup>5</sup> In March 1885, it was decided to hold a meeting of representatives from all parts of India at the ensuing Christmas. A circular was issued stating *inter-alia* that the Conference would be composed of delegates- leading politicians, well-acquainted with the English language- from all parts of the Bengal, Bombay and Madras Presidencies. The venue first proposed was Poona but later it was changed to Bombay.

The First two-day's session of the Indian National congress was accordingly held at Bombay on 27th and 28th December, 1885 under the presidentship of a retired ICS officer, Mr. W.C. Bonnerjee. It was attended by 72 delegates including prominent men like Dadabhai Nauroji, K.T. Telang, Ferozeshah Mehta, a number of professors, lawyers, editors, writers and scholars. Reporting about the conversion, the Times of India, Bombay, of February 5, 1886, sarcastically remarked:

“Only one great race was conspicuous by its absence: the Mohammedans of India were not there. They remained steadfast in their habitual separation.”<sup>6</sup>

The Report was, however, not wholly correct. Two prominent members of the Muslim community, namely, R.M. Sayani and A.M. Dharamsi, both lawyers at the Bombay High Court, did attend the Congress session. It is noteworthy that a political organization of middle class Muslims was also formed in 1885 in Calcutta. This Muslim organization later joined the Congress. The editorial of the Times of India, however, made a prophetic observation which not only proved correct fifty years later but would seem relevant even today. It stated:

“Political privileges they can obtain in the degree in which they prove themselves deserving of them. But it was by force that India was won, and it is by force that India must be governed, in whatever hands the Government of the country may be vested. If we (the TOI was then owned by the British)

were to withdraw, it would be in favour not of the most fluent tongue or of the most ready pen, but the strongest arm and the sharpest sword”.<sup>7</sup>

The first session of the Congress expressed loyalty of the Indian people towards the British government in clear and unequivocal terms. It discussed issues relating to administration and taxation and passed a resolution that the British government should appoint a committee to look into the same. Up to 1897, the main aim of the Congress was to secure from the British masters greater rights of recruitment of Indians in higher civil services and certain other concessions, like reform of the legislative council, holding examination for the ICS, both in England and India. Its means were appeals, memorial, memoranda and petitions. The number of Congress delegates increased with each subsequent session. Participation of the Muslims also increased; from 02 in the first session and 33 in the second, it rose to 156 (out of 702) in the sixth session in 1890. Participation of Parsis and Christians was quite appreciable. While the first president of the Congress was a Hindu, the second one (1886), Dadabhai Nauroji, was a Parsi, the third (1887), Badruddin Tyabji, was a Muslim, the fourth (1888) David George Yule, was Christian, the fifth (1889), Sir William Wedderburn, was a European, and the Sixth (1890), Sir Ferozshah Mehta, was again a Parsi. In spite of all this, the Congress was termed as a “Hindu” organization, and rightly so because of the Hindu majority. An impression was, however, being created by the British officials that the Muslims were opposed to it. As a reaction to it, one Sheikh Raza Hussein Khan produced in the Congress session of 1888 at Allahabad, a ‘fatwa’ from the spiritual leader of the Sunni community of Lucknow and declared that “It is not the Muslims but their official masters who were opposed to the Congress”.<sup>8</sup> The Sheikh said, “We

may differ in religious views, but in our aspirations, we are one. We have common goal, and we are one nation. So in respect of laws, all should be treated alike”.<sup>9</sup> But the fact remains that quite a large number of Muslim leaders, prominent among them being Sir Syed Ahmed Khan were opposing the Congress and dissuading the Muslims from joining it.

A classic example is one of Badruddin Tayyabji, president of the 1887 session of the Congress. Almost at the same time, Sir Syed Ahmed Khan got his Knighthood. Tayyabji wrote him a letter of congratulation. In reply, Sir Syed criticized the Congress. Stating that it was against the interest of the Muslim community, he ridiculed Tayyabji for his association with the Congress. The latter first defended his national outlook, but ultimately relented and wrote to A.O. Hume that in view of the increasing hostility of the Muslims, the annual session of the Congress should be prorogued for at least five years. Taking note of the Muslim sentiments, Hume himself circulated a draft resolution that no subject should be taken up for consideration by the Congress if it was opposed by the Muslim or the Hindu delegates as a body. It was the starting points of Muslim separation from Hindus and other religious minorities, all together called non-Muslims.

Thus, from the very beginning, the Congress came to regard the Muslims as a separate entity. Not only that, various acts and gestures of Congress showed that it needed the Muslims more than the Muslims needed the Congress. Taking advantage of this queer situation, the Muslims who joined Congress always bore a domineering posture.

Here is an example. Social reform was made a part of the Congress programme. Alongwith the main session, a National Social Conference used to be held in the same Pandal. In the Social Conference of 1899, a *Mufti* from Barreilly was associated. A resolution supporting re-marriage of Hindu child widows came up for consideration. The *Mufti* sought permission to speak. The presiding officer ruled, “The resolution concerns Hindus alone; you need not speak. At this, the *Mufti* said angrily, “Then why have you tagged the word ‘National’ with this Conference?” Permission was granted. The *Mufti* pleaded that the Hindu *Shastras* did not allow re-marriage of widows and, therefore, it was a sin to bring in such a resolution.” On another resolution to allow reconversion to Hindu religion of those who had once gone out and embraced Islam or Christianity, the *Mufti* again intervened to say, “When a man became an apostate and abandoned Hindu religion, he should not be allowed to come back and contaminate the sacred Hindu society.”<sup>10</sup> The Hindu leaders in the Conference, including stalwarts like Ranade, were simply nonpulsed. The incident brings out the tragic fact that the Hindus who had brought the two resolutions had not done their home-work properly. They had not seen their own scriptures. They had been prompted only by the Western thought-wave. The *Mufti* had not said anything new. The fact, still mostly unknown and ignored, is that wherever Islamic rule was set up in India, the *Qazis* and the *Muftis* interpreted even the Hindu *Shastric* law. And, they did the way it suited them most. The *Shariat* law does not allow a Muslim to go out of the Muslim fold. Thus, it served the cause of Islam to favour the view that once a Hindu embraces Islam or Christianity, the doors of Hindu religion are closed to him forever. The

*Shariat* law allows Muslims four wives at a time. Thus, it suited the Muslims to decree that the Hindu widows could not re-marry under the Hindu law. Consequently, thousands of Hindu widows went to Muslim homes. Had the Hindu leaders read their own scriptures, history and known their ancient traditions, they would have found that widow marriage was prevalent among Hindus. The holy *Vedas*, the original Book of Hindu religion, contain references to widow marriage as well as inter-caste marriages. Emperor Chandra Gupta Maurya's marriage with the daughter of Greek-General *Seleukos*, about 300 BC, is a well-known fact of history. Later Hindu *Shastras* do not commend such marriages, but there is no absolute injunction against them. Further, the *Vedic edict is 'Krinvantovishwamaaryam'* (let us *Aryanise* the world). As all the Hindu *Dharmashastras* were composed much before the advent of Islam or Christianity, they could not lay down anything specific about them or those who, to save their lives or property, adopted either of them, but wanted to come back to their original faith. A ban on such home coming would be volatile of the Vedic teaching of converting the world to Aryan fold. Moreover, in the present context, such a ban will be a sin against humanity and freedom of conscience. The very fact that all the people of various hues, like the *Shakas*, and the *Huns*, who had come to India before Islam, got converted to Hindu religion, leaving no trace of their origin, is a glaring testimony of the *open door policy of Hindu religion*.

Even before **Lokmany Bal Gangadhar Tilak** attended the Congress Session at Bombay in December 1889, he had become a great nationalist leader in his own right. In this session, he proposed that the member of the Imperial Council should be elected by the Provincial Councils instead of being elected by the electoral-college. Gopal Krishna Gokhale seconded it. It was the first and the last time in Congress proceedings that the two stalwarts' concurrence is witnessed. Tilak's proposal was lost, but his speech made a lasting impact. He got great support from leaders like B.C. Pal, Lajpat Rai, Subramaniamlyer and Madan Mohan Malaviya. In fact, Tilak gave a wholly new turn to Congress; he changed its course from loyalty to British government to confrontation, by putting up the demand for self-government, '**Swaraj is my birth right**'. Tilak laid stress on the service to the people and making Congress an organization of the masses. In 1893, Tilak started *Ganeshotsava*, the worship of Lord Ganesh with festivity and public procession which soon became a popular annual feature. It was followed by the celebrations of *Shivaji-Jayanti* in 1896. The Muslims also participated in these festivals. But, the Anglo-Indian press of the time accused him of communalism, trying to stir up the Hindus against the Muslims. Vehemently refuting this charge, Tilak said, *Shivaji festival* is not celebrated to alienate or even to irritate the Muslims. Times are changed and the Mohammadans and the Hindus are in the same boat so far as political condition of the people is concerned. Can we not both of us derive inspiration from the life of Shivaji under these circumstances?"<sup>11</sup>

No right thinking man can accuse Shivaji of being communal. Indeed, in Maharashtra, Shivaji was held in high esteem both by the Muslims and the Hindus. In the disastrous famine of 1896-97 and during the plague epidemic of March 1897, Tilak did a lot of relief work and, on both the occasions, he served Hindus and Muslims alike. He was, however, critical of Government's pro-Muslim attitude and expressed his anger through the '*Maratha*' and the



‘*Kesari*’. Consequently, there was a vilification campaign not only against him but against the whole Brahmin community of Poona. He was imprisoned on the charge of sedition in July 1897 and released in September, 1898. But the malicious reports of pro-British press has formed the source material for a number of Marxist, British and Pakistani historians to denigrate Tilak, *e.g.* a Britisher states:

“The first man to combine Hindu revivalism with active political agitation was BalGangadharTilak (1856-1920) who inspired an era of religious fanaticism and political violence which lasted until Gandhi introduced other methods in the early 1920s... Tilak can also be regarded as one of the founders of Pakistan, for he and the other revivalist Hindu leaders who used the Hindu religion politically in such a way that Indian Muslim finally became convinced that it would be the Hindus who ruled if Congress ever came to power.”<sup>12</sup>

This sort of history is an outcome of perverted mind or the result of Pakistani propaganda which does not have an *iota* of the truth.

**Partition of Bengal** in 1905 was the most important event in arousing national consciousness and mass awakening throughout India. The province of Bengal, at the time, included Bihar and Orissa and presented a lot of administrative problems. In 1874 itself, two frontier districts of Bengal had been transferred to Assam. In 1896, the Chief Commissioner of Assam had proposed that Chittagong Division and the Districts of Dacca and Mymen Singh should also be transferred to it, but the proposal was dropped. When partition of Bengal was affected in 1905, the motivation was political, rather than administrative. This would be clear from the Note prepared by the Home Secretary, Risely for Lord Curzon, in December 1904, which stated: “Bengal united is a power, Bengal divided will pull in several different ways. That is what the Congress leaders feel; their apprehensions are perfectly correct and they form one of the greatest merits of the scheme... One of our main objects is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule.”<sup>13</sup>

The partition plan of Bengal by which a new province of East Bengal, comprising of Assam, Chittagong and 15 other districts, was created, generated a tempest of opposition and bitterness throughout India. There were protest rallies in every nook and corner. The *Swadeshimovement* attained an All-India character. The boycott of British goods caused considerable financial loss to the British industrial establishment in Lancashire (England). The Muslims supported this movement *ab initio*, but later the majority of them, especially in the new province of Bengal, turned against it and pledged their support to the government.<sup>14</sup> John Page Hopps, editor of ‘The Coming Day, London’, wrote; “The phrase ‘Home Rule’ is a phrase of ill omen to the ruling classes of Great Britain. This ‘Home Rule’ was the demand of the Hindus. As against this, the Musalmans had consistently been following the policy of fidelity chalked out by Sir Syed Ahmad whose complete programme could be summed up in three words: **Education, Loyalty** to Britishers, **Opposition** to the Hindus.”<sup>15</sup>

The anti-partition agitation of Bengal was followed by a reign of repression. Heavy punishments were awarded for small or no fault. The Governor, Sir Bamfylde Fuller put all the forces of fury on the Hindu public of Bengal. Even John Viscount Morley said, “He is evidently

a shrewd, eager, impulsive, overflowing sort of man quite well fitted for government work of ordinary scope, but I fear, no more fitted to manage the state of things in East Bengal than am I to drive an engine.”<sup>16</sup>

Two boys were fined for singing *VandeMataram* in the streets of Mymensingh. Sir B. Fuller issued a circular calculated to prevent the Muhammadans from making a common cause with the Hindus. In it, the Divisional Commissioners and District Judges were asked to ‘fix a proportion which Mohammedans should constitute in the personnel of each office, and to instruct those who enjoyed the power of making appointments that so long as that quota was not reached they were not to reject Muhammedan candidates merely on the ground of comparative inferiority of qualification.”<sup>17</sup> In his zeal for favouring the Muslims, Fuller called the Muslims as his favourite co-wife, a remark that was resented by many self-respecting Muslims.<sup>18</sup> Consequently, there were bloody Hindu-Muslim riots in Bengal in which the Muslims committed all acts of brutality on the Hindu population. “At one place, some Muslims proclaimed by beat of drum that the Government had permitted them to loot the Hindus, while at another they publicly declared” that the Government had permitted the Muslims to marry Hindu widows in the *Nikah* form.”<sup>19</sup> The atrocities on Hindus of Bengal, both by the British government and by the Muslims, were numerous. Naturally, therefore, Hindus took to extreme methods against the British officials.

The Muslims League, which was then in cradle (formed in 1906), followed its chosen way of not making a common cause with the Hindus except under pressure of expediency. While the anti-partition agitationists criticized the Viceroy, Lord Curzon, the Muslim as a class eulogized him. The Aligarh Institute Gazette of May 9, 1904, stated, “One community of India deprecated completely the various acts of Lord Curzon...and this, perhaps because another community regards his period as the best one and Lord Curzon as the best Viceroy.”<sup>20</sup> But, despite all the odds, the anti-partition movement got stronger and stormy until the partition of Bengal was annulled in 1911. The rest is the fillip of communal unrest and hatred, culminating from communal divide to the bleeding partition of an ancient nation that was India

## REFERENCES

1. Jog, B.N., Threat of Islam, Unnati Prakashan, 1994, Purvanchal Navghar Marg, Mulund (E), Bombay-81, p. 1
2. Sitaramayya, Patabhi, History of Indian National Congress, Vol.-I, 1969, S. Chand & Co, Ram Nagar, New Delhi, P.5.
3. Ibid, p.8.
4. Ibid, pp.8-9.
5. Ibid, p.15.
6. Jog, B.N., op. cit., p.41.
7. Ibid, p.41
8. Sitaramayya, Patabhi, op. cit., p.44.
9. Jog, B.N., op. cit., p.42.
10. Ibid., pp. 50-51

11. Singh, Dr. NiharNandan, LokamanyaBalGangadharTilak, Congress Centenary Celebrations (1985), Committee, AICC, New Delhi, p.26
12. Edwardes,Micheal, Last Years of British India, NEL Mentor Edition,1967, New English Library, Barnard Inn, Halborn, Landon, ECI, pp.. 35-36.
13. Chand,Dr. Tara, History of Freedom Movement in India, vol. III, Publication Division, Government of India, 1972, p.313.
14. Ibid, p.317.
15. Bahadur, Lal, 'The Muslim League (Its History, Activities & Achievements) Agra Book Stores, 1954, Agra, p.56
16. Ibid,p.60
17. Ibid,p.61
18. Ibid,p.61
19. Ibid, p.61(*based on CY Chintamani's Indian Politics since the Mutiny*).
20. Ibid,p.65





# **INDIAN FEDERALISM AND REGIONAL PARTIES IN COALITION ERA (DURING THE PERIOD OF 1967-2005)**

**Dr. Archana Singh\***

**ABSTRACT-** The central argument of this paper is that during the coalition era of Indian politics the regional parties became more effective than the Congress party formed the Government at central level. In the first part the discussion about the nature of Indian federal system with its unitary features in the second part, the central point of discussion is - how federalism under the pressure of regional disparities, linguistic recognition of states, initiated not from the top but from the popular up surge at the bottom, was assertion of reality of Indian pluralism. In the third part the argument about the process was of course facilitated by changeover of Indian polity from one party dominant to regional party dominant and finally, to a coalition era.

Over the last decade Indian politics is marked by a struggle between two rival conceptions of the nation: one wants to establish a unitary nation that ought to be governed by a strong centre, the other argues that India is a social mosaic that can be sustained by a democratic and federal structure held in place by strong states. Strains between national and regional identity and the unsatisfactory functioning of federalism constitute the underlying base of these differences. At the heart of these differences are varying conceptions of modern India and the struggle to reconstitute the state and society in a more secular and federal direction, on the one hand and in a more conservative and unitary direction, on the other. At the time of constitution making, the leadership of the Congress and the constituent Assembly was firmly in the hands of those who believed in the necessity for a strong, centralized state in India. In the Indian federal system therefore, there is a considerable array of central powers in relation to the states and numerous unitary features.

**\*Associate Professor, Department Of Political Science, MMH College, Ghaziabad.**

They include the following: -

- 1- Separate lists of legislative powers for the centre and the states but with a concurrent list in which the centre may claim priority with residuary powers left to the union and with the power held in reserve in emergencies and other situations for the centre to legislate on matters contained in the state list.
- 2- The power of the centre to create new states and to revise the boundaries of or even eliminate existing federal units.
- 3- The retention by the centre of control over the most lucrative sources of taxation and the authority to collect certain taxes on behalf of the states to distribute the revenues among them.
- 4- the power of the centre to take over the administration of a state and declare president's rule under specified conditions that have been interpreted very broadly.
- 5- The power to declare a national emergency that in effect may convert country into unitary state.

Though founding fathers of the Indian constitutions were far sighted enough to opt for a federal setup, they were not entirely uninfluenced by then national mood, this is the reason that the word federal is not even mentioned in the constitution. India is called a union of the states and not a federation of the states. Thus, Indian constitution is generally described as federal with unitary features. It is federal because it provides duality of state and national governments with well-defined powers subject to the arbitration and authority of an independent judiciary. But role of governors, centre's emergency powers, financial dependence of the states on the centre, provision of discretionary grants and long concurrent list are some of the obvious unitary features. No other country has so many religions, linguistic and racial diversities as Indian has and has ever succeeded in maintaining its unity under the pressure of political forces.

The operation of Indian federal politics over the last five decades has basically given rise to three kinds of regional assertions with very - very different implications for adaptation in the polity. The first, mentioned earlier are militant movements in Kashmir, Punjab and Assam, directed against an overpowering centre and claiming varying degree of autonomy and independence from the Indian state. In at least two of these instances of political conflict, region and nation are on a collision course, representing a break in the accepted conception of a unified nation. The second type of regional assertion grounded in the distinctiveness and underdevelopment of regions – Uttarakhand, Chhattisgarh and Jharkhand demands autonomy within the Indian federal framework. The third are the regional assertions whose area of operation coincides with the federal territorial division of the union. In this category, can be grouped centre - state and inter - state conflicts, that is tensions in which the state government is the leading agent. These assertions, impelled as they are by an aspiration for change in centre - state relations and devolution of powers to the states are not quite

autonomy movements. In the fore front of demands for a greater voice in national policy and decision - making are TamilNadu, Andhra Pradesh, Karnataka, west Bengal and Assam.

There are other regional assertions which combined populargrievances with elements of political manipulation from above .Many of the leaders of regional movements seek to use their politicalauthority to accumulate wealth and power in order to become part ofthe regional economic elite .Besides the rural middle class farmerswhose interests are demarcated regionally significant section of theurban middle classes also benefit from greater decentralization ofpower, greater industrialization or investment of public resources ,or the state getting a greater share of central resources . State government employ millions of people and very often public employment exceeds that offered by large – scale industry. State -based linguistic exclusivity, articulated by the Shiv sena type of son- of - the - soil movement in Maharashtra or the Assam typemovement against the influx of foreigners favours the Urban middleclasses seeking government employment. These regional forcespromote regional political parties.

The emergence of these regional pressure should be seen in thebackground of the defeat of the congress in the 1967 elections andthe formations of non- congress governments in several states. Democratic functioning within the congress declined all through the1970s and 1980s just when democracy was assuming a newimportance in the polity and civil society. The discussion on centre -state relations in India in the 1990s is qualitatively different from the debates of 40 years of post – independence India. Theone-party dominant system of the congress has beenreplaced by a system of "coalitional governments" at the centre and"two - party system" in a large number of states in Southern IndiaWestern India and Eastern India. This decade also witnessed theemergence of temporary political coalitional arrangements at thelevel of the central government Midterm Lok Sabha elections had tobe held in 1991, 1998 and 1999. and every important regionalpolitical formation, group or leader has emerged as an important player in the formation, continuance or fall of the 1990s.

Example of individuals are Chandrababu Naidu of TelaguDesam Party, M. Karunanidhi of DMK, Jayalalitha of AIADMKand Mulayam SinghYadav of Samajwadi party and among theparties, Akali Dal and the national conferences. Although thecongress has been the only all India party in the real sense of theterm but in the 1990s the BJP has also been trying to emerge as anall-India national party. The BJP and the congress are involved in astruggle to capture the “Centre of political power” and both arefacing multiple challenges from powerful regional politicalformations which have come to "Power at the centre" through a"Coalitional System” of governance.

At last, the discussion so far as has centred roundempowerment of groups at various levels, national and Sub-national, both territorial and non – territorial. It is true thatindividuals seek protection of their rights and satisfaction of theirurges through groups. But it is equally true that, without adequatesafeguards the groups can be instrument of tyranny. Actually, a truefederalism must take all the vertical and horizontal dimension

of sharing of power, cultural and financial autonomy to territorial and non – territorial communities. For Example, several ongoing movements demanding separate states are anchored to a sense of deprivation based on regional disparity and underdevelopment within relatively homogenous linguistic states.

In conclusion as C.P. Bhambri said that the growing interstate or regional disparities are a very powerful threat to the authority of the central government to successfully intervene in inter – state disputes because of its own commitment to private investment led growth. It is not imaginary fear because in 2000, when the finance commission recommendations were in the process of implementation Chandrababu Naidu, the chief Minister of Andhra Pradesh, led a delegation of a few chief ministers of performing states to plead the cause of 'performers' who in their opinion should not bear the burden of "non - performing states". On the basis of this approach, we conclude that India has entered a dangerous decade in the 21<sup>st</sup> century because the central government is under siege from regional barons of India.

## REFERENCES

- 1- Bhambri. C.P. 2006 Globalization India'. Nation State and democracy, Shipra Publication, Delhi.
  - 2- Brass. R. Paul. 1993. 'The New Cambridge History of India IV-1: The politics of India since Independence'. Cambridge University Press.
  - 3- Chatterji, Rakhahari (ed.) 2001. Politics India. The State -Society Interface South - Asian Publishers New Delhi'.
  - 4- Oommen T.K. 2005. crisis and contention in Indian Society. Sage Publication, Delhi.
  - 5- Singh, M.P. & Saxena. Rekha (ed.) 1998. Ideologies and Institution in Indian Politics Deep & Deep Publishers Pvt.Ltd. Delhi
  - 6- Singh M.P. (2005). Indian Political System. Manal Publication Pvt. Ltd. Delhi.
- Journals: -
- Indian journal of federal studies.
- 1) Puri, Balraj. "Evolution of Indian federalism from weakness to strength. 26 July 2005 - 1
  - 2) Farasat. Shadan, The Doctrine of collective responsibility in the era of Coalition Governments. 26 July 2005 - 1
  - 3) Majeed, AKHTAR. Grey Arcs of Indian Federalism. 26 Dec. 2005 – 11



## स्कन्दपुराण में वर्णित उज्जयिनी माहात्म्य

डॉ० महिमा द्विवेदी

मानव जीवन में प्राप्तव्य चार पुरुषार्थ हैं— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थ चतुष्टय में सर्वप्रथम धर्म को स्थान दिया गया है। अर्थात् धर्मसम्मत अर्थ और धर्मसम्मत काम का आचरण आजीवन करते हुए व्यक्ति अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। किन्तु मोक्ष प्राप्त करना इतना भी सहज—सरल नहीं है —

“जनम जनम मुनि जतन कराहीं।

अन्त राम कहि आवत नाहीं।।”

किन्तु धन्य है यह भारत देश जहाँ ऐसे—ऐसे स्थान हैं, नगर हैं, जो कि मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पुराणों में सात नगरियों को मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है —

“अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः।।

महाकालः सरिच्छन्ना गतिश्चैव सुनिर्मला।

उज्जयिन्यां विशालाक्षी वासः कस्मै न रोचयेत्।।

स्नानं कृत्वा नरोयस्तु महानद्यां हि दुर्लभम्।

महाकालं नमस्कृत्य नरो मृत्युं न शोचयेत्।।”<sup>1</sup>

अर्थात् इन सात नगरियों में उज्जयिनी भी है, जिसे अवन्ति, अवन्तिका या कुशस्थली के प्राचीन नाम से जाना जाता है। इसके नामकरण के सम्बन्ध में स्कन्दपुराण के अवन्तिका खण्ड में व्यास और सनत्कुमार के सम्वाद के माध्यम से वर्णन प्राप्त होता है —

“यत्र क्षेत्रे मृतामर्त्याः सदाचारास्तयोत्तमा।

विमानस्थाः पुरे नूनमैश्वरे ते वसन्ति च।।

यत्र कीटपतंगाद्या मृता यान्ति परांगतिम्।

किं तीर्थं पुण्यमन्यच्चमहाकालमनादृते।।

तस्माद् ब्रूहि ममैकन्तु प्रश्नं तथ्येन साम्प्रतम्।

कुशस्थली कथं नाम तथावन्ती कथांस्मृता।।

पद्यावती कथं साधो कथमुज्जयिनीतथा।।”<sup>2</sup>

‘एसोसिएट प्रोफसर एवं विभागाध्यक्ष—संस्कृत, सन्त तुलसीदास पी0जी0 कालेज कादीपुर, सुलतानपुर।

स्कन्दपुराण के इस श्लोक से सिद्ध होता है कि इस उज्जयिनी नगरी में मृत्यु को प्राप्त होने वाले कीट पतंगादि भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो मनुष्यों की तो बात ही अलग है। इस अवन्तिपुरी अर्थात् उज्जयिनी नगरी के सम्बन्ध में स्कन्दपुराण में सन्दर्भ प्राप्त होता है कि एक बार त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। प्रसन्न हुए ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। उस वर की शक्ति के प्रभाव से त्रिपुरासुर देवताओं को अत्यधिक पीड़ित करने लगा। देवराज इन्द्र के नेतृत्व में देवता भगवान शंकर के समीप गये और भगवान शंकर ने उन्हें अवन्ति नगरी अर्थात् उज्जयिनी में जाकर तपस्या करने के लिए कहा, जिसका फल अक्षुण्ण होता है –

“श्रूयतां भो सुरश्रेष्ठाः ब्रह्मशक्रपुरोगमाः ।  
जयोपायं करिष्यामि दैत्यास्य दुरात्मनः ॥  
तपश्चरतं यूयं वा आत्मनो जयकांक्षिणः ।  
अवन्त्यां यद्भूतं दत्तं तत्सर्वचाक्षयं भवेत् ॥”<sup>3</sup>

तत्पश्चात् सभी देवताओं ने उज्जयिनी में जाकर देवी चामुण्डा की आराधना की और उनकी कृपा से त्रिपुरासुर को सरलतापूर्वक पराजित कर दिया। इस नगरी के प्रभाव से त्रिपुरासुर ‘उज्जित’ हुआ। अतः इस नगरी का नाम उज्जयिनी पड़ा, जैसा कि स्कन्दपुराण में उल्लेख प्राप्त होता है –

“उज्जितो दानवो यस्मात् त्रैलोक्ये स्थापितं यशः ।  
तस्मात्सर्वैः सुरश्रेष्ठैः ऋषिभिः सनकादिभिः ॥  
कृतं नामा अवन्ति वा उज्जयिनी पापनाशिनीम् ।  
अवन्ती च पुरा प्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा ॥  
अद्य प्रभृति पुरी व्यास उज्जयिनी समाश्रिताः ।  
येऽस्यां च स्नानदानादि भुवि कुर्वन्ति मानवाः ॥  
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् देहे तिष्ठति पापजम् ॥”<sup>4</sup>

अर्थात् इस उज्जयिनी नगरी में जो दान पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षुण्ण होता है।

स्कन्दपुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार देवासुर संग्राम के पश्चात् देवता लोग ब्रह्मा जी के समीप गये। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के समीप गये और वहाँ से भगवान विष्णु के दर्शनार्थ बैकुण्ठ गये। वहाँ इन्द्र के सहित सभी देवताओं ने श्री विष्णु की स्तुति की –

“नमोऽनन्ताय वृहते कूर्माय वै नमो नमः ।  
नृसिंहरूपायोग्राय नमो वाराहरूपिणे ॥  
राघवाय च रामाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ।  
वासुदेवाय शान्ताय यदुनांपतये नमः ॥”<sup>5</sup>

देवताओं की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की—

“श्रुणुध्वं भोः सुराः सर्वे यूयं चैकाग्रमानसाः ।  
महाकाल वने रम्ये ब्रह्मर्षिगण सेविते ॥  
तत्रपुण्यं पुरी ह्येका सर्वकामफलप्रदा ।  
नाम्ना कुशस्थली रम्या सिद्ध गन्धर्वसेविता ॥  
कल्पादौ कल्पमध्ये वा यत्र सन्निहितो हरः ।

कल्पक्षये क्षयं यान्ति स्थावराणि चराणि च ॥

तेषां बीजञ्च पुण्यञ्च जीव कर्माशयां तथा ।  
सर्वमादाय भगवान् शंकरः तत्र तिष्ठति ॥

ततो दशगुणा प्रोक्ता कुशस्थली च पुण्यदा ।  
उपराग सहात्राणि व्यतीपातयुतानि च ॥

तस्माद्धितकराः देवाः पुरी ह्येषा कुशस्थली ।  
अनन्तानन्त संख्यातं दान किञ्चित् कृतं नरैः ॥  
तत्सर्वं भोः सुरश्रेष्ठा सर्वतच्चक्षयं भवेत् ।  
तत्मात्सर्वं प्रयत्नेन यूयं यात हि मा चिरम् ॥  
क्षीण पुण्या भवन्तो वै बाधन्ते तेन वैऽसुराः ।  
मकालवने रम्ये पुरी ह्येषा कुशस्थली ॥  
तत्रगत्वा भवन्तो वै स्नानदानादिकं भुवि ।  
आचरध्वं सुविधिना पुण्यात्स्वर्गमवाप्स्यथ ॥”<sup>6</sup>

भगवान् विष्णु की इस आकाशवाणी को सुनकर और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए देवगण उज्जयिनी पहुँच गये, जैसा कि स्कन्दपुराण में उल्लेख प्राप्त होता है –

“पुनर्जन्मुः सुराः सर्वे यत्र मालेश्वरम् वनम् ।  
पुरीञ्चैव द्विजश्रेष्ठ! सर्वकाम फलप्रदाम् ॥  
चातुर्वर्ण्यं समाकीर्णमृषिगन्धर्वं सेवितम् ।  
पुण्यवद्भिर्जनैः पुण्याःसिद्धचारणं सेवितम् ॥”<sup>7</sup>

तत्पश्चात् सभी देवता महाकालेश्वर वन गये, जहाँ सभी वर्णों के लोग स्वधर्मनिरत थे। इस नगरी का बड़ा ही सुन्दर वर्णन इस पुराण में प्राप्त होता है –

“दरिद्रा न जड़ोमूर्खो न रोगी न च मत्सरी ।  
न व्याधितो नापवादीजनः क्वचिदपि दृश्यते ॥  
दान्ताः शान्ताः सुशीलाश्च जरारोग विवर्जिताः ।  
स्वधर्मनिरता नित्यं सदाचार अतिथिप्रियाः ॥  
नरा यत्र निवसन्ति नार्यश्चैव पतिव्रताः ।  
महोत्सवः सुगीतानि हव्यं कव्यं गृहे गृहे ॥  
इदृशीं च पुरीं दृष्ट्वा देवा हर्षं परं गताः ।  
तत्रतीर्थं समाख्यातं नाम पैशाचमोचनम् ॥  
पुण्यवद्भिः सदासेवयं सर्वतीर्थं निषेवितम् ।  
तस्मिन् स्नात्वा च जपत्वा च हुत्वा दत्त्वा च देवता ॥



पुण्यं चाक्षयं लब्ध्वा पुनर्याताः सुरालयम्।

जित्वाऽसुरान् महादुष्टान् स्थानं प्राप्ताः स्वकं स्वकं।।<sup>8</sup>

अर्थात् इस उज्जयिनी नगरी में कोई भी व्यक्ति दुखी, दरिद्र, मूर्ख, मत्सरयुक्त, रोगी, अपकारी नहीं था। अपितु रागादिरहित, विनम्र, धर्मनिरत, सदाचारी तथा अतिथिसेवी था। प्रतिदिन प्रत्येक घर में देव और पितृकर्म होते थे तथा उत्सवों का आयोजन होता था। उसी नगरी में पैशाचमोचन नामक तीर्थ भी था। इस प्रकार की उस पवित्र नगरी को देखकर देवता अति आनन्दित हुए तथा उस नगरी में जप, दान तपादि का अनुष्ठान करके अक्षयफल को प्राप्त होकर स्वर्ग चले गये तथा दुष्ट दानवों का वध करके अपने-अपने स्थान पर सुशोभित हुए। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति इस नगरी में जप तप, पूजा पाठादि करता है, उसका फल अक्षय होता है। तत्पश्चात् सनत्कुमार ने महर्षि व्यास से इस नगरी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया—

“येऽस्यां कुर्युः महाभागाः स्नानं दानं तथार्चनम्।

हवनं तर्पणं पितृ तत्सर्वं स्यात् अनन्तकम्।।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन एतत्कार्यं सदाबुधैः।

देवतीर्थोषधोबीज भूतानां चैव पालनम्।।

कल्पे कल्पे च यसयां वै तेवावन्तिपुरी स्मृता।

अघप्रभृति पुरी ह्येषा नाम्नावन्ती कुशस्थली।।

इत्युक्त्वा वै तदा देवाः स्वधामं परमं गताः।

तदारभ्य द्विज श्रेष्ठ! हयवन्ती भुवि विश्रुता।।”<sup>9</sup>

उज्जयिनी नगरी में शिप्रा नदी भी है जिसके माहात्म्य का वर्णन भी स्कन्दपुराण में प्राप्त होता है। एक बार भिक्षार्थी शिव बैकुण्ठलोक को गये। भिक्षादान के समय भगवान विष्णु की उँगलियाँ भगवान शंकर के त्रिशूल के आघात से चोटिल हो गयीं और खून बहने लगा। वह रक्तधारा अधिक वेग को प्राप्त हुई और वही धारा ‘शिप्रा’ नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई —

“तदांगुली समुद्भमतं बहुसुस्त्राव शोणितम्।

तेनाशुपात्रं तत्पूर्णं शंकरस्य करे स्थितम्।

सा वै धारा जाता समन्ततः।

तत्र स्थाने समुद्भूता शिप्राऽसृग्धारसम्भवा।।

बैकुण्ठेचाभवत्सद्योनदी त्रैलोक्य पावनी।

एवं शिप्रा सरित् श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु विश्रुता।।”<sup>10</sup>

इसी उज्जयिनी नगरी में संदीपन ऋषि का आश्रम था जहाँ द्वापर युग में कृष्ण और बलराम ने आकर शिक्षा प्राप्त की थी। यही नगरी ज्योतिष शास्त्री वराहमिहिर का भी निवास स्थान थी तथा इतिहास प्रसिद्ध महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी भी थी। इसी नगरी में महाकवि कालिदास ने विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजित होकर महाकालेश्वर वन में काली देवी की उपासना कर विद्वता प्राप्त की। एक अन्य दृष्टि से भी इस नगरी का महत्व है। देवासुर संग्राम में समुद्र-मन्थन से निकले अमृत कलश की बूँदें जिन चार स्थानों पर पड़ीं, उनमें यह नगरी भी है— हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जयिनी। इन नगरियों में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन तथा प्रत्येक बारहवें वर्ष कुम्भ का मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि प्रलय-काल में भी यह नगरी लय को नहीं प्राप्त होती, क्योंकि यह भगवान महाकालेश्वर की नगरी है। यह भगवान महाकाल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं — “उज्जयिन्यां महाकालम्”

## सन्दर्भ

1. स्कन्दपुराण, आवन्त्य महात्म्य, 36 अ०, 17–19,
2. स्कन्दपुराण, 40 अ०, 05,
3. स्कन्दपुराण,
4. स्कन्दपुराण,
5. स्कन्दपुराण, 40 अ०, 12–13,
6. स्कन्दपुराण, 40 अ०, 13–30,
7. स्कन्दपुराण, 40 अ०, 32–33,
8. स्कन्दपुराण, 42 अ०, 35–39,
9. स्कन्दपुराण, 42 अ०, 40–43,
10. स्कन्दपुराण, 40 अ०, 17–19,



## अयोध्या जनपद में कृषि विकास में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका तथा रणनीति का एक अध्ययन

डॉ० श्याम बहादुर सिंह

शोध-सार

कृषि यंत्रीकरण समय पर कृषि कार्यों को करने के लिए कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। संचालन की लागत को कम करना, महंगे निवेशों (बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, पानी और कृषि मशीनरी) की उपयोगिता दक्षता को अधिकतम करना, उपज की गुणवत्ता में सुधार, कृषि कार्यों में कठिन परिश्रम कम करना, भूमि और श्रम की उत्पादकता में सुधार और श्रम की गरिमा में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मशीनीकरण की रणनीति उस क्षेत्र की स्थितियों और संसाधनों के आधार पर भिन्न होगी। अयोध्या जिले क्षेत्र के लिए कृषि मशीनीकरण रणनीति का सुझाव भूमि धारण पैटर्न, क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, कृषि पर निर्भर जनसंख्या, इस क्षेत्र में अपनाई जा रही महत्वपूर्ण फसल प्रणाली, कृषि बिजली की उपलब्धता और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुझाया गया है। कृषि मशीनीकरण और कृषि प्रसंस्करण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना कृषि यंत्रीकरण के बाद आसान हो जाता है।

**मुख्य शब्द:** अयोध्या, सरयू नदी, कृषि मशीनीकरण, कृषि प्रसंस्करण, भूमि, कृषि यंत्रीकरण

### परिचय

देश में कृषि मशीनीकरण एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह महसूस किया गया है कि कृषि मशीनीकरण की प्रक्रिया को फिर से देखने और फिर से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इसमें प्रभावी रूप से छोटे और सीमांत किसान शामिल हों (अग्रवाल, 1983)। देश में कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम उपलब्ध कृषि शक्ति संसाधनों के इष्टतम उपयोग और कृषि बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से आईसीएआर प्रणाली द्वारा निर्देशित किए गए हैं (सिंह, 1999)। खाद्यान्न और अन्य खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि यंत्रीकरण का विस्तार अपरिहार्य होता जा रहा है (श्रीवास्तव, 1999)। मसौदा जानवरों की संख्या में अनुमानित कमी ने कृषि मशीनीकरण रणनीति को उपयुक्त रूप से फिर से तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। कृषि का आधुनिकीकरण आज की महती आवश्यकता है। कृषि के एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, सन्त तुलसी दास पी० जी० कालेज कादीपुर, सुल्तानपुर।

आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में मशीनीकरण को दुनिया भर में अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है (वत्स, 2013)। यांत्रिक शक्ति और उन्नत उपकरणों और उपकरणों की उपलब्धता ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जैसे राज्यों को भूमि उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। यही ट्रेंड दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट होना चाहिए। कृषि बिजली की उपलब्धता और उत्पादकता के बीच घनिष्ठ संबंध है (सिंह, 2001)। कृषि उत्पादन में वृद्धि अक्सर उन्नत फसल किस्मों की शुरुआत और एक इष्टतम वातावरण बनाने से होती है जैसे कि पौधे और जानवर अपनी पूरी क्षमता (सिंह, 2000 ए) विकसित कर सकते हैं। किसी फसल को रोपने, उसकी देखभाल करने और कटाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली और उपयुक्त उपकरणों और उपकरणों की आवश्यकता होती है (पांडे, 2000)। खेती के मशीनीकरण ने उस क्षेत्र में वृद्धि की अनुमति दी है जिसे लगाया जा सकता है और बढ़ी हुई पैदावार में योगदान दिया है, मुख्य रूप से उस सटीकता के कारण जिसके साथ फसल पालन कार्य पूरा किया जा सकता है (गजरी एट अल., 2002)। वास्तव में, विकासशील देशों में अधिकांश किसान उर्वरक, बीज या कृषि रसायनों की तुलना में कृषि बिजली के आदानों पर अधिक वार्षिक व्यय का अनुभव करते हैं (गीते, 2003)।

### **मशीनीकरण स्थायी कृषि में मदद करता है**

कृषि उत्पादकता नई प्रौद्योगिकियों, मशीनीकरण, रासायनिक उपयोग, विशेषज्ञता और सरकारी नीतियों के कारण बढ़ी है जो उत्पादन को अधिकतम करने के पक्ष में हैं (पीटर, 1983)। हालांकि इन परिवर्तनों के कई सकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप ऊपरी मिट्टी का क्षरण, भूजल की कमी और संदूषण, कृषि श्रमिकों के रहने और काम करने की स्थिति में गिरावट, उत्पादन की उच्च लागत और ग्रामीण समुदायों में आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का विघटन हुआ (अग्रवाल, 1983; सिंधु और ग्रेवाल, 1991; सिंह, 2001)। इस तरह की कृषि प्रथाओं पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और किसान समुदाय और अन्य ग्रामीण आबादी इन पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए स्थायी कृषि करना चाहती है और किसानों, कृषि श्रमिकों, उपभोक्ताओं, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के लिए अभिनव और आर्थिक रूप से व्यवहार्य अवसर हैं। कृषि उत्पादन प्रणाली (श्रीवास्तव, 1999; कर्मकार एवं अन्य 2001)। स्थायी कृषि की अवधारणा को परिभाषित करने वाले विचार, प्रथाएं और नीतियां अभी भी विकसित हो रही हैं (रिजवी, 1989; जोशी, 1998; श्रीवास्तव, 2002)। यह तीन मुख्य लक्ष्यों को एकीकृत करता है अर्थात्; पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक और आर्थिक समानता (एफएओ, 1997)। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना भविष्य की पीढ़ियों को वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना चाहिए (सिंह, 1999; सिंह, 2001)। इसलिए, प्राकृतिक और मानव संसाधनों दोनों का प्रबंधन प्रमुख महत्व रखता है। मानव संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार करना शामिल है जैसे कि खेत श्रमिकों के काम करने और रहने की स्थिति, ग्रामीण समुदायों की जरूरतों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा, वर्तमान और भविष्य दोनों में। भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में इस महत्वपूर्ण संसाधन आधार को लंबे समय तक बनाए रखना या बढ़ाना शामिल है (सिंह, 2001)। स्थिरता को समझने के लिए एक सिस्टम आवश्यक है। इसमें व्यक्तिगत खेत, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय शामिल हैं जो इस कृषि प्रणाली से स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रभावित होते हैं, स्थानीय और विश्व स्तर पर (कर्मकार एवं अन्य 2001)। एक प्रणाली दृष्टिकोण हमें खेती और पर्यावरण के अन्य पहलुओं के बीच अंतर्संबंधों का पता लगाने के लिए उपकरण देता है। इसका तात्पर्य शोधकर्ताओं, किसानों, कृषि श्रमिकों, उपभोक्ता, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों से अनुसंधान और शिक्षा में अंतर-अनुशासनात्मक प्रयासों से भी है जो कृषि पूर्व और बाद की उत्पादन प्रणाली में शामिल हैं। टिकाऊ कृषि में परिवर्तन करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे लेकिन यथार्थवादी

कदमों की एक श्रृंखला शामिल है (बरार, 1998; जोशी, 1998; मंडल एवं अन्य )। टिकाऊ कृषि के लक्ष्य की प्राप्ति प्रणाली में सभी प्रतिभागियों की जिम्मेदारी है, जिसमें किसान, कृषि कार्यकर्ता, नीति निर्माता, शोधकर्ता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता और अन्य हितधारक शामिल हैं (कर्मकर एवं अन्य।, 2001)। टिकाऊ कृषि को मजबूत करने के लिए प्रत्येक समूह की अपनी भूमिका होती है। कृषि यंत्रीकरण सतत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है (वत्स, 2013)।

### समस्या का कथन

भारतीय ग्रामीण समान आज भी परम्परागत कृषि प्रणाली को अपनाए हुए है। आर्थिक समस्या के चलते यह समस्या अक्सर समाने आती रहती है। परन्तु यह एक समाजिक परम्परा के कारण भी है। क्योंकि ग्रामीण समाज अपनी रुढ़ियों शिक्षा, जागरूकता इत्यादि के कारण कृषि प्रणाली बदलने को तैयार नहीं है और कृषि में यंत्रीकरण को अपनाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। कृषि यंत्रीकरण न अपनाने के अन्य कारणों में जोत का छोटा आकार, गरीबी, अधिका, यंत्र की अनुपस्थिति, तकनीकी ज्ञान का अभाव भी है। जिससे यंत्रीकरण न होने के कारण उचित कृषिगत लाभ प्राप्त नहीं होता है। इससे कृषि विकास प्रभावित होता है, और ग्रामीण विकास अवरुद्ध होने लगता है परन्तु वर्तमान समय में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह अपर्याप्त सबित हो रहा है।

### अध्ययन क्षेत्र


अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर वसा एक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह अयोध्या जिले और अयोध्या डिवीजन का मुख्यालय है। अयोध्या जिसे साकेत के नाम से भी जाता जाता है। अयोध्या प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसकी औसत ऊंचाई 93 मीटर (305 फीट) है। भगवान श्री राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या (अवधपुरी) को हिंदुओं के लिए सात सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों (मोक्षदायिनी सप्त पुरी) में से पहला माना जाता है।

### अयोध्या कहाँ स्थित है?

अयोध्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नई दिल्ली से 1,222 किमी की दूरी पर एक सीधी रेखा में स्थित है। राज्य मुख्यालय से 135 किमी पूर्व में स्थित है।

### अयोध्या जिला एक नजर में

- क्षेत्रफल: 2,522 वर्ग। किमी.
- जनसंख्या: 24,70,996
- भाषा: अवधी
- गांव: 1,272
- पुरुष: 12,59,628
- महिला: 12,11,368



अयोध्या जिले की स्थलाकृति में जलोढ़ मिट्टी, रेत, बजरी शामिल है। पहाड़, पठार और अन्य भौगोलिक स्थलाकृतियाँ अनुपस्थित हैं क्योंकि पूरा जिला गंगा के मैदान से संबंधित है। स्थल का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहा सरयू(घघरा) प्रमुख नदी है।

### उद्देश्य

अयोध्या जिले में कृषि विकास में कृषि यंत्रीकरण के योगदान का आकलन करना जिससे कृषि यंत्रीकरण का ग्रामीण विकास पर प्रभाव आत्मसातीकरण, निर्भरता का आकलन कर उससे सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।

### अयोध्या जिले में कृषि क्षेत्र का संक्षिप्त परिदृश्य

कृषि क्षेत्र इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2020 में अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्र रह रहे अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर थे। हमारी सामाजिक संरचना के कारण जिसमें किसी व्यक्ति की भूमि उनके बच्चों में विभाजित हो जाती है, भूमि जोत छोटी और छोटी होती जा रही है। अयोध्या जिले में, औसत परिचालन जोत का आकार 0.86 हेक्टेयर से घटकर 0.68 हेक्टेयर हो गया। 2020 तक यह और घटकर लगभग 0.57 हेक्टेयर हो जाएगा,। एक तरफ जहां हर साल अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ रही है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है।

### अयोध्या जिले में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी के प्रकार और फसलें

इस क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़-व्युत्पन्न मिट्टी ज्यादातर खादर (हाल ही में जलोढ़) और बांगर (पुरानी जलोढ़) हैं। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी अत्यधिक शांत है। मिट्टी गहरी, दोमट और कार्बनिक पदार्थ सामग्री में उच्च है (मंडल एवं अन्य, 1999)। खरीफ मौसम में चावल, मक्का, अरहर, मूंग की फसलें आम हैं। बरसात के बाद (रबी) मौसम में गेहूं, मसूर, बंगाल चना, मटर और तिल और कुछ स्थानों पर मूंगफली को एक या दो पूरक सिंचाई (दास, 2012) के साथ मिट्टी की अवशिष्ट नमी पर उगाया जाता है। क्षेत्र की महत्वपूर्ण नकदी फसलें गन्ना, आलू, मिर्च, हल्दी और धनिया पूरक सिंचाई के साथ हैं। चावल-गेहूं फसल प्रणाली अधिक प्रमुख है (वेलायुथम एट अल, 1999)। आम, अमरुद, लीची, केला और साइट्रस, आलू, टमाटर, फूलगोभी और गोभी जैसी ज्यादातर खेती की जाने वाली फसलें महत्वपूर्ण हैं। 2009-10 में अयोध्या जिले में उर्वरक की औसत खपत 130.44 किलोग्राम/हेक्टेयर राष्ट्रीय औसत 90.12 किलोग्राम/हेक्टेयर के मुकाबले। (केवीके, 2013)।

### अयोध्या जिले में जलवायु और वार्षिक वर्षा

अयोध्या की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। अयोध्या में औसत तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस है व 77.0 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ वर्षा लगभग 1135 मिमी है व प्रति वर्ष 44.7 इंच। भारत में अयोध्या घूमने का सबसे अच्छा समय जनवरी से अप्रैल और जुलाई से दिसंबर तक है, जब आपका तापमान बहुत गर्म और कम बारिश तक सीमित रहेगा। अयोध्या में उच्चतम औसत तापमान मई में 42 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में सबसे कम 21 डिग्री सेल्सियस है। अयोध्या में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रचलित है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अयोध्या में औसत तापमान क्या है या जब अधिकांश वर्षा (बारिश या हिमपात) होती है, तो आप नीचे एक त्वरित अवलोकन पा सकते हैं। इस तरह, आप अच्छी तरह से तैयार हैं। हमारा औसत मासिक जलवायु डेटा पिछले 30 वर्षों के डेटा पर आधारित है।

### सिंचित क्षेत्र और सिंचाई का स्रोत

2019 में अयोध्या में खाद्यान्न के तहत लगभग 64.9% क्षेत्र सिंचित था। सिंचाई के स्रोतों में, नलकूप सिंचाई का क्षेत्र उच्च (58-74%) था, उसके बाद नहर सिंचाई का स्थान था।

### उपलब्ध बुनियादी सुविधाएँ :

#### कृषि उपकरणों और मशीनरी के लिए महत्वपूर्ण बाजार

ट्रैक्टर और पंप सेट के सभी बड़े निर्माताओं के पास अयोध्या जिले के बड़े जिले में उनके शो रूम / डीलर हैं। लगभग हर जिले में विभिन्न प्रकार के उपकरण और मशीनरी बनाने वाले कुछ निर्माता हैं, लेकिन अयोध्या जिले में स्थित कृषि मशीनरी के निर्माण और बिक्री के लिए बड़े बाजार हैं (दास, 2012)। अन्य राज्यों और अन्य राज्यों से विशेष उपकरण खरीदे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी के उत्पादन के लिए अच्छा विनिर्माण आधार होने के बावजूद, कई जिलों में उनकी उपलब्धता बहुत संतोषजनक नहीं है। क्षेत्र के अधिकांश निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है (जेडपीडी, 2012)।



### **विस्तार और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाएं**

इस क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र, आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, अयोध्या जिले में स्थित है। इन संगठनों और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे किसान प्रशिक्षण केंद्रों में किसानों, कृषि महिलाओं, यांत्रिकी और स्कूल छोड़ने वालों के प्रशिक्षण के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ये सभी प्रशिक्षण बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी के संचालन, रखरखाव और मरम्मत से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाएं लगभग अनुपस्थित हैं और इसे पर्याप्त रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि बिजली से चलने वाली मशीनरी की आबादी तेजी से बढ़ रही है (दास, 2012)।

### **कृषि उपकरणों के लिए उपलब्ध सब्सिडी**

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध है। यह सब्सिडी राज्य सरकारों की सूक्ष्म प्रबंधन योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों जैसे पम्पसेट, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर इत्यादि के क्रय पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

### **कृषि इंजीनियरिंग कार्यक्रमों की निगरानी**

देश और राज्य में कृषि इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के निष्पादन और निगरानी के लिए बुनियादी ढांचा बहुत अच्छी नहीं है (पीटर, 1993)। कृषि निदेशालय में कृषि इंजीनियरों के कुछ पद हैं, लेकिन वे अत्यधिक अपर्याप्त हैं और व्यावहारिक रूप से इस निदेशालय में क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण कार्यक्रमों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, प्रशिक्षण, प्रचार और निगरानी पर बहुत कम गतिविधि है। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए बजट आवंटन भी बहुत कम है।

### **क्षेत्र में किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरण**

अधिकांश किसान जानवरों द्वारा खींचे गए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं (सिंह, 2001; श्रीवास्तव, 2002)। पिछले 10 वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र में ट्रैक्टरों की आबादी में काफी वृद्धि हुई है और बिजली मशीनरी का उपयोग अब लोकप्रिय हो रहा है (सिंह, 2000ए, सिंह, 2000बी; सिंह, 2004)। अयोध्या जिले में ट्रैक्टर और पावर टिलर की औसत वार्षिक बिक्री ट्रैक्टर और पावर टिलर (मंडल और मैती, 2013; सरकार, 2013) से अधिक थी। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अन्य बिजली मशीनरी की कस्टम हायरिंग लोकप्रिय हो रही है (नायर, 2002)।

### **कृषि मशीनीकरण रणनीतियाँ**

2020 तक कृषि मशीनीकरण के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए, उस समय के परिदृश्य और कृषि क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिन चुनौतियों का सामना करना है, उनकी कल्पना करना महत्वपूर्ण है।

### **कृषि शक्ति के लिए रणनीतियाँ**

इस क्षेत्र में, हालांकि अत्यधिक आबादी है, कम लागत पर समय पर और सटीक क्षेत्र संचालन के लिए और महंगे इनपुट (बीज, उर्वरक, पौधे संरक्षण रसायन, पानी, मशीनरी इत्यादि) की उपयोग क्षमता को अधिकतम करने और प्राकृतिक संरक्षण के लिए बिजली खेती को उत्तरोत्तर अपनाना चाहिए। 2020 तक अयोध्या जिले में मोबाइल और स्थिर फार्म संचालन के लिए पर्याप्त कृषि शक्ति की उपलब्धता को वर्तमान स्तर से बढ़ाया जाना चाहिए। पानी उठाने, थ्रेसिंग, भूसी काटने, गन्ना कुचलने, सफाई, ग्रेडिंग और अन्य कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन जैसे स्थिर कार्यों के लिए। गतिविधियों, पर्याप्त विद्युत ऊर्जा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को प्रतिदिन कम से कम 16–20 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले। यदि ग्रिड बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके विकेन्द्रीकृत बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### उन्नत कृषि उपकरण और मशीनरी

इस क्षेत्र की फसल प्रणाली की वार्षिक उपज क्षमता का आकलन किया गया है। इनपुट के उचित स्थान के लिए उन्नत किस्मों, उर्वरकों की उच्च खुराक और गजरी सटीक उपकरणों को अपनाकर इन फसलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पूरे क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कड़ी मेहनत और अन्य बारहमासी खरपतवारों को तोड़ने के लिए गहरी जुताई के लिए उप-मृदा और उपकरण लगाए जाने चाहिए। समय पर कृषि संचालन के लिए, संचालन की लागत में कमी और जुताई और बुवाई/रोपण/रोपाई कार्यों में ऊर्जा की बचत, संरक्षण जुताई तकनीक (ड्रिल तक शून्य को बढ़ावा देना, ड्रिल तक पट्टी, रोटो-ड्रिल, टिल-प्लांट मशीन, उठे हुए बेड प्लांटर्स, रिजर सीडर आदि) और सभी फसलों के लिए सटीक ड्रिल, प्लांटर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। वर्तमान में, धान की रोपाई और गन्ना और कई अन्य फसलों के रोपण का मशीनीकरण बहुत निम्न स्तर पर है। उपयुक्त मशीनों को लाना और लोकप्रिय बनाना होगा। कपास और अन्य फसलों के लिए चेक रो प्लांटर्स लगाना होगा। प्लांटर्स/ट्रांसप्लांटर्स में कमियों की पहचान करने और बीजों/पौधों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पेश करने और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता होगी। उपलब्ध मानव और पशु ऊर्जा का कुशल उपयोग करने के लिए, उन्नत, कुशल और एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किए गए हाथ उपकरण और विभिन्न कार्यों जैसे कि बीज बिस्तर तैयार करना, बुवाई / रोपण, निराई / अंतरसांस्कृतिक संचालन आदि के लिए पशु संचालित उपकरण को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना चाहिए।

### परिणाम और चर्चा

विभिन्न कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने और उच्च उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए इनपुट के सटीक अनुप्रयोग और महिलाओं सहित कृषि श्रमिकों के कठिन परिश्रम को कम करने के लिए कृषि उपकरण और उपकरण की आवश्यकता होती है। भारत में 80% कृषि जोत एक हेक्टेयर से कम है और स्रोत के अनुसार, वर्तमान बिजली का उपयोग 65% यांत्रिक, 21% विद्युत, 8% पशु और 65% मानव, क्रमशः (डी, 2000) है। उच्च आय (मित्तल और भाटिया, 1988) प्राप्त करने के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उचित मिश्रण का उपयोग करके उत्पादन कृषि, कटाई के बाद के प्रबंधन और मूल्यवर्धन के लिए उपयुक्त और चयनात्मक मशीनीकरण की आवश्यकता है। जबकि मशीनीकरण से कृषि उत्पादन में 10–15% की वृद्धि होगी, कटाई के बाद के प्रबंधन में नुकसान को कम करके 5–10% अधिक जोड़ा जा सकता है (सिंह,

2000ए)। उत्पाद और प्रसंस्करण के स्तर के आधार पर, उप-उत्पादों सहित कृषि-उत्पादों में मूल्यवर्धन की अपार संभावनाएं हैं, 25–400%।

### बागवानी फसलों का मशीनीकरण

बाग फसलों के मशीनीकरण के लिए उपकरणों के पूरे सेट-गड्ढे बनाना, पौधों की रोपाई, छंटाई, लंबी फसलों में छिड़काव, फलों की कटाई आदि की पहचान / आयात / डिजाइन, परिचय और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है (दिल्लों और सिंधु, 1987; बराड़, 1998; पांडे, 2000)। सब्जियों की फसल के उत्पादन को मशीनीकृत किया जाना है जिसके लिए बीज बिस्तर तैयार करने, रोपण, रोपाई की रोपाई, इंटरकल्चर, सिंचाई, छिड़काव कटाई, कटाई / खुदाई से लेकर उपकरणों का पूरा सेट पहचाना/डिजाइन और पेश किया जाना है (ओजमेरी और बरुत, 1998) फल, सब्जियां और फूल उगाने और बगीचों में काम करने के लिए पौध उगाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के मैनुअल रूप से संचालित और बिजली से चलने वाले उद्यान उपकरणों को पेश करना और लोकप्रिय बनाना होगा (अग्रवाल, 1983)। प्लास्टिक गीली घास का उपयोग पानी की आवश्यकता को कम करता है और खरपतवार की वृद्धि को रोकता है। प्लास्टिक मल्व बिछाने के लिए उपकरण, सब्जियों की खेती के लिए कम प्लास्टिक की सुरंगें, कटे हुए फूल आदि को शुरू करने और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता होगी (प्रसाद और श्रीवास्तव, 1993)। ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी में भारत में रोपाई, फूल, उच्च मूल्य की बेमौसमी सब्जियों और कुछ फलों की फसलों को उगाने की अच्छी गुंजाइश है। इस तकनीक को और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। ग्रीन हाउस में खेती के मशीनीकरण के लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी (पाटिल और सिरौही, 1987)।

### निष्कर्ष

उपयुक्त उपकरणों और प्रौद्योगिकी के रूप में इंजीनियरिंग हस्तक्षेप कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता को स्थायी आधार पर और कृषि श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए न्यूनतम कठिन परिश्रम के साथ अधिकतम करने में सुविधा प्रदान करता है। कृषि उत्पादन, मूल्यवर्धन और विपणन में अधिक तालमेल के लिए किसानों, विस्तार कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों, कृषि व्यवसाय कंपनियों, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी छोड़ने की आवश्यकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों और अनुभवों के प्रभावी उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान केंद्रों की आवश्यकता है। मौजूदा विस्तार प्रणालियों को बेहतर प्रौद्योगिकियों के त्वरित वितरण के लिए उत्पादन से खपत तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संबोधित करने और क्षेत्र, समय, इनपुट और ऊर्जा की प्रति यूनिट शुद्ध मौद्रिक रिटर्न बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता का विवेकपूर्ण दोहन करने की आवश्यकता है।

### संदर्भ

- मंडल, एस.के. और मैती, ए. 2019. भारतीय ट्रैक्टर उद्योग के वर्तमान रुझान: एक महत्वपूर्ण समीक्षा। एप्लाइड साइंस रिपोर्ट। 3(2): 2013: 132–139।
- मित्तल, वी.के. और भाटिया, बी.एस. 2019. कम लागत वाले कृषि यंत्रीकरण – भारत में हरित क्रांति में इसकी भूमिका। में: ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर ब्लूट अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, इलोरिन, 5–10 सितंबर, 1988। 88–99।

- समझौता ज्ञापन। 2019. कृषि मशीनीकरण नीति मसौदा रिपोर्ट। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भारत। 25–32.
- नायर, पी.के.के. 2019. ट्रैक्टरों का विश्वसनीय प्रभाव। भारतीय कृषि का हिंदू सर्वेक्षण। पब। कस्तूरी एंड संस लिमिटेड, नेशनल प्रेस, कस्तूरी बिल्डिंग्स, चेन्नई। 7–8.
- ओज़मर्जी, ए. और बरुत, जेड.बी. 2019. अंतर्ह्रा क्षेत्र और तुर्की में सब्जी उत्पादन में मशीनीकरण स्तर। एशिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका (एएमए) में कृषि यंत्रीकरण। 29(1): 43–46.
- पांडे, एम.एम. 2018. ऊर्जा कुशल उपकरण पैकेज और उनके कस्टम हायरिंग के लिए आवश्यकताएं –कृषि इंजीनियरिंग टुडे। 24(6): 1–21.
- पंगोत्रा, पी.एन. 2018. भारत के लिए कृषि मशीनीकरण की स्थिति पर देश की रिपोर्ट। एशिया में कृषि मशीनीकरण, एशिया उत्पादकता परिषद, टोक्यो। 287–328.
- पाटिल, ए.एस. और सिरौही, ए.एस. 2018. अहमदनगर जिले, भारत के एक सिंचित क्षेत्र में रोजगार, उत्पादकता और आय पर ट्रैक्टरीकरण के प्रभाव, एशिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका (एएमए) में कृषि मशीनीकरण। 18(3): 36–40।
- पीटर, ई.सी. 2018. कृषि मशीनीकरण में तेजी लाने का प्रस्ताव। कृषि इंजीनियरिंग आज, 17(3–4): 68–72।
- प्रसाद, जे. और श्रीवास्तव, एन.एस.एल. 2017. उत्पादन, उत्पादकता, आय और रोजगार सृजन पर कृषि मशीनीकरण का प्रभाव। कृषि इंजीनियरिंग आज। 15(1–6): 1–23.
- रिज्क, ए.जी. 2017. कृषि यंत्रीकरण नीति और रणनीति। एशियाई उत्पादकता संगठन, टोक्यो। 25–35.
- सरकार, ए। 2013। भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन और बिक्री, 1989–2009। कृषि अध्ययन की समीक्षा। 56–77.
- सिंधु, आर.एस. और ग्रेवाल, एस.एस. 1991। कृषि मशीनीकरण वीजा–पंजाब कृषि में मानव श्रम रोजगार। एशिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका (एएमए) में कृषि यंत्रीकरण। 22(3): 67–72.
- सिंह, जी। 1999। 2000 में कृषि इंजीनियरिंग। योजना, नवंबर। 43(11): 10–15.
- सिंह, जी. 2000ए. भारत में कृषि का आधुनिकीकरण (भाग–१)कृषि यंत्रीकरण। भारत में कृषि की स्थिति, जनवरी। 25–32.
- सिंह, जी. 2000बी. भारत में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों का विकास पैटर्न और प्रदर्शन विशेषताएँ। जर्नल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स (यू.के.), लैंडवर्ल्स, सिंगर। 17–25.
- सिंह, जी. 2001. भारत के विभिन्न भागों में मशीनीकरण और कृषि उत्पादकता के बीच संबंध। एशिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका (एएमए) में कृषि यंत्रीकरण। 32(2): 68–76.
- सिंह, जी. 2004. भारत में कृषि मशीनरी उद्योग (विनिर्माण, विपणन और मशीनीकरण प्रचार), केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल, पीपी। 12–18।
- सिंह, जी. और भारद्वाज, के.सी. 1985. कृषि मशीनरी और निर्माताओं की निर्देशिका, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल, पीपी। 18–25।
- सिंह, एस. और सिंह, जे. 2002. कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता पर शोध डाइजेस्ट। तकनीकी बुलेटिन, कृषि शक्ति और मशीनरी विभाग, पीएयू लुधियाना। 2–8.

- श्रीवास्तव, एन.एस.एल. 2002. कृषि में चेतन ऊर्जा। में: 21वीं सदी में सतत कृषि उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, फरवरी 14–18, 2000 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित। 466–477।
- श्रीवास्तव, एनएसएल .1999। अगले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करने में कृषि अभियांत्रिकी की भूमिका। कृषि इंजीनियरिंग आज। 23(1–2): 37–49.
- वत्स, डी.के. 2013. हिमाचल प्रदेश, भारत की पहाड़ियों में कृषि का मशीनीकरण: एक समीक्षा। सतत विकास के लिए कृषि। 1(1): 89–93.
- वेलायुथम, एम., मंडल, डी.के., मंडल, सी. और सहगल, जे. 1999. योजना और विकास के लिए भारत के कृषि-पारिस्थितिक उप-क्षेत्र। एनबीएसएस और एल्यूपी, पब। 35: 372–376।
- जेडपीडी। 2012. क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, जोन-प्ट, कानपुर की वार्षिक रिपोर्ट (2012–13)। 55–68.



## दलित अवधारणा, डॉ० आम्बेडकर एवं आरक्षण : एक अन्वेषणात्मक विमर्श

डॉ० मंशाराम वर्मा

मनुष्य जाति, धर्म, वंश, गोत्रादि लेकर पैदा नहीं होता, ये समस्त उपबन्ध उसके जन्म लेते ही उससे जुड़ते हैं। कर्म की योग्यता ही उसे ख्याति और अपयश प्रदान करती है। इतिहास साक्षी है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान अथवा निम्न नहीं होता, उसका त्याग और परिश्रम ही उसे तत्तत् सोपान प्रदान करता है। वर्तमान समय में दलित जन और दलित शब्द लोगों के आकर्षण और परिचर्चा का विषय बना हुआ है। आज प्रायः शूद्र, मेहतर, हरिजन, चाण्डाल, अतिशूद्र, दास, गिरिजन आदि अर्थों में दलित शब्द रूढ़ हो जाता है। आज दलित शब्द का अर्थ अछूत जातियों तक सीमित कर दिया गया है। किन्तु कुछ लोग इसे व्यापक अर्थों में लेते हैं, जिनमें भूमिहीन, गरीब, बेरोजगार, महिलाएं, अनाथ, बच्चे, मजदूर आदि किसी भी जाति से सम्बद्ध लोग आते हैं। नामदेव ढसाल ने कहा है कि— 'अनुसूचित जातियों, बौद्ध, श्रमिक, भूमिहीन, कृषक व भटकने वाली जातियाँ दलित हैं। जबकि प्रो० केशव मेश्राम ने माना है कि— 'हजारों वर्षों से जिन लोगों पर अन्याय हुआ है, उन्हें दलित कहा जाना चाहिए।

डॉ० आम्बेडकर ने डिस्प्रेड तथा मराठी में बहिष्कृत एवं अस्पृश्य शब्द जिन लोगों या जिन जातियों के लिए इस्तेमाल किए, मराठी तथा हिन्दी साहित्य में उन्हें आज दलित कहा जाता है। व्यावहारिक रूप से इस दायरे में वही लोग आते हैं जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। नारायण सुर्वे की दलित शब्द की कई मिली-जुली परिभाषाएं हैं। इनका मानना है कि 'केवल बौद्ध या पिछड़ी जातियाँ ही दलित नहीं हैं, बल्कि समाज में जो भी पिछड़े-वंचित लोग हैं सभी दलित हैं।

प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि शूद्र भारतीय आर्य समाज का चौथा वर्ण है। उसके कल्पित विराट पुरुष के पैर से उत्पन्न होने की उद्भावना की गयी। ऋग्वेद के दशवें मण्डल के पुरुष सूक्त के 90वें मन्त्र में कहा गया है कि— 'ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख, बाहु से राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य जंघा तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी पुरुष सूक्त में ही विश्वोत्पत्ति का वर्णन है, किन्तु ब्रह्म और ईश्वरीय वर्णोत्पत्ति के इस सिद्धान्त के विषय में बाद के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अतः ऋग्वेदीय सिद्धान्त की सर्वमान्यता पर भी प्रश्न उठता है। सामवेद में न तो वर्णों और न ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है। जहाँ शुक्ल यजुर्वेद में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है किन्तु उसमें और ऋग्वेद पुरुष सूक्त में एकरूपता नहीं है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता एक स्थान पर तो ऋग्वेद के समान वर्णोत्पत्ति का वर्णन करती है तो दूसरे स्थान पर भिन्न वर्णन करती है।

‘अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लालबहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा, उ०प्र०

शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी वर्णोत्पत्ति के ऋग्वैदिक सिद्धान्तका पालन नहीं करते। ब्राह्मण की उत्पत्ति को तैत्तिरीय ब्राह्मण देवों से तथा शूद्र की उत्पत्ति असुरों से बताता है।

संस्कृत साहित्य के प्रथम लौकिक काव्य रामायण में वाल्मीकि ने वर्णोत्पत्ति को कश्यप से होना बताया है। महाभारत भी ऋग्वैदिक वर्णोत्पत्ति के सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करता, केवल एक स्थान पर इसका समर्थन किया गया है। महाभारत में ही कृष्ण ने कहा है—‘चातुर्वर्णमयाकृतागुणकर्म विभागशः।’ अर्थात् चारों वर्णों को मैंने गुण और कर्म को आधार मानकर विभाजित किया है। यहाँ वर्ण का आधार जन्म न होकर गुण और कर्म हो गया।<sup>2</sup>

वस्तुतः वर्ण—व्यवस्था परावलम्बन को बढ़ावा देती है। और परावलम्बन व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास में बाधक है। यह कहाँ तक उचित है कि व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों को तिरस्कृत कर उसे वर्णगत कार्यों से सन्नद्ध कर दिया जाय। एक वीर—पराक्रमी ब्राह्मण को अध्ययन—अध्यापन तथा विद्वान वैश्य को व्यापार में लगाना और व्यापार में दक्ष शूद्र को सैनिक अथवा श्रमिक का कार्य सौपना कहाँ तक उचित है। यदि ऐसा किया गया था तो स्पष्ट है कि अब तक उनकी अन्तर्निहित शक्तियों को दबाया और कुण्ठित किया गया।

यह आश्चर्य की बात है कि विद्वान शूद्र आदि को उसके जन्म के आधार पर शूद्र ही माना जाता है वह ब्राह्मण नहीं कहलाता। डॉ० आम्बेडकर का इस सम्बन्ध में विचार उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा है कि चतुर्वर्ण श्रम—विभाग नहीं है, यदि ऐसा होता तो इसमें स्वेच्छा से श्रमिकों को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होता। यहाँ तो वर्ण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक व्यक्ति के शरीर से चिपका ही नहीं, वरन् शरीर में समाया रहता है।<sup>3</sup> इतना अवश्य है कि बाद के काल (उत्तर गुप्त काल) में वैश्य और शूद्र में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखता, इस काल में शूद्र का भी कृषक के रूप में उल्लेख है। अल्बरूनी के संस्मरणों से भी पता चलता है कि वैश्यों और शूद्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था। स्कन्द पुराण नगर खण्ड शूद्र को गृहस्थ और अन्नद बताता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धीरे—धीरे वैश्यों को भी शूद्रों की ओर धकेलने का प्रयास शुरू हो चुका था, और स्मृति ग्रन्थों में इनके लिए कठोर नियम बनाये गये तथा इनको कमशः नीचा दिखाने का प्रयास शुरू हुआ। मनुस्मृति<sup>4</sup> में कहा गया है कि—‘ब्राह्मण का अतिथि केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं। यदि कोई शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आये तो ब्राह्मण उसे नौकर से भोजन दिलावे।’

अल्बरूनी ने लिखा है कि—‘वेदाध्ययन के अपराध में वैश्य और शूद्र दोनों की जीभ कतर ली जाती थी।’<sup>5</sup> स्पष्ट है कि समाज में विभेद बढ़ गया था और वर्ण—वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। अब वर्ण और जाति का तात्पर्य केवल सामाजिक विभाजन नहीं रह गया था। डॉ० आम्बेडकर का कहना है कि—‘यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे फिर भी शूद्रों के विरुद्ध इन तीनों ने एक संयुक्त मोर्चा बना रखा था, जिससे शूद्रों की कमाई पर वे स्वयं मौज कर सकें।’<sup>6</sup> मनुस्मृति से भी इस विचार को समर्थन मिलता है। उसके अनुसार शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है। सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार भी शूद्रों को नहीं था। शूद्र को शस्त्र—धारण की अनुमति भी नहीं दी गयी थी। ये समस्त उपबन्ध सम्भवतः इसलिए थे कि वे सदैव उच्च वर्णों के अधीन रहें, शिक्षित होने से वे अपने अधिकार की माँग करने लगते। और यदि शस्त्र—धारण करते तो उच्चवर्णों की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का खतरा बना रहता। वस्तुतः यही कारण है कि धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) आदि सामाजिक अधिकारों के निर्धारण में भेदभाव के कारण ही अत्यधिक विवादास्पद रहा है। शूद्रों की कुछ उपजातियों को तो वैदिक साहित्य वर्ण—व्यवस्था के अन्तर्गत मानता ही नहीं, उन्हें वर्ण—व्यवस्था के बाहर और तिरस्कृत मानता है। इन जातियों में अयोगव, चाण्डाल, निषाद और पौलकस जैसे समूहों का उल्लेख मिलता है।<sup>7</sup>

डॉ० आम्बेडकर वर्णव्यवस्था सम्बन्धी ब्राह्मण—विधान को पक्षपातपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि शास्त्रों में ब्राह्मणों ने अन्य वर्णों की तुलना में अपने लिए अधिक अधिकार सुरक्षित रखा है।<sup>8</sup>



पी0वी0 काणे ने भी ब्राह्मणों के प्राप्त विशेषाधिकार को गिनाया है, जिनमें9—

- 1—अन्य सभी वर्णों का गुरु होने का जन्मसिद्ध अधिकार।
- 2—यदि अभियोगी ब्राह्मण नहो तो राजा को चाहिए कि वह साक्षी के रूप में ब्राह्मण को न बुलाये।
- 3—अन्य वर्णों के कर्तव्य निर्धारण का अधिकार तथा ब्राह्मणों के आदेश को राजा अन्य वर्णों से पालन कराये।
- 4—अन्य वर्णों की तुलना में समान अपराधों में ब्राह्मण को कम दण्ड दिए जाने का प्रावधान।
- 5—ब्राह्मणों पर राजा का प्रभुत्व नहीं है तथा ब्राह्मण राजा के अधीन नहीं है।
- 6—ब्राह्मण को कष्ट देना पाप है।
- 7—ब्राह्मण हथकड़ी, चाबुक, बेड़ी, देश निकाला, तथा जुर्माना आदि दण्डों से मुक्त है।
- 8—ब्राह्मण का शरीर पवित्र है, यदि वह हत्या भी करे तो उसे प्राणदण्ड न दिया जाय।
- 9—श्रोत्रिय (वेदपाठी) ब्राह्मण कर से मुक्त है।
- 10—अन्य सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण को प्रणाम करें।
- 11—यदि किसी ब्राह्मण को गुप्त धन मिले तो वह उसका अधिकारी है, किन्तु यदि धन किसी राजा को मिले तो राजा आधा भाग ब्राह्मण को दे।
- 12—यदि राजा के मार्ग में कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण आये तो राजा उसके लिए मार्ग छोड़ दे।

यदि ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण तो वास्तव में ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए ही निर्धारित था। यह आरक्षण का प्रतिशत क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य के लिए कम निर्धारित था। शूद्रों और दलितों के हिस्से में केवल प्रताड़ना था। आज जब इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण की वैधानिक व्यवस्था की गयी तो समाज में दूरी और विभेद बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि इन तथाकथित उच्च वर्णों के प्राचीनकाल से निर्धारित आरक्षण पर खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि समाज में जाति-व्यवस्था प्राचीन ही रहे किन्तु वर्तमान समाज में उच्च-निम्न का भेदभाव मिट जाय, जो आज देश व समाज के लिए एक गंभीर समस्या है और उसको एक सूत्र में बाँधने में बाधक भी सिद्ध हो रहा है।

यह भी ध्यातव्य है कि उच्च-निम्न का श्रेणीबद्ध भाव ही जातिगत भेदभाव के अस्तित्व का मूलधार है। सामाजिक जातीय विभेद का विरोध भी प्राचीन काल से ही मिलता है। वज्रयान परम्परा के सिद्धाचार्यों के चर्या और दोहों के पदों वाला “सिद्ध साहित्य” इसका प्रमुख उदाहरण है। कुछ सिद्धाचार्यों ने अपने समय की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अपनी रचनाओं में विरोध का स्वर भर दिया था।<sup>10</sup>

दलित कवियों का एक समूह भक्तिकालीन काव्यरचना के माध्यम से पाखण्ड का विरोध कर चुका था। यद्यपि तत्कालीन समूह दलित नाम से दलित नाम से नहीं जाना जाता था, किन्तु वर्ण-व्यवस्था के शुद्र, अछूत, अन्त्यज आदि विभिन्न नामों के लिए आधुनिक काल में “दलित” शब्द का प्रयोग हुआ है। दलित कवियों की अतीत से जुड़ी लम्बी परम्परा में “कौचीपूर्ण” शूद्र के शिष्य रामानन्द तथा उनके शिष्यों की लम्बी सूची प्राप्त होती है। इस बसूची में कबीर, नानक, सेना, पीपा, धन्ना आदि का नाम प्रमुख है। जातिगत भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाने वाले कबीरदास का रचनाकर्म इसका साक्षी है—

संतन जात न पूछो निरगुनियाँ,  
साध ब्रह्मण साध छत्तरी,  
साधै जाती बनियाँ

.....  
हिन्दू तर्क दुइ दीन बने हैं,  
कछू नहीं पहचनियाँ ।11

इसी प्रकार महाराष्ट्र में दलित कवियों की एक धारा चल पड़ी, जिनमें संत तुकाराम, चौखामेला, रोहिताश, रैदास आदि प्रमुख हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है डॉ० भीमराव अम्बेडकर भी महाराष्ट्र के ही निवासी थे, जो “बहिष्कृत भारत” नामक पाक्षिक समाचार पत्र में दलितों की समस्याओं को उठाया करते थे। नामदेव ढसाल इस जकड़ी व्यवस्था पर कहते हैं—

हे स्वाधीनते,  
हम जन्में केवल तुम्हारे लिए, जन्में और जकड़ दिये गये,  
गुलामी की बेड़ियों में कितना रखें, तुम्हारे दानवी सर्जन पर विश्वास,  
जन्मते ही तुमने कर दिए हमारे पैर पंगु ।12

त्रयम्बक सकपले की कविता में दलितों की स्थिति पर आक्रोश, अस्मिता की चाह और मानवीय तड़प व्यंग्यात्मक शैली में दिखती है—

भैंसा यहाँ का वेदान्ती हो गया,  
मीलों दूर रखा अक्षर शत्रु बनाकर हमें,  
गधा यहाँ का गंगाजल पी गया,  
खेद नहीं हुआ तुम्हें,  
कि हम भी तड़प रहे थे ऑसू पीकर ।13

दलितों के इसी पिछड़ेपन के कारण समाज की मुख्यधारा से उनको जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी, जिसका प्रभाव भी सकारात्मक रहा। जिसमें डॉ० बी०आर० अम्बेडकर की भूमिका प्रशंसनीय है। कुछ आधुनिक दलित विचारकों का मानना यह भी है कि—“आरक्षण तो केवल उच्चवर्गों के ही प्राचीनकाल से था। उच्चवर्ग के लोग ही पद, प्रतिष्ठा, और लाभ तथा सम्मान के अधिकारी थे। प्राचीनकाल से चले आ रहे उच्चवर्गों के इस आरक्षण से दलितों को बचाने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। वस्तुतः आरक्षण की मूल संकल्पना उच्चवर्गों की ही देन है।

आधुनिक समाज में दलितों को दी जाने वाली आरक्षण की संकल्पना लगभग दो सौ से 250 वर्ष पुरानी है, जब मराठा छत्रपति राजाराम की मृत्यु के बाद आठ वर्षीय शिवाजी चतुर्थ का राज्यारोहण नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने 1871 ई० में “वर्वे” नामक एक ब्राह्मण को कोल्हापुर का शासक नियुक्त किया। उस वर्वे नामक ब्राह्मण ने कोल्हापुर रियासत में सभी सरकारी पदों पर चितपावन ब्राह्मणों की नियुक्ति की। बाद 2 अप्रैल 1894 ई० को शाहू जी महाराज ने अपना राज्यारोहण होने के बाद भारतीय मुलनिवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। राज्यारोहण से पूर्व 98 प्रतिशत मन्त्री ब्राह्मण थे। 1902 ई० में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने गये शाहू जी महाराज ने अपने इंग्लैण्ड प्रवास के दौरान एक आदेश पास कर अपने राज्य की नौकरियों में 50 प्रतिशत पद पिछड़ेवर्ग (एससी०, एसटी०, ओबीसी०) के लिए आरक्षित कर दिया। यहीं से उच्चवर्गों के आरक्षण के विरुद्ध दलित, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नींव पड़ी। इस तरह 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने वाले कुर्मी शासक शाहू जी महाराज भारत के प्रथम शासक बने ।14

छत्रपति शाहू जी महाराज के राज्यारोहण के समय 1894 ई० में सरकारी विभाग में 60 ब्राह्मण और 11 गैर ब्राह्मण थे, किन्तु मृत्यु के समय 1922 ई० में 26 ब्राह्मण और 59 गैर ब्राह्मण हो गये। छत्रपति शाहू जी महाराज का कहना था कि पिछड़े वर्ग (एसटी०, एससी०, ओबीसी०) को अपना अलग संगठन बनाकर अपने वर्ग की समस्याओं का समाधान निकालना

चाहिए। ब्राह्मणों को अपने संगठन में शामिल नहीं करना चाहिए, तथा नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए।<sup>15</sup> आरक्षण की यही नींव आगे चलकर दलितों और पिछड़ों के लिए एक औजार के रूप में सामने आयी। ऐसा नहीं है कि धर्मशास्त्रकारों द्वारा बनाये गये नियमों और सामाजिक विखण्डन तथा भेदभाव की कीमत केवल शूद्रों ने ही चुकायी, अपितु उच्चवर्णों को भी अपने ही बुने जाल में फँसना पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में वर्णभेद और जातिभेद तथा आपसी संघर्ष का बहुत लाभ उठाया। 1835 ई0 में लार्ड मैकाले ने भारत आते ही अपनी ऐतिहासिक शिक्षानीति लागू की, जिससे समर्थ जातियों एवं परिवारों का शिक्षाजगत में प्रवेश हुआ। इस तथ्य की पुष्टि 1853 ई0 के प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑकलन से किया जा सकता है। इस परीक्षा में मुसलमानों की अपेक्षा शिक्षित हिन्दुओं ब्राह्मण, कायस्थ, पारसी आदि जातियों को ज्यादा फायदा हुआ। जिसके परिणामस्वरूप निम्न जातियों और वर्गों में असन्तोष उभरना स्वाभाविक था। अंग्रेज इस जातीय भेद और असन्तोष का भरपूर लाभ उठाना चाहते थे, परिणामतः बंगाल में मुसलमानों को ज्यादा रोजगार मिले और उत्तर-पश्चिम-प्रान्तों में कम। बम्बई में चितपावन ब्राह्मणों को हतोत्साहित किया गया, और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को बढ़ावा मिला। निम्नजाति वर्गों में कांग्रेस विरोधी भावना और असन्तोष का एहसास अंग्रेजों को था, क्योंकि दलित कांग्रेस को उच्चवर्णों की संस्था मान रहे थे तो मुसलमान हिन्दुओं की। 1857 ई0 में “दीनबन्धु सभा” के मुखपत्र ‘दीनबन्धु’ के सम्पादक ने गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की माँग की, जिसका महात्मा फुले ने जोरदार समर्थन किया।

1886-87 ई0 में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में बंगाल में शिक्षित ‘नेटिवों’ की संख्या 16639 तथा बम्बई में 7146, संयुक्त प्रांत में 3200, मध्य प्रांत में 608, असम में 274 और मद्रास में 18390 थी।<sup>16</sup> एक रोचक तथ्य यह भी है कि 1883-84 ई0 में हिन्दू कालेज में 84.7 प्रतिशत छात्र सिर्फ ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य जातियों से थे। इन उच्चवर्णों के आधिपत्य और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण दलितों और मुसलमानों के आरक्षण और संरक्षण की माँग होने के साथ-साथ विभिन्न जातियों के संगठन बनने शुरू हो गये। दक्षिण भारत की स्थिति यह थी कि 1881 ई0 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण जातियों में 3.1 प्रतिशत ब्राह्मण थे, जिनमें 18.1 प्रतिशत स्नातक थे, जिनकी जनसंख्या 3483 थी। गैर ब्राह्मण की 86.6 प्रतिशत की आबादी में 19 प्रतिशत स्नातक थे। 1918 ई0 में स्नातकों की संख्या 15299 थी, जिसमें ब्राह्मण 67.5 प्रतिशत और गैर ब्राह्मण 21.1 प्रतिशत ही थे। परिणामतः 1917 ई0 में 292 न्यायिक और नौकरशाही पदों पर मद्रास में 202 ब्राह्मण थे।<sup>17</sup> अतः दलित आरक्षण की माँग स्वाभाविक थी।

संभवतः यही कारण था कि डॉ0 आम्बेडकर यह मानते थे कि दलित समस्या के समाधान में दूसरे का सहयोग लाभकारी हो सकता है किन्तु जब तक दलित इसके लिए स्वयं आगे नहीं आयेंगे इसका समाधान करना संभव न होगा। इसके लिए उनको शिक्षित और संगठित तथा संघर्ष करना पड़ेगा। वे दलितों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे, यही कारण है कि संविधान सभा में दलितों के आरक्षण पर जितना जोर सरदार बल्लभ भाई पटेल ने दिया, डॉ0 आम्बेडकर ने उतना जोर नहीं दिया।<sup>18</sup> डॉ0 आम्बेडकर ने दलितों, महिलाओं और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधानों को स्थान दिलवाया, जिससे सही अर्थों में सामाजिक समानता को प्राप्त किया जा सके। जिनमें कुछ विशेष प्रावधान उल्लेखनीय हैं<sup>19</sup>—

अनुच्छेद-14— भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद-15— राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-16— राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद-16 (4)— अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद-17— अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है, तथा उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद-23 (1)— मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। इस उपबन्ध का उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद-39— राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—  
क— पुरुष-स्त्री और सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

ख— पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

ग— पुरुष और स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद-46—राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।

ऐसा नहीं है कि इन सामाजिक उपबन्धों से आज सामाजिक समानता स्थापित हो गयी है, तथा अस्पृश्यता की समस्या दूर हो गयी है। आज भी समाज में जातिवाद अस्पृश्यता जैसी सामाजिक समस्याएँ व्याप्त हैं, जो स्वयं में ही एक गंभीर सामाजिक समस्या है, क्योंकि गुजरात में 2015 ई0 में अम्बेडकर जयन्ती के दूसरे ही दिन “नवसर्जन ट्रस्ट” द्वारा जारी एक रिपोर्ट में 77 गाँवों में दलितों की स्थिति दयनीय होने का खुलासा हुआ है। इन गाँवों में दलितों के सामाजिक बहिष्कार के साथ-साथ उनका मंदिर में प्रवेश भी वर्जित किया गया है जिसके कारण दलित यहाँ से पलायन कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की है। प्रभावित जिलों में भावनगर, ऑणद, पाटण, अहमदाबाद, राजकोट, मेहसाणा, सुरेन्द्र नगर, बनावसकोठा, बड़ोदरा, पोरबन्दर, अमरैली, गीर सोमनाथ, सावरकोठा और खेड़ा हैं। यहाँ गाँवों में दलितों को कुएँ से पानी नहीं भरने दिया जाता। यदि कोई दलित परिवार के साथ सम्बन्ध रखता है तो उसे दण्ड दिया जाता है। 109 गाँव ऐसे हैं जहाँ दलितों को पुलिस सुरक्षा के तहत जीवन-यापन करना पड़ रहा है। नवसर्जन ट्रस्ट द्वारा “नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन” को लिखित शिकायत करने पर भी कोई हल नहीं निकलने से अब हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है।<sup>20</sup>

इतना ही नहीं लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ माने जाने वाले मीडिया एवं समाचार पत्रों के क्षेत्र में भी आज दलितों के साथ भेदभाव के उदाहरण मिलते हैं। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के 55 वें प्रतिवेदन के अनुसार भारत में अंग्रेजी के 1406 दैनिक समाचार पत्र हैं। जिनमें एक अनुमान के अनुसार करीब पचीस हजार से तीस हजार पत्रकार कार्यरत हैं, किन्तु 2013 ई0 में दिल्ली के एक पत्रकार एजाज अशरफ ने जब एक अध्ययन किया तो उन्हें प्रसारण और प्रिंट मीडिया दोनों में सिर्फ़ इक्कीस पत्रकार ही दलित वर्ग से मिल सके, वह भी तब, जब उन्होंने अंग्रेजी के साथ द्विभाषी पत्रकारों को भी एक साथ सम्मिलित किया। यह बेहद चिन्ता का विषय है कि मीडिया घरानों द्वारा, मीडिया में दलितों की उपस्थिति के जानकारी के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं किया जाता।<sup>21</sup>

इन उपर्युक्त तथ्यों के सामने आने के बाद भी वर्तमान गलत नीतियों के कारण विभिन्न मन्त्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से इस बारे में उचित कदम उठाने और इन वर्गों की पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने को कहा है। समिति ने सरकार तथा लोकक्षेत्र उपक्रमों—आयुध कारखाना बोर्ड सहित आदि के शीर्ष स्तर पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कानून लाने की भी सिफारिस की है। समिति का कहना है कि खराब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, भेदभाव, दोहरी सोच, उत्पीड़न और अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा विद्यमान कानूनों की अवहेलना आदि दलितों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कैरियर विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।<sup>22</sup>

डॉ० आम्बेडकर ने अपने ग्रन्थ 'हू वर द शूद्राज' में तो शूद्रों के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा है कि शूद्र पहले सूर्यवंश के क्षत्रिय थे। पहले केवल तीन वर्ण ही अस्तित्व में थे। शूद्र समाज का क्षत्रियों में समावेश था, किन्तु ब्राह्मण और क्षत्रियों में लगातार संघर्ष चलते रहने के कारण ब्राह्मणों ने राजाओं का उपनयन करने से इनकार कर दिया। इस करण क्षत्रियों का यह समाज अलग हो गया और वैश्यों से निकृष्ट समझा जाने लगा। इस तरह चौथा वर्ण शूद्र अस्तित्व में आया। डॉ० आम्बेडकर ने इस सिद्धान्त का विधिवत प्रतिपादन भी किया है। डॉ० आम्बेडकर ने कहा कि मैं हिन्दुओं के उन पवित्र ग्रन्थों को खोलकर दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, जिससे हिन्दुओं को यह पता चल सके कि उनके धर्मग्रन्थों के ये सिद्धान्त किस प्रकार उनके समाज तथा देश के अधोपतन के कका कारण बने हैं।<sup>23</sup> अतः इस तरह समाज से कट चुके और मुख्यधारा से अलग हो चुके इन उपेक्षित वर्गों हेतु कुछ मानवीय और सामाजिक तथा संवैधानिक उपबन्धों को किया जाना आवश्यक भी है, नहीं तो भारतीय समाज की यह खाई बढ़ती ही जायेगी।

इस अन्वेषणात्मक विमर्श के माध्यम से इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे प्राचीन परम्परावादी जातीय संरचना पर आधारित एवं बहुधर्मी समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य के माध्यम से धर्मविहीनता के सिद्धान्त को लागू किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन विधि निर्माताओं ने विधि रचना के माध्यम से शूद्रों एवं दलितों को ही अपना आखेट बनाया है, जो आश्चर्य का विषय है। यह विचारणीय प्रश्न है कि दलितों और शूद्रों के लिए निश्चित निषेध प्रतिबन्धों के विषय में उच्चवर्णों की क्या राय है ? क्या उच्चवर्ण यह स्वीकार करेगा कि उनको शूद्रों के साथ घृणा का व्यवहार नहीं करना है ? क्या उसने इस दिशा में सोचना छोड़ दिया है ? क्या उसको यह चिन्ता नहीं करना चाहिए कि शूद्रों के लिए ये प्रतिबन्ध निषेध क्यों और कैसे बने ? क्या अन्य देशों में भी विशिष्ट जातियों के प्रति ऐसे प्रतिबन्ध लगाए गये हैं ? क्या आज उन धर्मशास्त्रों के पुराने पड़ चुके इन अमानवीय और अप्रासांगिक प्रतिबन्धों की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है ?

शूद्र को केवल शूद्र होने के कारण दण्डित किया जाता है यह एक रहस्य है। क्या भविष्य में भारतीय समाज में जातियों का अस्तित्व समाप्त होगा, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। केवल कानून बना देने इस समस्या का समाधान हो जायेगा यह हम सबकी भारी भूल होगी। इसके लिए प्रशासनिक और वैयक्तिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। वस्तुतः आज भी व्यवहारतः दलित पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। वैदिक सामाजिक दुर्व्यवस्था का मूल आज भी लोगों के लोगों के रक्त में मिश्रित दिखता है। धर्मशास्त्रों और ब्राह्मण ग्रन्थों का पालन करने में कम पढ़े—लिखे दलित आज भी गर्व का अनुभव करते हैं, जबकि इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वर्तमान समय में एक नयी सामाजिक विधि बनाने की आवश्यकता है, जिसमें समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव न हो सके तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो।

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी दलितों को कोई अपेक्षित उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई है सिवाय इसके कि उनको वोट बैंक बनाकर ठगा जाता रहा। यह स्थिति दलित विरोधी है। हाँ, इतना अवश्य है कि आधुनिक भारतीय संवैधानिक उपबन्धों के कारण उनकी स्थिति में कुछ सुधार दिखता है। आरक्षण-व्यवस्था से उनकी विभिन्न सेवाओं में भागीदारी बढ़ी है, किन्तु अभी बहुत कुछ होना बाकी रह गया है। आरक्षण उनके सामाजिक उन्नति के लिए एक औजार के रूप में सामने आया है।

## संदर्भ

- 1-हिन्दी दलित कविता, डॉ० रजत रानी 'मीनू', पृष्ठ संख्या-3 ।
- 2- डॉ० आम्बेडकर का विचार दर्शन, राम गोपाल सिंह, पृष्ठ संख्या-61 ।
- 3- वही, पृष्ठ संख्या-64-65 ।
- 4- मनुस्मृति, अध्याय-3, श्लोक संख्या-110-12 ।
- 5- नवजागरण और संस्कृति, कर्मन्दु शिशिर, पृष्ठ संख्या-46 ।
- 6- डॉ० आम्बेडकर का विचार दर्शन, राम गोपाल सिंह, पृष्ठ संख्या-65-66 ।
- 7- आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबन्ध, एम० एन० श्रीनिवास, पृष्ठ संख्या-68 ।
- 8- डॉ० आम्बेडकर का विचार दर्शन, राम गोपाल सिंह, पृष्ठ संख्या-66 ।
- 9- वही, पृष्ठ संख्या-66-67 ।
- 10-हिन्दी दलित कविता, डॉ० रजत रानी 'मीनू', पृष्ठ संख्या-10-11 ।
- 11-कबीर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या- 179 ।
- 12-नामदेव ढसाल, संचेतना, अंक-4 दिसम्बर 1981, अनुवादक- चन्द्रकान्ता बांदि बडेकर, रामजी तिवारी, पृष्ठ संख्या-197
- 13- हिन्दी दलित कविता, डॉ० रजत रानी 'मीनू', पृष्ठ संख्या-18-19 ।
- 14-कुर्मी-क्षत्रिय समाज का इतिहास, प्रमोद भाई पटेल, पृष्ठ संख्या-167-168 ।
- 15-वही, पृष्ठ संख्या-168 ।
- 16-नवजागरण और संस्कृति, कर्मन्दु शिशिर, पृष्ठ संख्या-69 ।
- 17-वही, पृष्ठ संख्या-70 ।
- 18-डॉ० आम्बेडकर का विचार दर्शन, राम गोपाल सिंह, पृष्ठ संख्या-158 ।
- 19-भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन-2011, डॉ० भीमराव आम्बेडकर और सामाजिक न्याय की अवधारणा, मनीष चन्द्रा, पृष्ठ संख्या-27 ।
- 20-स्रोत, नई दुनिया, 15 अप्रैल-2015 ।
- 21-डॉ० भीमराव आम्बेडकर और सामाजिक न्याय की अवधारणा, मनीष चन्द्रा, पृष्ठ संख्या-33 ।
- 22-वही, पृष्ठ संख्या-39 ।
- 23-डॉ० बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्रीय जीवन चरित, वसंत मून, पृष्ठ संख्या- 174-75 ।



## महाकवि कालिदास के नाटकों पर आगमशास्त्र का प्रभाव

डॉ० आशा गुप्ता

नाट्य वेद की सृष्टि कब और कैसे हुई, यह बताना वैसे ही कठिन है जैसे यह कहना बिल्कुल ही असम्भव है कि यह नाम रूपात्मक चराचर जगत् अचानक हिरण्यगर्भ से कैसे उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर संवर्धित होता गया। नाट्योत्पत्ति के सम्बन्ध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनेक मत हैं। पाश्चात्य विद्वान यूनानी नाटकों के सम्बन्ध में प्रचलित सिद्धान्तों को भारतीय नाटकों के उत्पत्ति के ऊपर लादना चाहते हैं। ऐसा करने से पूर्व वे देशकाल जन्य परिस्थितियों पर विचार करना शायद भूल जाते हैं। यही कारण है कि उनके मत निर्दोष और निर्भ्रान्त नहीं होने के कारण सर्वग्राह्य नहीं हुए।

हमारे प्राचीनतम साहित्य वेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परम्परागत धारणा है कि उस सहस्रमूर्धा वाले परमेश्वर (सहस्र शीर्षा पुरुषः ऋग्वेद 10/90/1) तथा यजुर्वेद-31-1 जो पूजनीय है तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी रक्षा के लिए बुलाया जाता है, उससे ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुए तथा उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ।<sup>1</sup> अन्तः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि पूर्व वैदिक काल में सर्वांगरूपेण नाट्य-कला हमारे देश में विद्यमान थी तथा उसका प्रयोग भी होता था।<sup>2</sup> नाट्योत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरतमुनि का नाट्यशास्त्र हमें उपलब्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि अन्य वेदों से सामग्री लेकर पंचम वेद के रूप में इसकी रचना ब्रह्मा द्वारा की गई। त्रेता युग में इन्द्रादि देवताओं द्वारा अनुरोध किये जाने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य (संवाद), सामवेद से गीत (संगीत), यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से शृंगार आदि रसों को लिया। महाकवि कालिदास के नाटकों ने परवर्ती नाट्य शास्त्र के रचयिताओं को प्रभावित किया है। यद्यपि भरतमुनि के मूल लक्षणों को आधार मानकर ही नाट्यशास्त्र सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ लिखे गये तथापि कालिदास जैसे प्रतिभावान कवियों के लक्ष्य ग्रन्थों ने उन्हें अपने लक्षणों में यत्र-तत्र परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा दी। कालिदास ने भरत के नाट्यशास्त्र में स्थापित लक्षणों को स्वीकार कर अपने नाटकों में प्रयोग किया है उन्होंने भरत के देवताओं को नाट्याचार्य के रूप में उल्लिखित किया है तथा नाटकों में आठ रसों के विकसित होने और अप्सराओं द्वारा अभिनीत किये जाने का निर्देश किया है।<sup>3</sup>

ऋग्वेद में कुछ मंत्र संवाद रूप में है शौनक और सांयण में उनमें से अधिकांश को संवाद सूक्त कहा है। उन सूक्तों के लिए कहीं-कहीं इतिहास और आरण्यक जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।

‘एसो0 प्रोफेसर’, संस्कृत विभाग, रणवीर रणजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी, (उ0प्र0)



पुरुषरवा-उर्वशी (10/95 यम-यमी 10/10) इन्द्र-इन्द्राणी और वृषाकपि (10/86) शरमा और पणि(10/108) जैसे संवादात्मक सूक्तों को देखकर मैक्डोनेल<sup>4</sup> ने कहा है कि यह संवाद ही भारतीय नाट्य साहित्य के प्रारम्भिक रूप है। इनमें से पुरुषरवा और उर्वशी के कथानक को लेकर कालिदास ने चिरकाल पश्चात् विक्रमोर्वशीयम् नाटक की रचना की। ए०वी० कीथ<sup>5</sup> ने इन संवादों को आख्यान बताया है। आख्यानों के आधार पर दो मतों की स्थापना की गई है। इनमें प्रथम विंडिश और ओल्डेन वर्ग के आख्यान मत का समर्थन पिशेल और गेल्डेनर ने किया।

पुरुषरवा एवं उर्वशी के प्रणय-प्रसंग की कथा का प्रारम्भिक रूप ऋग्वेद के मण्डल 10 सूक्त 15 के पुरुषरवा-उर्वशी संवाद<sup>6</sup> में मिलता है। ऋग्वेद में मनु के साथ पुरुषरवा का उल्लेख किया गया। उसमें उन्हें हितकर (सुकृते) तथा अग्नि का मित्र कहा गया है।<sup>7</sup> मानव पुरुषरवा, अप्सरा उर्वशी के अद्भुत सौन्दर्यपाश में बंध जाता है। उर्वशी ने उसकी पत्नी के रूप में पृथ्वी पर रहने का वचन दिया, शर्त यही थी कि उसे आवरणहीन रूप में नहीं देखे। यह सम्पूर्ण संवाद केन्द्रीय तत्व है। शर्त भंग होने पर उर्वशी चार शत ऋतु तक पुरुषरवा के पास रहकर गन्धर्वों के पास चली जाती है। गन्धर्वों से उसका पुराना सम्बन्ध था। पुरुषरवा उसे बहुत चाहता है, प्रार्थना करता है परन्तु वह उसके विनय को ठुकरा देती है और कहती है, हे पुरुषरवा! तुम मेरे लिए समय मत गंवाओ, कुत्तों ओर सियारों से अपने को मत नोचवाओ। स्त्रियों का प्रेम स्थायी नहीं होता, क्योंकि वे हृदय से सियार ओर भालू होती हैं।

पुरुषरवो मा मृषा मा प्रपत्तो मा वृकासो अविश्वास उक्षन्।

न वै स्त्रैणानिरख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्वेता।।

अन्त में वह मान जाती है और भावी आनन्द के लिए सान्त्वना देती है। कुछ परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के साथ पुरुषरवा एवं उर्वशी का उपर्युक्त प्रेम प्रसंग शतपथ ब्राह्मण, वेदार्थदीपिका<sup>8</sup>, महाभारत<sup>9</sup>, हरिवंशपुराण, विष्णुपुराण<sup>10</sup>, पद्मपुराण, भागवतपुराण<sup>11</sup>, मत्स्यपुराण<sup>12</sup> तथा कथासरित्सागर(वृहत्कथा) में भी वर्णित है।

पुरुषरवा-हये जाये मनसा तिष्ठ धोरे वचांसि मित्र कृणवावर्ह नु।

न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करनु परतरे चनाहन।।<sup>13</sup>

उर्वशी-किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिष मुषासाम ग्रियेव।

पुरुषरवः पुनरस्तं परेहि दुरापानावात इवाहमस्मि।।<sup>14</sup>

मत्स्य पुराण में वर्णित पुरुषरवा-उर्वशी की प्रणय कथा विक्रमोर्वशीयम् की कथावस्तु से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उसमें वर्णित है कि बुध को अपने पिता से पृथ्वी का साम्राज्य मिला। बुध को इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपनी क्षमता से एक सौ अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया। उसका नाम पुरुषरवा रखा गया। उसने हिमालय पर्वत पर विष्णु की उपासना की। फलस्वरूप वह सम्राट हुआ। अपने शौर्य के द्वारा केशी से उर्वशी को मुक्त कराया और बाद में वही उसकी प्रेयसी हो गई।

मत्स्यपुराण की कथा से नाटकीय वस्तु के साम्य के आधार पर विल्सन प्रभृति कतिपय विद्वानों की धारणा है कि इस त्रोटक के प्रथम तीन अंकों का कथानक इसी पुराण से कालिदास ने ग्रहण किया है। इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि विक्रमोर्वशीयम् की नाटकीय कथावस्तु का अत्यन्त प्राचीनतम स्वरूप वेद एवं पुराण आदि ग्रन्थों में कुछ परिवर्तनों के साथ उपलब्ध होता है। हो सकता है कालिदास ने ऋग्वैदिक उक्त संवाद के साथ पुराणों में वर्णित कथा का भी अध्ययन किया हो तथा सबको मिला जुलाकर नाटकीय रूप देने के लिए अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर अन्य नाटकों की कथावस्तु की भांति इसमें भी अनेक परिवर्तन एवं परिवर्धन किये हो।

विक्रमोर्वशीयम् के प्राप्त उपजीव्य कथांशों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस नाटक की कथा ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, विष्णुपुराण, पद्मपुराण, मत्स्यपुराण, वृहत्कथा (कथासरित्सागर) आदि अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है। अब प्रश्न यह है कि क्या कालिदास ने उपर्युक्त कथा को ही ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया? इनके नाटक के सम्यक् अनुशीलन से पता चलता है कि उन्होंने जैसे अन्य नाट्य-कृतियों की कथा वस्तु इतिहास एवं पुराण से लेकर उसमें अनेक परिवर्तन एवं परिवर्धन कर नाटकीय रूप प्रदान किया है उसी प्रकार इसकी कथावस्तु ऋग्वेद तथा पूर्ववर्ती ग्रन्थों में वर्णित पुरुरवा-उर्वशी विषयक कथा से ग्रहण कर उसमें विभिन्न परिवर्तन एवं परिवर्धन कर नाटकीय बनाया है। यहाँ यह सर्वथा विचारणीय है कि कालिदास ने मूलकथा में कौन-कौन सा परिवर्तन एवं परिवर्धन किया है तथा उसकी नाटकीय उपयोगिता क्या है? एतदर्थ उनके द्वारा कृत परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तुत है। नाटककार ने नाटकीय वस्तु में नवीनता लाने के साथ-साथ नाटकीय वस्तु-विन्यास के लिए कई आवश्यक नवीन पात्रों की भी सृष्टि की है। ऐसा करने से कथानक का रंगमंचीय प्रभाव बहुत उत्कृष्ट एवं समुन्नत हो गया है। भारतीय नाट्य-परम्परानुसार प्राचीन दुःखान्त कथा को सुखान्त बनाने के लिए ये परिवर्तन सर्वथा अपेक्षित थे।

पुराणों के प्रसंग से पता चलता है कि राजा पुरुरवा उर्वशी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया। किन्तु इसमें कालिदास ने काम के उभयवर्ती उद्वेग को चित्रित करने के लिए दिखाया है कि स्वयं उर्वशी अभिसारिका के रूप में अपनी सखी चित्रलेखा को साथ में लेकर नरलोक में आयी। वे दोनों प्रभावशाली तिरस्करिणी की ओट में छिपकर राजा की मनोदशा एवं उनके कामदशानुकूल समग्र व्यापार से परिचित होती हैं और अन्ततोगत्वा राजा की व्यथित स्थिति को देखकर उसके समक्ष प्रकट होती है।

किसी भी पुराण में संगमनीय मणि के द्वारा दोनों के पुनर्मिलन की घटना का उल्लेख नहीं है। इस नाटक के चतुर्थ अंक में सहजय्या एवं चित्रलेखा नामक अप्सराओं की पारस्परिक वार्ता के माध्यम से प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक का प्रयोग कर इस बात की सूचना दी जाती है कि गन्धमादन पर्वत पर मन्दाकिनी के किनारे अपूर्व सुन्दरी विद्याधर कुमारी को अपलक दृष्टि से बहुत देर तक देखते रहने के कारण प्रतिस्पर्द्धा एवं ईर्ष्यावश क्रुद्ध होकर राजा के अनुनय-विनय को भी ठुकरा कर वह चली जाती है और स्त्रियों के लिए अगम्य कुमारवन में प्रवेश करते ही वन्यलता के रूप में परिणत हो जाती है। इस परिणाम का कारण कवि की दृष्टि में दूरारुढ़ प्रेम की असहमता एवं भरतमुनि का शाप है।

कालिदास ने सिर्फ कथावस्तु को ही अपनी प्रखर कल्पना से रसमय नाटकीय रूप प्रदान नहीं किया है अपितु इसे ऐसा बनाने के लिए उन्होंने विदूषक, चतुरदासी निपुणिका राजभवन के सारे साज-सामान, रम्भा, मेनका, सहजय्या एवं चित्रलेखा आदि अप्सराओं, पूज्य च्यवन, वृद्धा तापसी भगवती सत्यवती एवं मुनिवर नारद आदि के साहचर्य का भी कलात्मक ढंग से उपयोग किया है। मानव-कल्याणार्थ कालिदास ने प्राचीन पुरुरवा-उर्वशी विषयक दुःखान्त प्रणय प्रसंग को नाटकीय रूप प्रदान करने के निमित्त ही इतने आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन किये हैं। इससे इस नाटक की कथावस्तु का यह अभिनव रूप अत्यन्त सरस, मनोवैज्ञानिक एवं लोकरुचि सम्पन्न हो गया है।

इस नाटक की अनेक घटनाएं अभिज्ञानशाकुन्तलम् से मिलती जुलती हैं। दोनों की घटनावली ऋषियों की इच्छा से अत्यधिक प्रभावित है। दोनों में राजकुमार का पालन-पोषण आश्रम में ही हुआ है। दोनों में प्रणयी पिता बन गये हैं। इतनी ही नहीं दोनों में प्रणय-प्रसंग संयम की गरिमा से विभूषित है। कालिदास का विश्वास है कि सन्तानोत्पत्ति में ही दाम्पत्य की चरम परिणति है। इस सनातन विचार का पोषण उन्होंने सर्वत्र किया है। उनके इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी नाटकीय वस्तु का क्षेत्र लोक के साथ-साथ स्वर्ग भी है। इसमें दैवीय एवं मानवीय प्रेम का चित्रण हुआ है। हम कह सकते हैं कि सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में यह नाटक अनुपम है।

## सन्दर्भ

1. तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।  
छन्दासि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत ।।
2. नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं धर्माय समाचरन् रिष्टायै।  
भीमलन्मर्माय रेभंदृसायकारिमानन्दाय स्त्रीष खम्प्रमदे-  
कुमारी पुत्रम्मेधायै रथकारान्धैर्याय तक्षाणम् ।।  
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के तीसवें अध्याय में पुरुषमेघ प्रकरण।
3. मुनिना भरतेन यः प्रयोगो  
भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः।  
ललिताभिनयंतमद्य भर्ता  
मरुतां दृष्टुमनाः सलोकपालः ।।
4. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर।
5. जर्नल ऑफ दि रायल एसियाटिक सोसायटी (1911 ई0), पृ0-971  
में “दि वैदिक आख्यान एंड दि इण्डियन ड्रामा” शीर्षक लेख।
6. उर्वशी-इतित्वा देवा इम आहुरैल यथैमे तद्भवासि मृत्युबन्धुः।  
प्रजाते देवान्ह विषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयसि ।।8।।ऋग्वेद म010 सूक्त 15
7. ऋग्वेद 1/31/4
8. शतपथ ब्रह्मण 2/5/1 (ऋग्वेद 10/95)
9. षड गुरु शिष्य द्वारा ऋग्वेद की गई सर्वानुक्रमणी व्याख्या, ऋग्वेद 10/95
10. महाभारत 10/26
11. विष्णुपुराण-अध्याय 4/6
12. भागवत पुराण स्क0 9, अ0 14
13. मत्स्यपुराण अ0 25
14. कथासरित्सागर ल0उ0त0 3।



## पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका

डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा

पंचायती राज प्रणाली में 'स्वशासन' का स्थान केन्द्र बिन्दु की तरह है, भारतीय संविधान में यह उल्लिखित है कि पंचायती राज संस्थाएं 'स्वशासन की इकाई' हैं 73वें संविधान संशोधन, 1992 ने इस प्रावधान को बाध्यकारी बना दिया है जो लोकतंत्र के क्रियाकलाप में आम जनता की भागीदारी पर जोर देता है।

पंचायत स्तर पर ग्राम सभा को विकसित किया जा सकता है जिसकी बैठकों में आम जन की व्यापक भागीदारी हो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किए जाने से जनसहभागी लोकतंत्र के रूप में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त किया है।

### 73वां संविधान संशोधन अधिनियम—(ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में)—

73वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल ग्राम सभा सम्बन्धी प्रावधान बहुत ही संक्षिप्त है फिर भी इसकी समीक्षा से त्रिस्तरीय पर लोकतंत्र के महत्व को समझा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243(ख) में ग्राम सभा को ग्राम स्तरीय पंचायत के क्षेत्र में आने वाले गाँव की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी 'इकाई' के रूप में परिभाषित किया गया है, यहाँ यह समझना आवश्यक है कि ग्रामसभा के गठन की दृष्टि से 'ग्राम' का मतलब किसी अकेले एक गाँव से नहीं है। यह गाँवों का एक समूह भी हो सकता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243(छ) में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि 'ग्राम से तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस भाग के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेरित है या इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।' संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243(क) यह स्पष्ट करता है ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा उपबन्धित किया जाए' इस प्रावधान से यह जाहिर है कि संविधान संशोधन में ग्राम सभा के कार्यों और शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान संशोधन इस कार्य को राज्य के विधान मण्डल को सौंप देता है।

### ग्रामसभा के कार्य एवं अधिकार

राज्यों के अधिनियमों ने ग्रामसभा को अनेक दायित्व सौंपे हैं, यह दायित्व विभिन्न राज्यों में कमोवेश, एक ही समान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग-अलग राज्यों में बनाए गए कानूनों का अध्ययन काफी रोचक होगा। बिहार के नए पंचायती राज अधिनियम में ग्रामसभा को सौंपे गए दायित्वों की सूची अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है जिसमें निम्नलिखित कार्य ग्रामसभा को सौंपे गए हैं—

‘पूर्व शोधार्थी,

(क)	विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना।
(ख)	विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना।
(ग)	यदि ग्रामसभा एक तर्कसंगत समयावधि में लाभार्थियों की पहचान करने में असफल रहती है, तो चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी ग्राम पंचायत यह कार्य करेगी।
(घ)	सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए श्रम, वस्तुओं या धन के रूप में स्वैच्छिक सहयोग अर्जित करना, जुटाना।
(ङ)	गाँव में प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम संचालित करना।
(च)	ग्रामीण समाज के सभी वर्गों के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना।
(छ)	चुने गए मुखिया एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों से किसी विशेष गतिविधि, योजना, आय एवं व्यय के बारे में स्पष्टीकरण माँगना।
(ज)	निगरानी समिति, समितियों की रपटों पर विचार करना।
(झ)	अन्य बातें जो सौंपी जाएँ।

#### उपर्युक्त दायित्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य मामले भी हैं जिन पर ग्रामसभा विचार करेगी—

(क)	ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखा-प्रतिवेदन, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रपट पर अन्तिम लेखा-परीक्षा (अंकेक्षण) की टिप्पणियाँ एवं उनके उत्तर, यदि कोई हों।
(ख)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट।
(ग)	ग्राम पंचायत के पिछले वर्ष के विकास-कार्यक्रमों की रपट एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले कार्यक्रम।

विभिन्न राज्यों के पंचायती राज कानूनों में यह भी उल्लिखित है कि ग्राम पंचत (निर्वाचित कार्यकारिणी) ग्रामसभा की संस्तुतियों एवं सुझावों पर समुचित ध्यान देगी। स्पष्टतया, ये सुझाव एवं संस्तुतियाँ ग्राम पंचायत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इस प्रकार, निर्वाचित पंचायत कार्यकारिणी का ग्रामसभा के प्रति जवाबदेही को पंचायती राज व्यवस्था में सुनिश्चित नहीं किया गया है। एकमात्र केरल के नए पंचायती राज कानून में ही प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष को ग्रामसभा के सुझावों का क्रियान्वयन न किए जाने के लिए ग्रामसभा की बैठक में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

#### ग्राम सभा की बैठक

विभिन्न राज्यों के अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा नहीं बुलाए जाने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य के सरकारी अधिकारी या पंचायती राज की उच्चतर इकाई (ब्लॉक या जिला पंचायत) का निर्वाचित अध्यक्ष ग्राम सभा की बैठक बुना सकता है। ध्यान देने की बात है कि हरियाणा और पंजाब में ग्राम सभा की बैठक बुलाए जाने के सम्बन्ध में सशक्त प्रावधान है। इन दो राज्यों के पंचायत अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो वह ग्राम सभा की अगली बैठक बुलाए जाने की निर्धारित तारीख से स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। अधिकांश राज्यों में साल में दो बार ग्राम सभा की बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। तमिलनाडु में साल में तीन बार ग्राम सभा की बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है। केवल असम, बिहार और मध्यप्रदेश में साल में चार बार ग्राम सभा की बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है।

### ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा का नियंत्रण

राज्यों के अधिनियमों में ग्राम पंचायत (निर्वाचित कार्यकारिणी) पर ग्राम सभा के नियंत्रण का उल्लेख है। यह इस बात का द्योतक है कि 'स्वशासन की इकाई' के रूप में 'ग्राम सभा' की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले ही आम जन इस भूमिका से भली भाँति अवगत नहीं हों, किन्तु इस बात की ज्यादा दिनों तक अनदेखी नहीं की जा सकती है। राज्यों के पंचायत अधिनियमों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सभा अपनी बैठक में ग्राम पंचायत के बजट और क्रियाकलाप की जाँच करेगा। तदुपरान्त, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की गतिविधियों के बारे में अपना सुझाव दे सकता है। किन्तु राज्य के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि ग्राम सभा के सुझावों को ग्राम पंचायत को मानना अनिवार्य होगा। सिर्फ केरल राज्य के पंचायत अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि यदि ग्राम पंचायत (कार्यकारिणी) ग्राम सभा के सुझाव को नहीं मानता है तो उसे ग्राम सभा की अगली बैठक में इस बात को आम जन के बीच स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सुझावों को अमल में लाने में सक्षम नहीं हुआ।

## संदर्भ

1. हमारा संविधान—कश्यप सुभाष
- 2- Constitutional Law of India- Pandey Dr. J. N.
3. पंचायती राज व्यवस्था:—सिद्धान्त एवं व्यवहार—डा० रानी नीतू
4. भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला—आस्टिन ग्रेनविल
5. भारत में पंचायती राज—खत्री हरीश कुमार
6. अमर उजाला—मुरादाबाद संस्करण
7. दैनिक जागरण—दिल्ली संस्करण
8. आज — गोरखपुर संस्करण



## भारत में नारी की बदलती हुई वैश्विक स्थिति, गाँधीवादी दर्शन के विशेष परिप्रेक्ष्य में

डॉ० सीमा सिंह

### प्रस्तावना:—

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय-समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिये जल, वायु, और भोजन हैं। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन-यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समाज दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत ठकुछ उसी के सदप्रयासों से सम्भव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी निर्योग्यतायें लाद दी गई हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। ये निर्योग्यतायें उनके लिए बहुत बड़ी चुनातियां एवं समस्यायें बनकर उभरी है। इन निर्योग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलायें न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थी और न किसी प्रकार 'पूर्व शोघार्थी,



का धार्मिक कार्य बिना पुरुष के सम्पादित कर सकती थीं। पुरुष वर्ग के साथ खानपान पर प्रतिबन्ध था। महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिन्दगी घर की चहारदीवारी के अन्दर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़-लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया

था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये मूलरूप से ही लड़कों, लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है, उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्परायें, मूल्य तथा रीति-रिवाज इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है।

महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं :-

“शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिये सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा स्वयंएमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।”

सन् 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुये पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।

उपरोक्त विवेचन से महिलाओं के लिये शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुये भी उपेक्षित है इसलिये महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई हैं। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति शोचनीय ही है।

स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता।

इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रुढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच-नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिये स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता जाता है क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं अगर वह अपने बच्चों को इन रुढ़िगत विचारों से दूर रखे और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। यदि माता अपने बच्चों में जाति-भेद और धर्म-भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक-समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगा।

इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जायेंगे जिन्होंने अपनी विद्यता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति थी उनकी विद्या, लेकिन बाद के कालों में उनकी यह शक्ति उनसे छीनी जाने लगी। उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनत का कारण बना। देखा जाये तो आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा है, लेकिन अभी भी पूर्णरूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह

प्रारम्भ हुये, उपनयन संस्कार से उसे वंचित किया जाने लगा, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया है। बाल-विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई और तब यह केवल संभ्रान्त परिवारों की स्त्रियों तक ही सीमित हो गई या पुरुष की संकीर्ण मानसिकता, स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिसके कारण वह पर्दा-प्रथा, सती प्रथा, नियोग-प्रथा आदि अनेक बुराईयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई क्योंकि उसका हथियार “शिक्षा” उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जोकि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है।

#### साहित्य समीक्षा:-

अनेक समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन किया है तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता तथा पुरुषों के समान शैक्षणिक व सामाजिक अधिकार, परिवार में निर्णय निर्धारक भूमिका तथा प्रदत्त परिस्थिति को नकार कर, अर्जित प्राप्ति द्वारा अपनी क्षमता के नये आयामों को उद्घाटित करना, के सन्दर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ शोध समस्या से सम्बन्धित विभिन्न समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों के साहित्य का अवलोकन किया गया है जिसमें इनके अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मीनाक्षी मुखर्जी (1988) का मत है कि पुरुषों से स्वतन्त्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से सम्भव है परन्तु व्यवहारिक तौर पर नहीं। एक पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री के लिये सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है। सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वयं और अन्य लोगों के द्वारा पुरुषों के साथ एक पुत्री, एक पत्नी और एक माँ के रूप में की जाती है।

मीनाक्षी का मानना है कि परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें स्त्रियों के साथ अनुदार रूप में व्यवहार किया जाता है।

माग्रेट कारमैक (1779) ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियां कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं लेकिन वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता-पिता तय करें। वे अपनी नव स्वतन्त्रता का भोग भी करना चाहती हैं लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाये रखना चाहती हैं।

गोविन्द केलकर (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन-भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी करनी पड़ती है। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भोजन न परोसना या कभी-कभी पारिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिये उनकी पिटाई भी होती है।

कॉपर ने कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, प्रभुता, अधिकार, सम्पन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है। वस्तुतः महिलाओं की परिस्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से इनके पक्ष में कानून निर्मित किये गये हैं, किन्तु भारतवर्ष में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय महिलाओं का एक प्रमुख एवं विचारणीय भाग कानून के प्राविधान से अनभिज्ञ रह गया है फिर भी भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च किया है।

मिश्र (1981) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। महिलाओं के प्रति पुरुषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है। आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन हैं जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओं को घर के

बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलायें पुरुष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं हैं और पुरुषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई हैं। इस दृष्टि में परिवर्तन अपरिहार्य है।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरित मानस के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने भक्ति साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्भूत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकती है। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती है। पुरुषों की सेवा करने में सक्षम है तो पुरुषों को झुकने और उनसे अपनी सेवा कराने की क्षमता भी रखती है। यह सब कुछ कर सकती है।

विवाह मूलक परिवार में स्त्री की भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं उदाहरण के लिए बेटी पत्नी, बहू, माँ इत्यादि। इन परिस्थितियों से सम्बन्धित भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे समर्पण एवं भेदभाव की भावना की अपेक्षा की जाती है। वहाँ भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथक् स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव पाया गया है, परन्तु यह परिस्थिति सम्बन्धी उतार-चढ़ाव अचानक परिलक्षित नहीं हुआ अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। समाज में जैसे-जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गये वैसे-वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये।

**दूबे** ने भारतवर्ष में पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जब व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक हो जाती हैं तो उन भूमिकाओं में कभी-कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है व्यक्ति अपनी सभी भूमिकाओं का पूर्ण और यथोचित निर्वाह नहीं कर पाता जिन महिलाओं को घर के भीतर और बाहर कार्य करना पड़ता है वे न तो घर में और न ही घर के बाहर अपने दायित्वों का पूर्ण रूपेण पालन कह जाती है।

शिक्षित महिलाओं की वैवाहिक समस्या का अध्ययन **मित्र** (1980) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण समाज की शिक्षित लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल पाता, जो मिलता भी है उसकी मांग इतनी अधिक होती है कि लड़की के पिता उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। वैवाहिक समस्या एक ज्वलंत समस्या है। आज की शिक्षित महिलायें जिसका शिकार हैं।

डा० कपूर के अनुसार, 'आज की पढ़ी-लिखी महिलायें भी ऊपर से तो स्वतंत्रता का झूठा लबादा पहन लेती हैं लेकिन अपनी ही आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में बेखबर हैं। आंतरिक स्वतंत्रता का जब्बा तब तक उनका बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखना मायने नहीं रखता। अतः उसे अपने अधिकारों को समझकर सीमा में रहते हुए उनका सदुपयोग करना चाहिए। जब तक किसी महिला को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आजादी नहीं मिलती, तब तक उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता।

वैदिक युग में स्त्री की शिक्षा उच्चतम सीमा पर थी। वह बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी। उसे यज्ञ सम्पादन और वेदाध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था। दर्शन और तर्क शास्त्र में भी वे निपुण थीं। पति के साथ समान रूप से वे यज्ञ में सहयोग करती थी। राम के युवराज पद पर अभिषेक के समय कौशल्या ने यज्ञ किया था। महाभारत से ज्ञात होता है कि पांडवों की माँ कुन्ती अथर्ववेद में पारंगत थी। इससे पता चलता है कि उस युग की स्त्रियाँ पण्डित होती थी। उस युग की कन्याएँ ब्रह्मचर्य का अनुगमन करते हुए "उपनयन संस्कार" भी कराती थी। कन्य के लिए विधान का उल्लेख मनु ने भी किया है। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे, एक सधो वधू और दूसरा ब्रह्मवादिनी सधोवधू के छात्रायें थी जो विवाह के पूर्व तक कुछ पढ़ लेती थी तथा ब्रह्मवादिनी वे भी जो शिक्षा समाप्त करने के बाद विवाद करती थी तथा कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ थी जो जीवन भर अध्ययन में लीन रहती थीं और विवाह नहीं करती थीं। ऋषिकुश ध्वज की कन्या देववती इसका सबसे उदाहरण

मिलता है। वे दर्शन मीमांसा, साहित्य आदि विभिन्न विषयों की पंडिता थी। कास्थकुमरानी में मीमांसा जैसे कठिन एवं गूढ़ विषय पर पुस्तक लिखी है। जिसकी रुचि अलंकारों में न होकर दर्शन शास्त्रों में थी। जनक के राज्यसभा में होने वाली विक्षतगोष्ठी में गार्गी ने अपनी अदभुत तर्क शक्ति से याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि को चौंका दिया तथा अपनी इच्छाओं से उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे विस्तृत समाज को स्तब्ध कर दिया।

अनेक महिलायें अध्यापकों का जीवन व्यतीत करती थीं। जो अपना शिक्षण कार्य उत्साह और लगन के साथ करती थीं। ऐसी स्त्रियाँ 'उपाध्याया' कही जाती थी। वे छात्राओं को पढ़ाती थी। यद्यपि उस युग में सह-शिक्षण का भी प्रचलन था। पुराणों से पता चलता है कि नारी शिक्षा के दो रूप थे। एक अध्यात्मिक ज्ञान में वृहस्पति मगिनी, अपर्णा, मनाधारणि, सतरूपा कन्याओं का उल्लेख हुआ है।

वैदिक काल में स्त्री जितनी स्वतन्त्र और मुक्त थी उतनी पूर्ववर्ती काल में किसी भी युग में नहीं थी। सभी दृष्टियों से वह पुरुष के समान थी। सभी ज्ञान, यज्ञ आदि विभिन्न क्षेत्रों में वह स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मिलित होती थी। उस युग में बहुत से ऐसी विदुषी स्त्रियाँ थी जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं का प्रणयन किया था। ज्ञान और विद्वता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि याज्ञिक कार्यों में भी वे अग्रणी थी। ब्रह्मयज्ञ में जिन ऋषियों की गणना की जाती है, उनमें सूलमा, गर्गो आदि विदुषियों के भी नाम लिये जाते हैं। जनक यज्ञ के अवसर पर जो धार्मिक शास्त्रार्थ आयोजित किया था उसमें गर्गो ने अपनी विलक्षण तर्कशील और सूक्ष्म विचार तंतुओं से दुखह प्रश्न को दूधकर आज्ञावलक्य ऋषि के दांत खट्टे कर दिये। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि उस युग के स्त्रियाँ स्वतन्त्रता पूर्वक पुरुषों के साथ सभी कार्यों में सम्मिलित होती थीं। उसके मान और सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल से ही नारी की दशा अवनति की ओर अग्रसर होने लगी। उसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसे असत्यभाषा कहा गया तथा पुरुषों के साथ यज्ञ में समान भाग लेने से वंचित कर उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इस तरह उन पर सामाजिक और धार्मिक अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाये गये जो आगे चलकर और भी विस्तृत हो गये।

धर्मसूत्रों और स्मृतियों को युग में स्त्री की दशा पूर्णतः पतनोन्मुखी हो गयी। स्त्री के साथ भोजन करने वाला पुरुष खराब आचरण वाला कहलाने लगा। उस स्त्री की प्रशंसा की गयी जो प्रतिवाद न करने वाली थी। उसका स्वतंत्र अस्तित्व एवं उन्मूकता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये गये। पूर्व मध्य युग तक आकर इसके सारे अधिकार सीमित कर दिये गये, वे घर से बिना कहे और बिना चादर ओढ़े न निकले, शीघ्रता पूर्व न चले। सन्यासी एवं वृद्ध बौद्ध के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से बातें न करें। अपनी नाभि खुली न रखें, मुँह ढके बिना न हंसे, एड़ी तक कपड़ा पहने, पति या सम्बन्धियों से घृणा न करें तथा दूत, वैश्या, बांझ बताने वाली आदि दुःशील स्त्रियों के साथ न रहें। इस प्रकार अनेक प्रकार के नियंत्रण उस पर लगाये गये। दासी के रूप में उसे सभी गृहस्थ कार्य करने का निर्देश दिया गया। अलवीरुनी भी लिखता है कि कन्या की अपेक्षा पुत्र का अधिक ध्यान रखा जाता था।

#### **अध्ययन की आवश्यकता :-**

समाज शास्त्र में प्रायः महिलाओं की शिक्षा सशक्तीकरण स्वतंत्रता तथा अधिकार पर विगत वर्षों से शोध कार्य संपन्न किये जा चुके हैं और वर्तमान में भी जारी हैं, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित शोध कार्य कम ही है। अतएव प्रस्तुत शोध समाज में महिलाओं की स्थिति पर आधारित है। महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करने से सम्बन्धित व्यवहार का एक सामाजिक चित्रण है।

अतः यह अध्ययन इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है जिससे हम समाज में व्याप्त असमानता, असामाजिकता एवं महिलाओं की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें।

**शोध प्रारूप एवं प्रविधि :-**

**1. अध्ययन का क्षेत्र :-**

अध्ययन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ का डक्षेत्र चिनहट का चयन किया गया है सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र का पायलट सर्वे किया जायेगा। जिसके द्वारा वहाँ के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति उनकी समस्याएँ एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की जायेगी। चयनित क्षेत्र की महिलाओं के सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखा जायेगा।

**2. अध्ययन का प्रारूप :-**

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखते हुए अन्वेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे शोध प्रारूप का सम्बन्ध प्राथमिक शोध से है जिसके अन्तर्गत समस्या के विषय में प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त करके भावी अध्ययन की आधार शिला तैयार की जायेगी अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखला बद्धता को स्पष्ट किया जायेगा जिनमें नवीन तथ्यों या सूचनाओं को उद्घाटित किया जा सकें।

**3. उपकल्पना :-**

सामाजिक शोध को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु उपकल्पना का निर्माण अति आवश्यक हो जाता है। उपकल्पना सामाजिक शोध को एक आधार प्रस्तुत करता है, जिनके द्वारा सामाजिक शोध को एक दिशा तथा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

1. महिलाओं में अपने अधिकारों की जानकारी का अभाव होगा।
2. महिलाये समाज में अपनी स्थिति से अनभिज्ञ होंगी।
3. समाज में व्याप्त समस्याओं से ग्रसित होंगी।
4. परिवार में निर्णय निर्धारण की भूमिका नहीं होगी।

**4. अध्ययन का उद्देश्य :-**

सामाजिक शोध का सबसे महत्पूर्ण चरण उद्देश्य निर्धारण है जिनके आधार पर सामाजिक शोध को वैज्ञानिक बनाने के साथ एक दिशा प्रदान की जाती है। अतः प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।
2. महिलाओं को परिवार में प्राथमिकता न देने के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करना।
3. महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।
4. परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
5. महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कराना।

**5. निदर्शन :-**

प्रस्तुत शोध की समस्या तथा उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन (Purposive Sampling) तत्पश्चात् दैव निदर्शन (Random Sampling) प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा।

**6. तथ्य संकलन :-**

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्य संकलित किये जायेंगे। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु सर्वप्रथम पायल सर्टिंग (Poil Sorting) तथा रेटिंग (Rating) विधि का प्रयोग किया जायेगा। रेटिंग (Rating) विधि के पश्चात् प्राप्त तथ्य (चर) के सहयोग से साक्षात्कार अनुसूची तैयार किये जायेंगे।

तत्पश्चात् उद्देश्य पूर्ण निदर्शन के द्वारा चयनित 300 सूचनादाताओं का साक्षात्कार किया जायेगा। साक्षात्कार अनुसूची में खुली तथा बन्द दोनों प्रकार के प्रश्नों को रखा जायेगा।

उद्देश्य की पूर्ति तथा तटस्थता हेतु कुछ द्वितीयक तथ्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा। द्वितीयक तथ्य जैसे अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रकाशित तथा अप्रकाशित साहित्य, शोध प्रबन्ध, सरकारी अभिलेखों से भी महत्वपूर्ण सामग्री संकलित की जायेगी। प्रस्तुत शोध की समस्या का समाधान तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु महिलाओं पर प्रकाश डालते हुए विषय का अध्ययन किया जायेगा।

**7. तथ्य विश्लेषण :-**

तथ्य संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन के उपरान्त तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जायेगी। तथ्यों के सारणीयन तथा विश्लेषण हेतु कुछ सांख्यिकीय प्रविधियों का भी प्रयोग किया जायेगा।

**निष्कर्ष एवं सुझाव :-**

1. सूचनादाताओं द्वारा दिये गये सुझाव।
2. अनुसंधानकर्त्री द्वारा दिये गये सुझाव।
3. सामाजिक विकास हेतु सुझाव।
4. आर्थिक विकास हेतु सुझाव।
5. शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव।



## भारतीय चुनावों में उभरती नवीन प्रवृत्तियाँ

डॉ दयाशंकर सिंह यादव

देश की राजनीति में आए दिन कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तीन चार दशकों में राजनीति में कई नई प्रवृत्तियाँ उभर कर आई हैं। जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. पीके चौधरी ने कहा कि भारतीय राजनीति में उभरती नई प्रवृत्ति के दौर में कई ऐसे गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। जिस पर चिंतन की जरूरत है। डीयू के प्रोफेसर सूरज यादव ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्ति पर शोध के कई दरवाजे खुल चुके हैं। डॉ. अनिल कुमार झा ने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होने पर ही कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ेगा।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गठबंधन की राजनीति ने राजनीति के अपराधीकरण को भी तेज किया है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ने से आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के चुनावी राजनीति में और उनके जरिये प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश की समस्या बहुत बढ़ गई है। गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक व्यवस्था की साख को दांव पर लगाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। आज कई ऐसे नेता हैं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से गठबंधन की राजनीति ने समूची भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का रोग फैलाने का काम किया।<sup>1</sup> क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण सोच नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए उनकी दृष्टि भी संकीर्ण ही होती है। ये पार्टियाँ लोकलुभावन तरीकों से समर्थन हासिल करती हैं। इस व्यवस्था में सत्ता केंद्र से राज्यों में आती है। गठबंधन के सभी क्षेत्रीय भागीदारों के मजबूत एजेंडा होते हैं और उनके पास राष्ट्रीय एजेंडा नहीं होता। नतीजा यह होता है कि राज्य मजबूत हो जाते हैं और केंद्र कमजोर हो जाता है।<sup>2</sup>

बदलती राजनीतिक तस्वीर के बीच एक पार्टी के प्रभुत्व वाली बहुदलीय व्यवस्था के बजाय राजनीतिक बहुलवाद कायम हो गया। विविधता भरी भारतीय जनता को देखते हुए यह स्वाभाविक भी था। क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर आकांक्षाएं जगीं, कई प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक विविधता सामने आई, जिसने नस्ली, जातीय, धार्मिक और ऐसे ही अन्य पहलुओं को स्वर दिया। क्षेत्रीय चेतना ने कई नई राजनीतिक पार्टियों को बढ़ावा दिया।<sup>3</sup>

सत्ता साझा करने और राजनीतिक समझौते के लिए राजनीति गठबंधन की बाध्यता थी और उसे मतदाताओं की राजनीतिक चेतना तथा फैसले लेने की परिपक्वता के नए स्तर के रूप में देखा जाना चाहिए। गठबंधनों को राजनीति अस्थिरता का कारक मानने के बजाय एक ही पार्टी के दबदबे के खिलाफ मतदाताओं के असंतोष और उसके कारण पनपे रोष, विरोध तथा अतिवाद का संकेत मानना चाहिए। यदि मतदाता सख्त रुख और इकतरफा ताकतों को खारिज कर 'एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, सकलडीहा पी जी कालेज, सकलडीहा, चंदौली।



राजनीतिक सामंजस्य और राजनीतिक पार्टियों की साझी सत्ता को तरजीह देते हैं तो यह उनकी परिपक्वता की निशानी है।<sup>4</sup> दो या अधिक राजनीतिक पार्टियों से बनी गठबंधन सरकार इन शर्तों को पूरा करने की निशानी हैं। गठबंधन काल से निकली भारतीय राजनीतिक पार्टियां इतनी परिपक्व या प्रतिबद्ध नहीं हो पाई हैं कि वे संसदीय लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर सकें। कई राज्य स्तरीय पार्टियां नई हैं और बचकाना व्यवहार करती हैं। लोकतंत्र की खातिर सहिष्णुता, समझदारी, सलाह-मशविरे और समझौते की भावना उनके भीतर कतई नहीं है।

भारत की ख्याति विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में है और इस लोकतंत्र का आधार चुनावी राजनीति है। इस विशाल देश में शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहता हो जब किसी भी स्थान पर चुनाव न होते हों। वर्ष 1991 के बाद से भारत में चुनावों में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने लोकतंत्र राजनीति, निर्वाचन आदि को भी प्रभावित किया। सूचना संचार क्रान्ति के आगमन के साथ तो राजनीति तथा चुनावों का चेहरा ही बदल गया। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में हाल के चुनावों में उभरी प्रवृत्तियों और उनके प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

### 1 मतदाताओं की बढ़ती रुचि—

वर्तमान में चुनावों का सबसे अच्छा पहलू यह है कि मतदाताओं का रुझान और मतदान—प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग के प्रयास सराहनीय रहे हैं। आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने, मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा, जनजागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन आदि के कारण चुनावों में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने में मदद मिली है।

### 2 मत प्रतिशत में वृद्धि—

बढ़ते मतप्रतिशत के कारण, चुनावों में अवैध तथा अनैतिक साधनों के प्रयोग की सम्भावनाएं घटती हैं तथा जनमत का वास्तविक रूप प्रतिनिधि सभाओं में दिखलाई देता है। भारी मतदान और मतदाताओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता से यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता लोकतंत्र एवं राजनीति को लेकर उदासीन नहीं है और अपनी शक्ति को पहचानती है।

### 3 सोशल मीडिया की भूमिका—

चुनावों को प्रभावित करने में फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आदि जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट की भी विशेष भूमिका है। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा जनमत के निर्माण में सोशल मीडिया ने प्रभावी भूमिका निभाई है। जनता तक अपनी पहुँच बनाने हेतु विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ तथा प्रत्याशी भी सोशल मीडिया में सक्रिय होकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं।

### 4 विकास और जनहित का अधिक महत्व—

भारतीय जनता की छवि सामान्यतः भावुक मतदाता की रही है, जिन्हें विभिन्न संवेदनशील एवं भावना-प्रधान अपीलों के आधार पर प्रभावित करने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं। विशेष रूप से नब्बे के दशक में 'मंडल-कमंडल' की राजनीति के समय यह प्रवृत्ति हावी रही। लेकिन विगत लगभग एक दशक से मतदाता थोड़े भावुक मुद्दों के बजाय विकास एवं जनहित को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा एवं जागरूकता के बढ़ते स्तर ने मतदाताओं को तार्किक निर्णय लेने में सहायता की है।

### 5 युवा वर्ग को प्राथमिकता—

वर्तमान समय में भारत की बहुलांश आबादी युवा वर्ग में आती है। इसलिए सभी राजनीतिक दल युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तथा अपनी पार्टी में भी युवा चेहरों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन इस स्थिति का कुरूप

आयाम यह है कि विकलांग, आदिवासी, गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, तेजाब हमलों के शिकार आदि जैसे लोग, जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है— उपेक्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे किसी आकर्षक वोट-बैंक का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

#### 6 खर्चीले चुनाव में वृद्धि—

चुनाव दिन-प्रतिदिन ज्यादा व्यय साध्य और खर्चीले भी होते जा रहे हैं। पंचायत से लेकर लोक सभा तक प्रत्याशी चुनावों में भारी धनराशि खर्च करते हैं। इसमें अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन की बड़ी भूमिका होती है। इस परिदृश्य में ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव लड़ना व जीतना बहुत कठिन हो गया है। चुनाव के बाद विजयी प्रत्याशी अपने 'वित्त-पोषकों' को उपकृत करने का प्रयास करता है, जिससे व्यवस्था में भ्रष्टाचार पनपता है।

#### 7 चुनाव व्यवसाय के रूप में—

वस्तुतः चुनावों ने हजारों करोड़ के एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। चुनावों के समय प्रचार करने वाले, नारे लगाने वाले, भीड़ जुटाने वाले, प्रचार-सामग्री तैयार करने वाले, रैलियों के प्रबन्धक आदि इस व्यवसाय से जुड़कर भारी मुनाफा कमाते हैं। चुनाव प्रचार प्रबन्धकों, विज्ञापन एजेंसियों, 'इमेज' गढ़ने वालों आदि ने मिलकर चुनावों को बहुत जटिल बना दिया है।

#### 8 मीडिया द्वारा छवियों को गढ़ना—

यदि मतदाता किसी प्रत्याशी को व्यक्तिगत रूप से न जानता हो तो उसके लिए प्रत्याशी के चरित्र एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय करना असम्भव सा हो गया है। क्योंकि मीडिया तथा 'इमेज' बनाने वालों ने छवियों का व्यापार प्रारम्भ कर दिया है। उदाहरण के लिए अनेक बार आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों को "कर्मठ तथा जुझारू" बताया जाता है तो आदर्शवादी या साफ सुथरे चरित्र वालों को 'रूढ़िवादी' या निष्क्रिय बताकर उसे खारिज करने की कोशिश की जाती है।

#### 9 नैतिकता और सिद्धान्तों का हास—

इस प्रकार की स्थिति में मतदाताओं के लिए उचित-अनुचित या सही-गलत का निर्णय करना बेहद जटिल हो गया है। राजनीति में नैतिकता, सत्यनिष्ठा, शुचिता तथा सिद्धान्तों का स्तर गिरता जा रहा है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बजाय विरोधियों के व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ समूचे विश्व में दिखाई दे रही हैं। हाल में अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में वोटों के भूखे राजनीतिज्ञों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लाँघकर गालीनुमा भाषा का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियाँ लोकतंत्र की गरिमा के लिए घातक है। वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में मानव की एक देश के भीतर तथा देश के बाहर भी आवाजाही बढ़ी है। राजनीतिक दल ऐसे मतदाताओं को लुभाने के लिए भी विभिन्न साधनों का सहारा ले रहे हैं। हाल में निर्वाचन आयोग ने इस ओर भी ध्यान दिया है तथा विदेशों में बसे अनिवासी भारतीयों को मतदान के समय बुलाने हेतु हवाई यात्रा की धनराशि देने को अनुचित गतिविधि माना है। समग्र रूप से देखा जाय तो भारतीय लोकतंत्र और चुनाव क्रमशः परिपक्व होते जा रहे हैं। लेकिन मतदाताओं को एक जागरूक प्रहरी की भूमिका निभानी होगी ताकि लोकतंत्र की गरिमा अक्षुण्ण रहे।

## सन्दर्भ

1. ई सुधाकर, कोअलिशन ईरा इन इंडियन डेमोक्रेसी, थर्ड कॉन्सेप्ट, खंड – 18, क्रमांक 212, अक्टूबर, 2004, पृष्ठ – 11-12
2. पार्वती एए, इमरजेंस ऑफ कोअलिशन सिस्टम इन इंडियारू प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, थर्ड कॉन्सेप्ट, खंड 19, क्रमांक 217, मार्च, 2005, पृष्ठ – 9

- 3 विद्या स्टोक्स, कोअलिशन गवर्नमेंट्स फॉल्ट लाइन्स इन इंडियन पॉलिटी, अजय भंडारी द्वारा संपादित संघ सरकार विषयक, विधान सभा सचिवालय, जनवरी – जून, 2000, पृष्ठ 10
4. अख्तर मजीद, कोअलिशन पॉलिटिक्स एंड पावर शेयरिंग, मानक पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ— 2
- 5 सुभाष काश्यप, “हमारी संसद,” नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, तीसरा संस्करण, 2012



## ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन रोकने के उपाय

अशीष कुमार सिंह

भारत में खेती को व्यवसाय का दर्जा दिये जाने से ग्रामीण नौजवान जो नौकरी या अन्य व्यवसाय की तलाश में शहर की ओर पलायन हो रहे हैं वह रुक जायेगा क्योंकि अनुबन्ध खेती का मूल आधार 'लाभ' की खेती है अनुबन्ध खेती का मूल आधार लाभ की खेती है अनुबन्ध खेती का लाभ कृषकों, कम्पनियों एवं बैंकों सभी को होगा। वर्ष भर उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा।

अगर सरकार सभी किसानों का ऋण माफ कर दे तो भी सारे किसान ऋणमुक्त नहीं हो सकते क्योंकि देश में 32 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई जमीन ही नहीं है इसी कारण इन्हें बैंक या सरकारी संस्थाएं ऋण स्वीकृत नहीं करती हैं इन्हें या तो अपने रिश्तेदारों से या फिर महाजनो से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है, अतः इनके ऋणों की माफी नहीं हो सकती है, इन भूमिहीन लोगों में से दस करोड़ से ज्यादा लोग खेती के काम में लगे हुये हैं और इन्हें सामाजिक स्तर पर किसान ही माना जाता है, लेकिन जब भी किसानों को किसी किस्म की राहत मिलती है तो वे इस दायरे में नहीं आ पाते, किसानों के ऋण की जब माफी होती है तो उसका लाभ मुश्किल से 40 से 48 प्रतिशत किसानों को ही मिलता है इसलिए ऋण माफी का अगर सचमुच लाभ देना ही है तो सिर्फ किसानों को ही उसमें शामिल न किया जाए बल्कि भूमिहीन किसान मजदूरों को भी शामिल किया जाए।

सरकार ने किसानों के हालात सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिसमें नीम कोटेड यूरिया से लेकर किसानों को मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड उपलब्ध कराने, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि शामिल है देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है इतनी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है इतनी बड़ी आबादी को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए कृषि का जिस तरह विकास किया जाना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है कृषि का मौजूदा ढांचा उतने रोजगार सृजित करने के स्थिति में नहीं है जितना 60 प्रतिशत आबादी के लिए आवश्यक है।

सरकार यदि किसानों की हालत सुधारने के लिए वास्तव में गम्भीर है तो उन्हें कृषि से सम्बन्धित सुधारों को एक अभिनय के रूप में लागू करना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि जैसे उपायों से किसानों को सीमित लाभ ही मिलता है इसलिए सरकार को किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किसी अन्य मद में सहायता उपलब्ध करानी चाहिये, कृषि उपकरणों खाद और कीटनाशकों की खरीद पर ज्यादा सब्सिडी दी जा रही सकती है। उन्हें स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया

‘शोधार्थी’

जा सकता है इसके साथ ही मनरेगा का दायरा बढ़ाकर सीमान्त किसानों को अपने खेत की जुताई के लिए भुगतान किया जा सकता है, जिससे कि उन्हें लागत घटाने में मदद मिलेगी, विशेषज्ञों का मानता है कि कृषि ऋण माफी एक दुश्चक्र है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये। आज जरूरत ऐसे माहौल बनाने की है कि किसानों को ऋण लेने की जरूरत ही न पड़े।

ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों निर्धन समाज के कमजोर वर्गों के लोगों का सर्वांगीण विकास उस समय तक नहीं हो सकता जबतक कि उनकी स्वयं की आय और बचत इतनी न हो जाए कि वे अपना व्यवसाय खेती बाड़ी स्वयं की बचत से संचालित कर सकें, खेती एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका स्वरूप मौसमी है और उसमें आय का प्रवाह नियमित नहीं होता किसानों को आय फसलों को बेचने से ही प्राप्त होती है। सीधा सा अर्थ है कि खरीफ की फसली धान ज्वार बाजरा मक्का, अरहर की फसले सितम्बर-अक्टूबर में तैयार होती है उन्हें ही बाजार में बेचा जाता है रबी की फसले अप्रैल मई में तैयार होती है जिनसे किसानों को आय प्राप्त होती है, बगवानी फसलों में सब्जियों को छोड़कर अन्य चिजों के उत्पादन का चक्र भी मौसमी है आम की फसल का आलम तो यह है कि इससे एक फसल में आम आता है और एक में नहीं आता कहने का अर्थ यह है कि जब किसानों को नियमित आय प्राप्त नहीं होती तो वे अपने परिवार के बुनियादी खर्चों भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि तथा खेतीबाड़ी के लिए आगतो-बीज, रासायनिक उर्वरक, डीजल श्रमिकों को मजदूरी आदि के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाते हैं इसी प्रकार बच्चों के विवाह एवं अन्य सामाजिक संस्कारों के लिए साधन कहां से जुटाए जाते हैं।

विभिन्न समितियों और आयोगों की रिपोर्टों एवं विश्लेषणों से यह प्रमाणित हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय साहूकारों, महाजनो नाते-रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, सामान्य तौर पर उधार बिना किसी जमानत के मिल जाता है। लेकिन जहां नहीं मिलता है वहां लोग अपने सोने-चाँदी के आभूषण गिरवी रखकर उधार लेते हैं, ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर 60 प्रतिशत तक ऊँची होती है ब्याज की इतनी ऊँची दर ही किसानों की दुर्दशा का प्रमुख कारण है।

अनुबन्ध खेती में (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) में कम्पनियां, किसानों के साथ एक अनुबन्ध करती है। जिसके तहत पहले से तय कीमतों पर कम्पनियां फसले उत्पाद खरीदती है भारत की नई राष्ट्रीय कृषि नीति के मसौदे में फसलों के विविध उत्पाद की व्यवस्था की गई है अनुबन्ध खेती में अधिक से अधिक पूंजी लगाकर किसानों की मदद से अधिक तथा उन्नत पैदावार प्राप्त कर सकेगी, बैंक को कृषि ऋण देने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें किसान कृषि-उत्पाद क्रेता तथा वित्त पोषक संस्थाएं सभी का हित एक दूसरे पर निर्भर रहेगा जिस हेतु निम्न शर्तें रखी जाती हैं—

1. अनुबन्ध खेती में त्रिपक्षीय समझौता है इसमें किसान कृषि-उत्पाद क्रेता तथा वित्त पोषक संस्थाएं शामिल होती है।
2. अनुबन्ध की अवधि 1 से 5 वर्ष तक हो सकती है यदि पारदर्शिता हो, पारस्परिक आय का वितरण हो तथा नियम अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता हो तो लम्बी अवधि के करार भी किए जा सकते हैं।
3. लघु एवं सीमान्त किसानों को पूंजी का अभाव होता है सुरक्षा (सिक्यूरिटी) कम होने के कारण बैंक नई तकनीकी के लिए पर्याप्त ऋण मुहैया कराने में डरती है, अनुबन्ध खेती में संविदाकार कृषक को नई तकनीकी के साथ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से या स्वयं वित्तिय सुविधा प्रदान कराने की व्यवस्था करती है जिससे उसे उन्नत और अधिक पैदावार मिले इसमें उत्पाद का मूल्य पहले से तय होता है अधिक और गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद से किसान को अधिक मूल्य मिलता है जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है।

भारतीय कृषि पूर्णतया से प्रकृति पर निर्भर है किसान के लिए मौसम की बेरुखी ओले- पाले एवं सूखे ने अनेक परेशानियां पैदा कर दी है जैसा की देश में फसल वर्ष 2014-15 व 2015-2016 में सूखे की स्थिति रही फलतः खाद्यान्न उत्पादन नीचे गिरा जो क्रमशः 252.0 एवं 252.2 मिलियन टन हुआ जबकि वर्ष 2013-14 में अब तक का रिकार्ड उत्पादन 654 मिलियन रहा था इन्ही सब बातों से परेशान किसान कर्ज से परेशान है साथ ही भारतीय कृषि आज पारम्परिक और आधुनिकीकरण के दो-राहे पर खड़ी है, बड़े और प्रगतिशील किसान उच्च तकनीकी कृषि अपनाते हुये आगे आ रहे है इनका उद्देश्य अधिक आय अर्जित करना और जोखिम कम करना है जबकि लघु और सीमान्त किसानों में जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है इन स्थितियों से निपटने के लिए सभी बैंकों ने ग्रामीण विकास अधिकारियों की नियुक्ति की है तथा उन्हें बैंकों द्वारा उच्च तकनीकी युक्त कृषि ऋण वितरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें अनुबन्ध खेती भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अनुबन्ध खेती की सफलता के लिए निम्न प्रयास किये जाने चाहिये-

1. अगर 10-15 किसान आपस में समूह बनाकर कम्पनियों से अनुबन्ध करते है तो किसानों के हित संरक्षित रहते है तथा कम्पनी का प्रबन्धन व्यय बचता है जो यह किसान एवं कम्पनी दोनों के लिए लाभकारी है थाईलैण्ड में यह प्रयास काफी सफल हुआ है वास्तव में थाईलैण्ड सरकार ने इसे 'राष्ट्रीय कृषि विकास' योजना के तहत शामिल किया है इस तरह से किसान क्लब बनाकर कम्पनियों से बेहतर सौदा करते है।
2. किसानों और संविदाकार दोनों को वैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिये।
3. अनुबन्ध खेती का महत्व एवं इसके दीर्घावधि लाभो से पंचायतो एवं चौपालो में किसानों को अवगत कराया जाना चाहिये तथा जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाने चाहिये।
4. अनुबन्ध खेती के अन्तर्गत किये जाने वाले अनुबन्ध हिन्दी में हो तथा यह सरल भाषा में हो ताकि किसानों के समझ में आ सकें।

अनुबन्ध खेती हर वर्ग के लिए लाभप्रद है इससे किसानों को निम्न लाभ है-

1. वर्ष भर उत्पादन होने से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा।
2. कम्पनियों को सतत कच्चे माल की आपूर्ति लम्बी अवधि की योजना बनाना आसान, लम्बी अवधि का करार किया जाना सम्भव बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव, समय से मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद की प्राप्ति पूर्व निर्धारित मूल्य पर प्राप्त कच्चा माल के कारण अपने उत्पाद का सही मूल्य निर्धारण एवं बाजार की प्रतिस्पर्धा से मुकाबले की क्षमता पर आत्मविश्वास बने रहना।
3. बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने के बजाए कम्पनियों को ऋण देने एवं वसुली में सुविधा होती है।

भारत में भी अनुबन्ध खेती के माध्यम से देश के प्रदेशों में कृषि उत्पाद हेतु निम्न अनुबन्ध किए है-

क्र०स०	कम्पनी	कृषि उत्पाद	राज्य
1	पेटसीको इंडिया	आलू, टमाटर, मिर्च, सूर्यमुखी, पामआइल	पंजाब, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश
2.	अपाची कांटन कम्पनी	कांटन	तमिलनाडू, कर्नाटक
3.	कार्गिल डंडिया प्रा०लि०	गेहूँ, जौ, सोयाबीन	मध्य प्रदेश
4.	एस्कौर्ट्स लिमिटेड	बासमती चावल	पंजाब
5.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	गेहूँ	मध्य प्रदेश
6.	आई०टी०सी०, आई०बी०डी०	सोयाबीन	मध्य प्रदेश

7.	मेरिको लिमिटेड	सूरजमुखी	महाराष्ट्र, गुजरात
8.	महिन्द्र शुभ सर्विसेज लि0	विविध उत्पाद	महाराष्ट्र, पंजाब

पे0सी ने पंजाब के संगरूर जिले में अनुबन्ध खेती पर आधारित अनुबन्ध के तहत किसानों से कृषि समझौते किए कम्पनी ने रूपया 22 करोड़ की लागत से टमाटर फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाया कम्पनी ने वहां किसानों को बाजार मुहैया करने के साथ पैदावार में सुधार उपाय भी सुझाए। एग्रो-सेल कोपोरतिओन लिमिटेड गुजरात के कच्छ एवं सुरेन्द्र नगर जिले में वर्षों से लगभग 5000 एकड़ में कम्पनी आर्गेनिक काटन (जैविक कपास) एवं शीशम के बीज की खेती करवा रही है जिससे किसानों को साधारण कपास (कॉटन) के मुकाबले 7 से 8 प्रतिशत तक अधिक मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

किसानों की समृद्धि एवं आर्थिक उन्नति के लिए भारत में अनुबन्ध खेती की बहुत संभावनाएं हैं अनुबन्ध खेती से ग्रामीण युवाओं में कृषि आधारित रोजगार पैदा होगा उनका ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन रुकेगा तथा कृषि उत्पाद निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।

स्रोत—

1. भारत का उद्योग व्यापार पत्रिका,
2. योजना पत्रिका।
3. कृषि समीक्षा
4. दैनिक जागरण सम्पादकी आदि





## सोशल मीडिया और परिवर्तित होता भारतीय समाज

डॉ० श्रीमती शशि बाला

हर एक शताब्दी किसी न किसी खास परिवर्तन के लिये पहचानी जाती है। ऐसे ही 21वीं शताब्दी 'इंटरनेट और वेब मीडिया' के युग की शताब्दी के रूप में मानी जा रही है। इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मीडिया ने समाज के प्रत्येक अंग को गहराई से प्रभावित किया और सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में एक सशक्त भूमिका निभाई। आज सोशल मीडिया सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन कर उभरा है। मीडिया के बदलते आयामों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा समय बदलाव का समय है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन के कई पहलुओं को तय कर रहा है। हमारा रहन-सहन कामकाज, मौजमस्ती सब कुछ आज सोशल मीडिया पर निर्भर हो गया है। इन भावनाओं को हम सोशल मीडिया द्वारा तुरन्त व बहुत आसानी से जाहिर भी कर देते हैं, आधुनिक संदर्भ में सोशल मीडिया के बढ़ते वर्चस्व को देखकर कहा जा सकता है कि इस दौर की एक बड़ी जरूरत और हकीकत बन चुका है सोशल मीडिया।

आन्द्रे कैप्लान और माइकल हैनलीन के अनुसार— “सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित उपयोगों का एक ऐसा समूह है जो विचारधाराओं और तकनीकों के आधार पर निर्मित हुआ है, और यह उपयोगकर्ताओं को सामग्री के सृजन और इसके आदान-प्रदान की सहूलियत प्रदान करता है।”

आज लोगों के खान-पान जीवन शैली में जो भी परिवर्तन आया है, सामाजिक समस्या, सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने का कार्य मीडिया द्वारा ही सम्भव हो पाया है, नैतिक मूल्यों के साथ वर्तमान में जिस परिवर्तन का दर्शन कर रहे हैं उसमें सबसे अधिक श्रेय मीडिया को जाता है। मीडिया लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ के रूप में समाज को मजबूत दशा और दिशा प्रदान कर रहा है।

अगर सोशल मीडिया में मूल अर्थ की बात की जाए तो कम्प्यूटर, टेबलेट या मोबाइल के माध्यम से किसी भी मानव संचार या इंटरनेट पर जानकारी साझा करना सोशल मीडिया कहलाता है।

इस प्रक्रिया में कई वेबसाइट एवं एप का योगदान होता है, हम इंटरनेट के माध्यम से निम्न सेवाएं ले सकते हैं—

‘एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा (अवध)

- फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स
- मैसेजिंग या काल सर्विस जैसे वॉट्सऐप
- स्काइप, गूगल, हेंगआउट से लाइव बातचीत
- कई तरह की ई-मेल सर्विसेज
- न्यूज से जुड़ी साइट्स पर एक्सेस
- आभासी खेल दुनिया (जैसे- वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट)

आज सोशल नेटवर्किंग दुनिया भर में इंटरनेट पर होने वाली नंबर वन गतिविधि है, हर आयु-वर्ग के लोगों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्रेज दिनों-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं, जो देश और दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है। हम खुद के विचार रखने के साथ-साथ दूसरों की बातों पर खुलकर अपनी राय भी व्यक्त कर पाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया का एक विशाल नेटवर्क है, जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। एक जमाना था जब समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण खबरे भी दो या तीन दिन बाद आ पाती थी, आज सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली माध्यम बन गया है कि सात समुंदर पार की घटित घटनाओं को भी हम सीधे अपने कमरे में चाय पीते हुये देख सकते हैं। देशी और विदेशी समाचारों के प्रदर्शन पर अपनी राय भी भेज सकते हैं।

सोशल मीडिया आज ज्यादातर लोगों के जीवन का हिस्सा सा बन गया है, इसका प्रयोग हर वह व्यक्ति करने लगा है जो अपनी बात दूसरों के समक्ष रखना चाहता है। विश्व के भिन्न-भिन्न देशों में भी आज लोग अपनी सुविधा व परिवेश के अनुसार सोशल मीडिया के विभिन्न सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर अपने विचारों, सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। नब्बे के दशक में पहली बार सोशल मीडिया की चर्चा हुई, जब 1994 में सबसे पहला सोशल मीडिया **जीओसाइट** के रूप में आया। जिसका उद्देश्य एक ऐसी वेबसाइट बनाना था, जिसके माध्यम से लोग अपने विचार और बातचीत आपस में शेयर कर सकें। शुरू में यह मात्र 6 शहरों में ही इस्तेमाल किया गया पर आज यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। आज फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लान, माय स्पेस, पिटरेस्ट, आरकुट आदि कई तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स दुनिया को एक सूत्र में बांध रही हैं। इंटरनेट आधारित सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत वर्ष 2002 में **'फ्रेडस्टर'** से हुई थी। कुछ समय बाद **'माई स्पेस'** व **'लिनडन'** जैसी साइटें सामने आईं। आज की तारीख में सबसे अधिक लोकप्रिय नेटवर्किंग साइट्स 2004 में फेसबुक का आगमन हुआ। 'ट्विटर' इसके बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। आंकड़ों में यदि हम बात करें तो **फेसबुक पर एक अरब**, ट्वीटर पर 20 करोड़, गूगल प्लस पर 17.5 करोड़ एवं पिटरेस्ट पर **11 करोड़ से** भी ज्यादा यूजर सक्रिय हैं। सोशल साइट्स के यूजर की दीवानगी को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि औसतन प्रतिमाह वे फेसबुक पर 409 मिनट, पिटरेस्ट पर 92 मिनट, ट्विटर पर 25 मिनट व गूगल प्लस पर 8 मिनट अपना कीमती समय खर्च करते हैं। राजनीति, फिल्म जगत, साहित्य, कला, अर्थ, मीडिया, कारपोरेट जगत से लेकर सरकारी नौकरियों में पदस्थ एवं सैन्य अधिकारी भी सोशल मीडिया के इन विभिन्न साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने मन की बात कहने के लिये उचित मंच नहीं पाते, वे भी इन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे। सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स में फेसबुक जिसने 15 वर्ष के अपने सफर में तथा 5 साल के ट्विटर ने इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के बीच न सिर्फ अपनी खास जगह बनाई है, बल्कि उनके लिये अपनी बात कहने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म या कहिए मजबूत हथियार बन गया है। न तो फेसबुक को दुनिया में लाने वाले

मार्क जुकरबर्ग, डस्टिन मोस्कोविज, एडुआर्डो सवेरिन, एड्र्यू मैकोलुम और क्रिस हयुजेज और ना ही ट्विटर के संस्थापकों इवान विलियम नोआ ग्लास, जैक डोर्सी और बिज स्टोन ने कभी ये सोचा होगा कि इन सोशल साइट्स का असर इतना व्यापक होगा जितना कि अब दिख रहा है। वैश्वीकरण के इस युग में फेसबुक 'वर्चुअल कंट्री' का रूप ले चुका है। दुनियाभर में हर सात में से एक व्यक्ति फेसबुक से जुड़ा हुआ है, आज फेसबुक दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। कभी कम्प्यूटर से घबराने वाले और उसको देखकर नाक-भैं सिकोड़ने वाले प्रौढ़ व्यक्ति भी आज विभिन्न सोशल साइट्स पर सक्रिय देखे जा सकते हैं। इंटरनेट एण्ड मोबाइल ऐसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार— भारत में शहरी क्षेत्र में सोशल मीडिया के यूजरों की संख्या 2018 तक 9 करोड़ से भी ज्यादा थी। स्पष्ट है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 74 प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक चार में से 3 व्यक्ति सोशल मीडिया को किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं।

#### भारत में सोशल मीडिया के कितने किसके यूजर (संख्या करोड़ों में)



भारतीय समाज और संस्कृति में जबदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सामाजिक मीडिया द्वारा सामाजिक परिवर्तन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, सोशल मीडिया के कारण समाज के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों और उस पर पड़ने वाले प्रभाव से परिवर्तित होते भारतीय समाज को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालकर स्पष्टतः देखा व समझा जा सकता है—

#### साक्षरता के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका—

सोशल मीडिया के बढ़ते हुये वर्चस्व ने साक्षरता के प्रचार प्रसार में जबदस्त परिवर्तन कर दिखाया है। साक्षरता के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया वरदान सिद्ध हो चुका है। भारत जैसे देश में साधारण जनता तक शिक्षा की पहुंच लगभग बहुत कम है, उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाय या उनको शिक्षा के लिये जागरूक कैसे बनाया जाये इन सब के लिये मीडिया एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो शिक्षा से सम्बन्धित हैं, जैसे— **सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ** इत्यादि, इन सभी का प्रचार मीडिया द्वारा ही किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता आयी है और लोग अधिक से अधिक शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया प्रशासन एवं शिक्षा व्यवस्था के कमियों को उजागर करता है। आज साक्षरता की दर बढ़कर 74% हो गयी है, जो 1951 में 18.33% था, आज जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% तथा महिला साक्षरता 65.46% है। ये सब परिवर्तन मीडिया के प्रचार-प्रसार के कारण ही सम्भव हो सका है।

**राजनीतिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका** — किसी भी देश की राजनीति उस देश की दशा व दिशा को निर्धारित करती है। वर्तमान परिदृश्य में मीडिया राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रही है। आज के दौर में प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी-अपनी पैड प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में बनाने में लगे हुये हैं, क्योंकि मीडिया का झुकाव जिस राजनैतिक दल या जिस विचारधारा की तरफ होता है, उसी तरफ आम जनता का झुकाव होने लगता है। सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री जी ने भी **फेसबुक मुख्यालय** में कहा कि सोशल मीडिया में गजब की ताकत और फायदे हैं।

मीडिया सरकार के कमियों एवं मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाती है, जिससे यभासंभव परिवर्तन हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी 'मन की बात' कहने के लिये इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके, और उन्हें प्रभावित किया जा सके।

**लोकतन्त्र में मीडिया की भूमिका—** लोकतन्त्र व्यवस्था में मीडिया सरकार के नीतियों का विश्लेषण समालोचना एवं आलोचना करते हुये इस पर नियन्त्रण बनाये रखती है। यह सोशल मीडिया ही है जो शासन के सभी अंगों के गतिविधियों से जनता को अवगत कराती है, उनमें जागरूकता लाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अभिरुची पैदा करती है।

**सोशल मीडिया ऑनलाइन क्लास के रूप में—** आज के तकनीकी युग में शिक्षा इतनी आधुनिक बन गया है कि सामान्य क्लासेज को आधुनिक संसाधनों से लैस स्मार्ट क्लासेज में बदलना आसान हो गया है। किताबों से भरे बैग अब स्मार्ट-फोन, टैबलेट एवं लैपटॉप में सिमटते जा रहे हैं। ग्रंथालय के स्थान पर साइबर लाइब्रेरी एवं डिजिटल लाइब्रेरी अपना स्थान बना रहे हैं। ज्यादातर किताबें मैगजीन, उपन्यास ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भारत में भी अब ऑनलाइन क्लासेज एवं कोर्स बढ़ते ही जा रहे हैं।

कोविड-19 के कारण जब भारत में पूरी तरह से लाकडाउन की घोषणा कर दी गयी थी, स्कूल कालेज के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थान भी पूरी तरह बंद कर दिये गए, तो एक मात्र विकल्प बना सोशल मीडिया और इंटरनेट के विभिन्न एप, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल क्लास रूप, गूगल मीट, जूम, हैंग, आउट्स आदि।

**सोशल मीडिया और ऑनलाइन वेबिनार—** उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के वैचारिक विकास के लिये समय-समय पर सेमिनार, कांफ्रेंस एवं सम्मेलनों का आयोजन होता रहता है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में देश विदेश से छात्र एवं विषय विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं, इसमें काफी धन और समय खर्च होता है, परन्तु अब ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया जाने लगा है, जो काफी सफल व उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, देश विदेश से प्रोफेसर, विशेषज्ञ, विद्यार्थी एवं शोधार्थी एकत्रित होकर अपने विचारों का आदान-प्रदान विभिन्न सोशल मीडिया एप द्वारा कर रहे हैं, जिनमें यू-ट्यूब, फेसबुक, जूम, गूगल मीट आदि मुख्य हैं। ऑनलाइन वेबिनार के होने के कारण काफी समय व फिजून खर्च में कमी आ रही है, और समाज में नयी सोच विकसित हो रही है।

**अब दैनिक रियलिटी है ओटीटी/वेब सीरीज—** अब ओटीटी प्लेटफार्म/फिल्मों का नया वे सीरीज अब एक ऐसी सच्चाई है, जो हमारे मोबाइल से लेकर घरों तक में प्रवेश कर चुका है। कोविड-19 से बचाव के लिये हुए लॉकडाउन और आनलॉक के जबरन अवकाश के दिनों में 21 वीं सदी के दर्शकों ने मनोरंजन के लिये इसका सहारा लिया। धीरे-धीरे उन्हें इसकी आदत हो गयी। ओटीटी प्लेटफार्म ने फिल्मों के प्रसारण के अधिकार भी लेने शुरू किये हैं। अब निर्माताओं की सैटेलाइट अधिकार से ज्यादा फिक्र ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यानी ओटीटी प्लेटफार्म की रहती है। वेब सीरीज के आरम्भ होने से दर्शकों को अब अपने मोबाइल द्वारा घर बैठे मूवी देखने का अवसर मिल जाता है, जिससे उनका समय न पैसा दोनों की बचत होती है।

**सोशल मीडिया: बुजुर्गों के साथी के रूप में—** आज के इस अति व्यस्त कम्प्यूटराइज्ड जमाने में सबसे अधिक मुश्किल बुजुर्गों या सीनियर सिटीजन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हुई थी, पर इस सोशल मीडिया के विभिन्न एप बुजुर्गों के सबसे बड़े साथी के रूप में मददगार साबित हुये हैं। अगर वे थोड़ा बहुत भी उसका इस्तेमाल सीख लेते हैं तो दौड़ती भागती इस दुनिया के बुजुर्गों को समझ लेना चाहिए कि आर्थराइटिस उनके पैरों को लाचार कर सकता है, दिमाग को नहीं। यदि उन्हें इंटरनेट की बुनियादी जानकारी भी हो, तो उसके सहारे अपना समय अब वे अच्छी तरह निकाल सकते हैं, अब वे अपना बिजली, पानी, सिलेंडर, केबल टीवी, मोबाइल का बिल सब मोबाइल से ही जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर ही वे शार्ट फिल्म, स्वास्थ्य सम्बन्धी वीडियो, धार्मिक भजन आदि देख व सुन सकते हैं, फेसबुक से व्हाट्सअप मैसेजर से दूर रह रहे बच्चों से

बात कर सकते हैं, वीडियो चैट करके आनलाइन अपने नाती-पोतो की तस्वीर भी देख सकते हैं। सुबह-शाम योगा प्राणायाम का वीडियो लगा कर योगा भी कर सकते हैं, इस कोरोना काल में तो कैशलेस शॉपिंग का महत्व बढ़ा दिया है। इसके अलावा बुजुर्ग सोशल मीडिया पर वाइस टाइपिंग करके अपने लेखन के कौशल को भी जीवंत रख सकते हैं, और तो और अब तो सोशल मीडिया पर आनलाइन डाक्टरों ने भी सेवाये देनी शुरू कर दी है, तो एक बार मर्ज दर्ज करवाने के बाद वे आनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं, केमिस्ट लिखी हुई दवाइयां घर पहुंचा देते हैं और कोई तकलीफ होने पर वे वाइस मैसेज भी भेज सकते हैं, डाक्टर के पास इस प्रकार सोशल मीडिया ने आज के बुजुर्गों की जिन्दगी को भी बहुत आसान बना दिया है, खासतौर पर उन बुजुर्गों की जो अकेले हैं। सोशल मीडिया बुजुर्गों के एक अच्छे साथी के रूप में उभरकर सामने आया है, जो समाज पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप में प्रभाव डाल रहा है

### **सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव—**

सोशल मीडिया द्वारा विचारों सामग्री सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों के बीच शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया भारतीय समाज व संस्कृति को चहुँओर से परिवर्तित करता चला जा रहा है, जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया व्यक्ति और समाज के लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया दूसरी तरफ एक अभिशाप भी साबित हो रहा है। कई भौतिक विदों का मानना है कि आज अत्यधिक सोशल मीडिया का प्रयोग व्यक्ति को सोशल भी बना सकता है और एकाकी भी।

**सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव—** सोशल मीडिया द्वारा विचारों सामग्री सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों के बीच शेयर किया जा सकता है। सोशल मीडिया भारतीय समाज व संस्कृति को चहुँओर से परिवर्तित व प्रभावित करता चला जा रहा है, जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया व्यक्ति और समाज के लिये वरदान साबित हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया दूसरी तरफ एक अभिशाप भी साबित हो रहा है।

कई भौतिक विदों का मानना है कि आज अत्यधिक सोशल मीडिया का प्रयोग व्यक्ति को सोशल भी बना सकता है और एकाकी भी।

सोशल मीडिया पर आज हम दुनिया को अपनी अच्छाइयों व रचनात्मकता से रूबरू करा सकते हैं तो दूसरों की बुराइयों को सीख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर हम अपने पुराने मित्रों के साथ फिर से ताजगी महसूस कर सकते हैं तो अनजाने लोगों के साथ धोखा भी खा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ **सैम पित्रोदा** के अनुसार “आज सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने, यादों को सहेजने, संवाद के माध्यम से प्रति संवाद, उनमें चेतना फैलाने व विमर्श पैदा करने एवं विभिन्न विषयों पर जीवंत एवं अनंत बहस का उत्कृष्ट और बेजोड़ उपकरण के रूप में तेजी से उभर रहा है।”

यद्यपि 1950 के दशक से संचार का यह स्वरूप विकसित होकर नये रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य का स्वभाव उसके साथ पूर्ण रूप में सामंजस्य बैठाने में सफल नहीं हो पाया है, भारत में भी समय-समय पर गूगल, ट्विटर, फेसबुक पर कड़ी निगरानी की जाती रही है, ऐसा भी नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का विवादों से सामना न हुआ हो। समय-समय पर यह चारों तरफ आलोचना का केन्द्र बिन्दु भी रहा है। सोशल मीडिया का एक प्रमुख साइट्स फेसबुक युवा वर्ग में एक नशा बनकर भी उभरा है। ऐसा खेल बन चुका है, जहाँ एक-दूसरे के साथ लाइक और शेयर के साथ सुख-दुख और सपने बाटे जाने लगे हैं और अगले ही क्षण रिश्तों को ब्लाक भी कर दिया जाने लगा है, जो कि लोगों के मनोमास्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। कई भौतिकविदों का मानना है कि सोशल मीडिया आज लोगों में डिप्रेशन और तनाव के प्रसार का एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण लोगों के सोने की आदतों में परिवर्तन, साइबर क्राइम में वृद्धि, बच्चों के प्रति लगातार बढ़ते अपराध और एक प्रभावशाली प्रोफाइल

युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय दे देने के कारण अन्य जरूरी व आवश्यक कार्यों के लिये बहुत कम समय बच पाता है एवं अन्य दूसरी नई समस्याएँ जन्म लेने लगती हैं, जैसे किसी काम में ध्यान न लगना, नींद न आना, भूख न लगना, अत्यधिक क्रोध आना व चिंता व दबाव का बने रहना। साथ ही सोशल मीडिया के अत्याधिक प्रयोग व गोपनीयता से निजता में कमी आने लगती है। यह साइबर क्राइम जैसे— हैकिंग, पहचान सम्बन्धी चोरी, जालसाजी, अपराधों के लिये भी संवेदनशील बनाने का द्वार खोलता है। सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स ने लोगों को वास्तविक जीवन के बजाय आभासी जीवन में रहने का आदी बना दिया है, अब यह एक ऐसा खेल बन चुका है जिसके कारण उपयोगकर्ता कम आत्मसम्मान, निराशा, मानसिक विकार, तनाव और बुरी आदत की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसलिये आवश्यकता आज इस बात की है कि हमें सोशल मीडिया की कार्य पद्धति और इसके इस्तेमाल में प्रयोग किये जाने वाले घण्टों के तरीके को समझना होगा, सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग भारी मुसीबत ला सकता है। इसे रोकने का सबसे सरल और आसान तरीका यही होगा कि यूजर फेसबुक, ट्वीटर यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय सीमित करें। आराम करने और बाहर जाने के लिये समय निकालें। इंटरनेट केवल सोशल मीडिया के उपयोग के लिये ही नहीं है, यह सूचना का एक भंडारगृह है, इसलिये इसका उपयोग बुद्धिमानी व सावधानी से करना चाहिए।

## सन्दर्भ

1. शर्मा, आर0 के0 – दी रोल आफ मीडिया इन सोसाइटी अमर पब्लिकेशन, सागर 2003 पृ0 –93
2. श्री निवास, एम.एन.— आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली—2005, पृ0—10
3. हेपबर्थ कार्म ई0. और वाटरसन— मिचेल इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड दी स्पेक्ट्रल डाइनेमिक्स ऑफ कैपिटल, इन्फोरमेशन इकोनामिक्स एण्ड पालिटी 1998
4. जोशी एस.आर.— “सोशियल एण्ड कल्चरल इम्पैक्ट आफ केबिल एण्ड सेटेलाइट” टी0वी0 डेवलपमेन्ट एण्ड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट, अहमदाबाद—1993, पृ0 42
5. दोषी, एस.एल.—“आधुनिक, उत्तर—आधुनिकता एवं नव समाजशास्त्रीय सिद्धान्त रावत नई दिल्ली 2002 पृ0—127
6. राय, अनिल कुमार— संचार के सात सोपान पृष्ठ 296
7. विज्ञापन की दुनिया—कुमुद शर्मा पृष्ठ—56
8. यादव, बृजेश कुमार “सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका” शोध छात्र B.H.U. द्वारा
9. दुबे, डा0 श्यामाचरण— संचार और विकास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, 1986
10. प्रभारत रविन्द्र— आम आदमी की ताकत बना सोशल मीडिया, जनसन्देश टाइम्स, 5 जनवरी 2014
11. Media Khabar.com/Media-Role-in Janmat - nirman



## ग्रामीण किसान की चुनौतियां एवं उसका समाधान

प्रतिभा सिंह

विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने की मूलभूत अवधारणा सम्पूर्ण विश्व में भूखे और कुपोषित लोगो की जागरूता पैदा करना और भूखमरी व कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है। देश में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक मात्र दीर्घकालीन उपाय प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिकभोजन प्रदान करने के लिए फसल विविधीकरण और उत्पादन बढ़ाने में निहित है।

देश में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने खाद्यान्न पैदा करने के लिए भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को कम कर दिया है अतः देश की लगातार बढ़ती आबादी हेतु खाद्यान्न की बार-बार आपूर्ति के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना अनिवार्य है, ताकि प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक कृषि उत्पादन किया जा सके, ताकि कोई भी भारतीय भूखे पेट न सो सके, साथ ही खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत दुनियाका नेतृत्व कर सके अतः भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए असरदार कार्य व्यापक तौर पर करने की आवश्यकता है आज सरकार कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है इस सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से खाद्यान्नों दलहनों और तिलहनों की कई उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया गया है। जैसे अरहर की बीएयूबीबीओ 9-22, बी ए यू, रांचीद्वारा विकसित प्रजाति, इससे देश में गेहूँ, दलहन और तिलहनो की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। कृषि को विकसित करने के लिए नवीनतम तकनीको का प्रयोग करने की सख्त जरूरत है। दलहन व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए किसानों और क्षेत्रों की पहचान करनी होगी कृषि उत्पादन मुख्यतः दलहन के उत्पादन को वर्ष 2024 तक 24 मिलियन टन तक पहुंचाना होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ लगातार बढ़ रही जनसंख्या का भरण-पोषण हो सके, प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुनी करने का भी तभी पूरा हो पायेगा, जब कम खर्चीली स्वदेशी तकनीको को कृषिमें अपनाया जाय।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन कृषि योग्य भूमि में कमी जल संकट तथा अन्य कारणों से अनाज का नष्ट हो जानाआदि के चलते खाद्यान्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, एक तरफ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमिका क्षेत्रफल भी घट रहा है। हमारे देश में अनाज भंडारण की समस्या एक गम्भीर शोध छात्रा



चिंता का विषय है हर वर्ष हजारों टन (25–30 प्रतिशत) अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कर नष्ट हो जाता है अतः भुखमरी जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए भविष्य में अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये किसानों के पास अपने माल को स्टोर करने की क्षमता नहीं है फसल के सीजन में किसान अपने फसल उत्पाद ओने-पोने दामों में बेचने को मजबूर होता है। देश में बहुत बड़ा क्षेत्र सूखाग्रस्त है जो कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 44 प्रतिशत योगदान करता है। हमारे देश में अधिकांश फसलें वर्षा के भरोसे होती हैं देश में वर्षा आधारित खेती करने योग्य पर्याप्त क्षेत्रफल है इन क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न का उत्पादक किया जा सकता है भारत में वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति भूमि 0.46 हेक्टेयर थी जो घटकर 0.14 हेक्टेयर वर्ष 2011–12 तक रह गयी हैं देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रति इकाई क्षेत्र कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, दोषपूर्ण कृषिक्रियाओं के कारण भूमि के स्वास्थ्य एवं उपजाऊपन में कमी सामने आ रही है विशेषकर भूमि में जीवांश कार्बन 0.2 प्रतिशत से नीचे चला गया है जो आदर्श अनुपात मात्रा 0.80–0.85 प्रतिशत होनी चाहिये तभी भूमि उपजाऊ बनी रहेगी, दोहन के मुकाबले आपूर्ति के अभाव में पोषक तत्वों की जमीन में कमी होती जा रही है जमीन में सल्फर, जिंक, आयरन आदि सूक्ष्म तत्वों की कमी होती जा रही है कृषकों में ज्ञान की कमी कारण समस्या और गम्भीर होती जा रही है। आज जहाँ कृषि रसायनों के गलत और अत्याधिक प्रयोग से कृषि भूमि का उपजाऊपन और मृदा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है।

भारत में पिछले कई दशकों से खेती बागवानी एवं विकास कार्यों में भूगर्भीय जल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है इस कारण भूमिगत जल के अन्धाधुन्ध दोहन से भू-जल स्तर निरन्तर तेजी से घटता जा रहा है पिछले कई वर्षों से नीलगायें व जंगली सुअर, साड़ किसानों की फसलों की बर्बादी का कारण बने हुये हैं किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. किसानों को बीज, उर्वरक, मृदा संरक्षण, डीजल और बिजली भाव से सस्ती दर पर उपलब्ध कराकर सीधे सब्सिडी का लाभ दिया जाना चाहिये।
2. किसानों को उनकी सभी फसलों का उचित मूल्य लागत के हिसाब से मिलना चाहिये ताकि वे अधिक खाद्यान्न उत्पादित करें तथा साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी एवं संचार सूचना क्रान्ति से अनाज की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
3. खाद्य पदार्थों की बर्बादी को लेकर सख्त कानून बनाये जाने चाहिये, इस सम्बन्ध में जन जागरूकता बहुत जरूरी होती है। लोगों को बताना होगा कि उत्पादन में लगें कितने संसाधन जैसे— खाद, बीज व पानी बर्बाद होते हैं।
4. कीटनाशकों का प्रयोग कम करने के लिए ऐसे जीन्स वाले पौधे विकसित किए जाए जिनसे कीड़ों को एलर्जी हो।
5. शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में इजराइल तकनीको फुब्बारे सिंचाई विधि एवं टपक बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाई जाए जिससे 45–50 प्रतिशत जल की बचत होगी।
6. कृषि उत्पादन से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान कॉल सेन्टर सभी राज्यों में होनी चाहिये, इस सेवा के तहत किसान अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं जिनका समाधान 24 घण्टे के अन्दर कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा। जैसे डी डी किसान चैनल, नई दिल्ली टोल फ्री नं० 1800–113060 वर्ष 2015 से शुरू कृषक अपने घर बैठे इस चैनल से वैज्ञानिक से सीधी वार्ता करते हैं।
7. सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ सभी फसलों को मिलना चाहिये जिससे किसान जोखिम की अवस्था में आत्महत्या करने से बच सके।



8. किसानों को संघन फसल प्रणाली के अन्तर्गत भूमि का नियमित रूप से परीक्षण कराते रहना चाहिये, मृदा में जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाए उनकी आपूर्ति रासायनिक उर्वरकों वर्मीकम्पोस्ट, गोबर की खाद, जैविक उर्वरकों आदि को देकर कर सकते हैं।
9. वर्षाधीन खेती की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कम से कम मृदा नमी से अधिक से अधिक उपज ले सकने वाली प्रजातियों का विकास किया जाय।
10. वर्षा के पानी के बेहतर संरक्षण उपायों से भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण तथा सतही जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं में निवेश में वृद्धि की जाय।
11. सूक्ष्म सिंचाई टपक सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई को बढ़ावा दिया जाय।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली की पूर्ति की जाय।
13. कृषि विपणन में बिचौलियों की भूमिका को कम से कम उपयोग होने दिया जाय।
14. शीघ्र नाशवान वस्तुओं के मण्डारण की उचित व्यवस्था की जाय।
15. खेती बाड़ी के स्वरूप को जीवनयापन का एक अंग के स्थान पर इसे व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाय।
16. कृषि को लाभकारी व्यवसाय में रूपान्तरित करके खेतिहर पारिवारों के युवाओं को उन्नत एवं लाभकारी खेती को एक सम्मान जनक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाय।
17. स्थानीय हाटों/बजारों का आधुनिकीकरण करना ताकि कृषक (उत्पादक) एवं उपभोक्ता आमने-सामने आ सकें।
18. फसल बीमा योजना का विस्तार बागवानी तथा वाणिज्यिक फसलों तक करना।
19. यह सुनिश्चित करना कि मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 का क्रियान्वयन सभी राज्यों में किया जाय। अन्यथा घाटे की खेती से आजिज आकर किसानों को अपनी अगली पीढ़ी को खेती की ओर जे जाना नामुमकिन हो जायेगा।

## संदर्भ

1. भारत का उद्योग व्यापार पत्रिका,
2. योजना पत्रिका।
3. कृषि समीक्षा
4. दैनिक जागरण सम्पादकी आदि



## वेदकालीन चिकित्सा ज्ञान : एक अध्ययन

डॉ० नीतू सिंह\*

मनुष्य को अपने वैयक्तिक, कौटुम्बिक और सामाजिक कर्तव्य-कर्मों को भलीभांति पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ, सबल और नीरोग रहे। किसी कारण वश उसे शारीरिक दुर्बलता हो या कोई रोग हो तो उसकी चिकित्सा करके उसे दूर किया जाए। इसके लिए विभिन्न रोगों तथा उसे दूर करने वाली औषधियों का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे व्यक्ति यदि संभव हो तो स्वयं अपनी चिकित्सा कर उसके अथवा चिकित्सक द्वारा चिकित्सा करा सके। वेद में सृष्टि के आरम्भ में ही इस शास्त्र विषयक आवश्यक ज्ञान का उपदेश दे दिया गया था। अथर्ववेद के दशवें काण्ड का दूसरा सूक्त 33 मंत्रों का एक लम्बा सूक्त है। इस सूक्त में प्रश्नात्मक शैली में मनुष्य के सिर से लेकर पैरों तक शरीर के मुख्य-मुख्य अंगों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में प्रथम काण्ड से लेकर नवम काण्ड तक विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन तथा रोग निवारण का उपाय बताया गया है।

### (1) हृदय रोग और कामला रोग की चिकित्सा:

अथर्ववेद में 1.22.1<sup>1</sup> में कहा गया है कि सूर्य की किरणों के सेवन से हृदय के रोग और उनसे जनित हृदय की पीड़ा भी शान्त हो जाती है तथा सूर्य की लाल किरणों के सेवन से पीलिया रोग भी दूर हो सकता है। इस मन्त्र में सूर्य किरण के लिए गौ शब्द का प्रयोग किया गया है। सूर्य किरण से पाण्डु रोग का नाश तो होता ही है साथ ही साथ लाल गौ का दुग्ध-पान भी इस रोग निवारण में सहायक होता है। सूर्य किरणों से रोगों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक रोग के अनुसार भिन्न-भिन्न रंग वाली बोतलों में शुद्ध जल भर कर उसे सूर्य की धूप में रख देते हैं। फिर रोग के अनुसार उन बोतलों का पानी रोगी को पिलाया जाता है। कामला (पीलिया) रोग वाले व्यक्ति को प्रातः और सायं लाल किरणों का सेवन करना चाहिए तथा लाल रंग के बोतल में पानी भर कर उसे सूर्य की धूप में तपाकर चिकित्सक के परामर्शानुसार उस जल का सेवन करना चाहिए। अथर्ववेद 1.22.3 में हृद्योत और हरिमा दो रोगों का वर्णन किया गया है। उनकी चिकित्सा के लिए सूर्य की रक्तवर्ण की किरणों के प्रयोग का और कुछ औषधि वर्ग का भी उपदेश है जिनमें गो, रोहित, रोहिणी, सुक या शुक्र 'असि० प्रोफेसर', संस्कृत विभाग, रणवीर रणजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी, (उ०प्र०)

रोपणाका, हारिद्रव ये चिकित्सा कारक ओषधि व उपायों के वाचक हैं। पाँच प्रकार का हृदय रोग होता है— वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमिज। इनके भिन्न-भिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार पाण्डु रोग का विकृत रूप हलीमक है। उसके शरीर हरा, नीला, पीला हो जाता है। उसमें सिर में चक्कर, प्यास, निद्रा नाश अजीर्ण और ज्वर आदि रोग अधिक हो जाते हैं। इनकी चिकित्सा में रोहिणी, हारिद्रव और गोक्षीर का प्रयोग किया जाता है।

## (2) कुष्ठ और पलित चिकित्सा:

अथर्ववेद के 1.23.4 में किलास नामक कोढ़ और पलित नामक रोग का वर्णन व रोग निवारण का उपाय बताया गया है। इस सूक्त में नक्त, रामा, कृष्णा, असिन्की और ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया है जो ओषधि वाचक हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि हड्डियों में उत्पन्न होने वाले और त्वचा व अस्थि के बीच मांस में उत्पन्न होने वाले किलास नामक कुष्ठ को और जो कुष्ठ रोग जो त्वचा में उत्पन्न हो गया है तथा शरीर के रक्तादि में विकार उत्पन्न करने वाले दूषी विषद्वारा उत्पन्न हुए कुष्ठ रोग को और शरीर की शोभा के नाशक कलंक रूप श्वेत कुष्ठ को भी मैं उत्तम वैद्य 'ब्रह्मा' नामक ओषधि से दूर करता हूँ।<sup>2</sup>

नक्तं जातस्योषधे रामे कृष्णे असिन्क च।

इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्॥ 1.23.1॥

इस सूक्त में 'नक्तं' नाम से कलिकारी, गुग्गुलु, उल्लूक, प्रसहा, करंज, फंजी या भांगी इन ओषधियों से ग्रहण होता है।

इनके गुण इस प्रकार हैं—

1. कलिकारी—कफ और वात का नाशक सोज, शल्य व्रण का नाशक।
2. गुग्गुलु—व्रण, प्रमेह और शोफ का नाशक,
3. उल्लू पक्षी के मांसादि विसर्प कुष्ठ के नाशक है,
4. प्रसहा वर्ग में काक, गीध, उल्लू, चील आदि पक्षिगण,
5. करंज व्रण प्लीहा, कृमिनाशक और सब त्वचा के दोषों को दूर करता है।
6. फंजी या भांगी या ब्रह्मसुवर्चला—शोफ, व्रण, कृमि का नाश करती है। इसका दूसरा नाम ब्राह्मण यष्टि भी है।

अथर्ववेद के 1.24.2 में बताया गया है कि 'आसुरी' नामक ओषधि सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा किलास नामक कुष्ठ रोग की चिकित्सा की जाती है और त्वचा को सर्वत्र शरीर पर एक समान कान्ति वाली बना देती है।<sup>3</sup> सुपर्ण, आसुरी सरूपा और श्यामा ये शब्द ओषधियों के वाचक हैं। सुपर्ण—सप्तपर्णी है, वह गुल्म, कृमि, कुष्ठ का नाशक है। आसुरी—राई, लाल सरसों, यह कृमि वर्ण का नाशक है। सरूपा या सुरूपा शब्द से पित्ता, हल्दी, भांगी, वार्षिकी, शालि, पर्णी और लाक्षा का बोध होता है। लाक्षा अर्थात् लाख कृमिनाशक और व्रणनाशक है। शालिपर्णी शोफ का नाश करती है। वार्षिकी—विष, स्फोट, फुंसियों और कृमि दोष का नाशक है। श्यामा शब्द से गुडूची, कस्तूरी, नील पुनर्नवा नीलिनी, पिप्पली, रोचना, वटपत्री और हरिद्रा इन ओषधियों का बोध होता है।

सांयण ने कौशिक सूत्र के अनुसार भृंगराज, हरिद्रा, इन्द्र वारूणी और नीलिका को पीसकर श्वेत कुष्ठ पर लगान का संकेत दिया है।

## (3) विष चिकित्सा:

अथर्ववेद में विष चिकित्सा का वर्णन किया गया है। “ब्राह्मण” नामक ओषधि है जो विष को समाप्त करता है और दश प्रकार के रोगों को भी नाश करने वाला है।<sup>4</sup> ब्राह्मण कन्द ‘गृटि’ नामक ओषधि है जिसका गुण ‘विष पित्त कफापहा’ लिखा गया है। विश्वक सेना, वाराही, कौमाही, ब्रह्म पत्र, त्रिनेत्रा, अमृत आदि इसके ही नाम हैं। इसके गुण हैं—

वाराही तिक्त कटुका विषपित्त कफापहा।

कुष्ठ मेह कृमिहरा वृष्या बल्या रसायनी।। राज निघण्टु।।

इसके अतिरिक्त सोम नाम से जानी जाने वाली सोमबल्ली, बाकुची ब्राह्मी, गुडूची, रीठा करंज, सौम्या, शठी, भार्गी आदि ओषधियां भी अनेक प्रकार के विष नाशक हैं जिनमें रीठा करंज और बाकुची विशेष रूप से त्वग्दोष, विष, कण्डू और खर्जूर का नाशक है। इसी काण्ड के तीसरे मंत्र में बताया गया है कि जो पुरुष प्रथम से विष को अपना अन्न भाग बना लेता है उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता प्रत्युत विष ही उसका पोषक हो जाता है। ‘अपस्कम्भ’ नामक ओषधि भी विष के प्रभाव को नष्ट करता है। इसका मिल्लतरु, शम्बर और लोध्र आदि नाम हैं। इसका गुण है—

लोध्रः शीतः कषायश्चहन्ति तृष्णामरोचकम्।

विष विध्वंसनः प्रोक्तो रुक्षो ग्राही कफापहः।।

इसी काण्ड के पांचवे मंत्र में बताया गया है कि शल्य पत्र से सेहें के कांटे से विष को दूर किया जा सकता है। पर्णधि नामक वृक्ष के लेप से विष को दूर किया जा सकता है। ‘शृग’ अजशृंगी नामक ओषधि से या कुल्मल नामक पद्म ओषधि से विष को नष्ट किया जाता है।<sup>5</sup>

‘वरणा’ नामक ओषधि से भी विष को दूर किया जाता है। धन्वतरि राज निघण्टु के अनुसार पाठा, वन्ध्या, कर्कोटकी, विडंग, हरिद्रा, काकमाची और इसके दो भेद काकजंघा, चूड़ामणि तथा अरणी ये ओषधियां ‘वरा’ के अन्तर्गत आती हैं। इन्होंने ‘वरणा’ को ही ‘वरा’ ओषधि माना है। इन ओषधियों के अंश से युक्त जल द्वारा विष को नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को भी ‘वरा’ कहते हैं। मिट्टी के प्रलेप से भी सर्प, वृश्चिक, ततैया आदि के विष को दूर किया जाता है। अथर्ववेद में लिखा गया है कि कुदाल से खोदी गयी ओषधि ‘प्रक्री’ है। ‘प्रक्री’ के प्रयोग से विषार्त रोगी मुर्छा को प्राप्त नहीं होता है।<sup>6</sup> धन्वन्तरि राजनिघण्टु में ‘प्रक्री’ ओषधि के लिए ‘प्रक्रीर्य’ नाम आया है, जिसके पांच भेद हैं— करंज, उदकीर्य, अंगार बल्ली, गुच्छकरंज, रीठा करंज। ये भी विषनाशक, कृष्ठ, कण्डू और स्फोट तथा त्वचादोष के नाशक बतलाये गये हैं।

#### (4) गण्डमाला की चिकित्सा:

अथर्ववेद के सप्तम काण्ड में बताया गया है कि “लालवर्ण” की गण्डमाला के फोड़ों की जननी कृष्ण व नीले रंग की नाड़िया होती है उन सबको प्रकाशमान मुनि, तेजस्वी अग्नि के प्रतिष्ठा स्थान, आग्नेय तत्व तीव्र जनन पैदा करने वाले पदार्थ से बँधता हूँ।<sup>7</sup> कौशिक सूत्र में गण्डमाला की चिकित्सा इस प्रकार बताई गयी है— 1. तीखी शलाका (शर) से गण्डमाला के फोड़े को फोड़कर उसका रक्त निकालना। 2. प्रातः काल गरम जल से धोना। 3. काली ऊन को जलाकर उसको घी में मिलाकर मलहम बनाकर लगाना। 4. कृत्ते से चटाना, 5. गले पर से गन्दा खून निकालनेके लिए गोह या जोंक लगाना। 6. सेंधा नमक पीस कर उनपर छिड़क कर मिट्टी लगाकर मलना। 7. तांत से गण्डमाला के मस्सों को बांधना।

अथर्ववेद के— 7.74.1 में कहा गया है कि 'गण्डमालाओं' में सबसे पहले 'अपची' को तेज शलाका से या नस्तर से बंधता हूँ और जो मध्य में है से भी छेदता हूँ। इनमें से सबसे निकृष्ट कोटि की अपची को भी फुन्सी के समान काट डालता हूँ।<sup>8</sup> दोष की अधिकता, समता और न्यूनता से अपची के तीन भेद हैं। 1. जिसमें अधिक मवाद हो, 2. जिसमें कम, 3. जिसमें बहुत सामान्य। तीनों की उत्तम रीति से चिकित्सा की जानी चाहिए।

### जल का ओषध रूप में प्रयोग:

वेद में अनेक स्थानों पर आपः शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ जल होता है। अथर्ववेद के 1.4 सूक्त में कहा गया है कि जलों में अमृत का निवास है। जिस प्रकार अमृत शारीरिक, मानसिक रोगों को दूर करके निरोगता, स्वास्थ्य, दीर्घायु व शक्ति प्रदान करता है उसी प्रकार शुद्ध जल के प्रयोग से रोगों में बल (ऊर्जा) की उत्पत्ति होती है। आंखों में सुन्दर ज्योति की प्राप्ति होती है जल रोगों को दूर करके मयः अर्थात् सुख-शान्ति उत्पन्न करते हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि "जलों में रोगशामक अग्नि के संयोग से सब प्रकार की ओषधियों का निवास रहता है।" शीतल जल व गरम जल के प्रयोग द्वारा कुशल चिकित्सक सभी प्रकार के रोगों को दूर कर सकता है।<sup>9</sup> अथर्ववेद में 6.24 में जलों को चिकित्सों से भी बड़ा चिकित्सक बताया गया है। जल के द्वारा हृदय रोग नेत्र रोग, पैर के तलवे और पंजों के रोगों का निवारण होता है। अथर्ववेद 6.57 सूक्त में कहा गया है कि जल वाण आदि के कट जाने से बने हुए घावों को भरने की शक्ति रखता है। इसी काण्ड (6.9) में बताया गया है कि शुद्ध जल और दीमकों द्वारा बनाये गये बाल्मीकि की गीली मिट्टी के प्रयोग से विषों को दूर किया जा सकता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि जलों के प्रयोग से यक्ष्म (यक्ष्मा) रोग की भी चिकित्सा की जा सकती है।

### विभिन्न रोग निवारक ओषधियों का वर्णन:

अथर्ववेद में अनेक ऐसी ओषधियों का वर्णन किया गया है जिनके प्रयोग से नाना प्रकार के रोगों का निवारण हो सकता है। अथर्ववेद के 10.3.5 में कहा गया है कि वरण नामक ओषधि द्वारा यक्ष्मा रोग, नीद न आने तथा इसके दुःस्वप्न आते रहने की चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है।<sup>10</sup> वरण=वरुण=जीरक इसके तीन भेद हैं— शुक्ल जीरक कृष्ण जीरक और वृहत्पाली। जिनमें वृहत्पाली जीर्ण ज्वर का भी नाशक है। कृमिघ्न तो भी है। वरुण तमाल वृक्ष का भी नाम है वह सुगंध होने से कदाचित् यक्ष्मदोष को भी दूर करने में सहायक होता है। अथर्ववेद के 2.25 में 'प्रश्निपर्णी' ओषधि का वर्णन है। जो रोग शरीर का रक्त पीकर दुर्बल बना देते हैं, शरीर के सौन्दर्य को नष्ट कर देते हैं, स्त्रियों में गर्भ नहीं बनने देते, असमय गर्भ गिर जाना इत्यादि रोगों के उपचार हेतु 'प्रश्निपर्णी' ओषधि का प्रयोग किया जाता है।<sup>11</sup> पृश्निपर्णी को—पृष्टिपर्णी, चित्रपर्णी, श्वपुच्छी, कलशी, धावनी, गुहा, शृगालविन्ना, शृगालपुच्छी, आदि नामों से जाना जाता है। उसके गुण, कटु, उष्ण, अम्ल, तिक्त, अतिशार कास, वाहरोग, ज्वर, उन्माद, ब्रण, वाह इनको नाश करती है। इसी काण्ड के 17वें सूक्त में "अपामार्ग नामक ओषधि का वर्णन प्राप्त होता है। इस ओषधि का प्रयोग अधिक भूख रखने, अधिक प्यास को दूर करने के लिए होता है। साथ ही इस ओषधि के द्वारा इन्द्रियों एवं अन्य अंगों की दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। अथर्ववेद 5.5 सूक्त में सिलाची ओषधि का वर्णन है। सिलाची को ही लाक्षा या लाख कहा जाता है। इस ओषधि का पान करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। लाठी के लगने वाले चोट, वाण लगने वाले घाव को भरने के लिए अचूक ओषधि है। अथर्ववेद 6.43 'दर्भ' नामक ओषधि का वर्णन मिलता है जिसके सेवन से व्यक्ति का क्रोध कम हो जाता है। अथर्ववेद 6.59 सूक्त में अरुणधती ओषधि का वर्णन आता है जिसके द्वारा पुरुषों के कई रोगों को दूर किया जाता है। तथा गौवों में दुग्ध वृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद 6.11 सूक्त में एक ऐसी ओषधि वर्णन है जिसके सेवन से उस स्त्री को पुत्र हो सकता है जिसके पुत्रियों ही होती

है। इसमें लिखा है शमी अर्थात् जंड (जांडी) नामक वृक्ष के ऊपर पीपल का वृक्ष उगा हो तो उस पीपल को ओषधि के रूप में स्त्री को खिलाने से पुत्रोत्पत्ति हो सकती है।<sup>12</sup>

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में ओषधि चिकित्सा प्रारम्भ हो गया था। प्राकृतिक, खनिज, समुद्रज तथा उद्भिज द्रव्यों का ओषधि रूप में प्रयोग होता था। ओषधियों जीवन दायिनी एवं अंग-अंग से रोग का नाश करने वाली कही गयी हैं।

इस प्रकार ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद संहिता तक सभी संहिताओं में चिकित्सा विज्ञान की चर्चा है।

## सन्दर्भ

1. अनुसूर्यमुदयतां हृदद्योतो हरिमा च ते।  
गोरोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्मसि॥ अथर्व0 1.22.1॥
2. अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत् त्वचि।  
दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेत मनीनशम्। अथर्व0 1.23.4॥
3. आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलास भेषजमिदं किलास नाशनम्।  
अनीन शक्तिलासं सरूपा मकरत् त्वचम्॥ अथर्व0 1.24.2॥
4. ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः।  
स सोमं प्रथमः पर्पो स चकारारसं विषम्॥ अथर्व0 4.6.11॥
5. शल्याद विषं निरवोचं प्रांजनादुत पर्णधेः।  
अपाष्ठाच्छृगात् कुल मलान्नि वोचमहं विषम्॥ अथर्व0 4.6.5॥
6. पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणम दूर्शेभिरजिनैरुत।  
प्रकीरसी त्वमोषधेभिरवाते न रुरूपः॥ अथर्व0 4.7.6॥
7. अपिचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम।  
मुर्नदेवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम्॥ अथर्व0 7.74.1॥
8. विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम्।  
इदं जघन्यामासामाच्छिनदिमन स्तुकामिव॥ अथर्व0 7.74.2॥
9. अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा।  
अग्नि च विश्व शम्भवम्॥ अथर्व0 1.6.2॥
10. वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः।  
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन्॥ अथर्व0 10.3.5॥
11. अशयमसृक्पावानं यश्च स्फाति जिहीर्षति।  
गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च॥ अथर्व0 2.25.3॥
12. शमीमंशवत्थ आरुढस्तत्र वै पुंसवनं कृतम्।  
तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीष्वा भरामसि॥ अथर्व0 5.11.1॥



## नगरीय परिवारों के बदलते हुए प्रतिमान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० राम समुझ सिंह

समाजशास्त्रीय रूप में नगरों में विषमता, अवैयक्तिकता और जीवन की गुणवत्ता पर केन्द्रित रहता है। ग्रामीण समुदाय वह है जिसमें सामाजिक बंधन, कुटुंब और मित्रता के निकट के व्यक्तिगत बंधनों पर आधारित होते हैं और परम्परा, सामंजस्य और अनौपचारिकता पर बल दिया जाता है जबकि नगरीय समाज में अवैयक्तिकता और द्वितीयक सम्बन्ध प्रधान होते हैं, और व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान औपचारिक, अनुबंधित और विशेष कार्य या नौकरी जो वे करते हैं पर आधारित होता है। समाज एक निरंतर परिवर्तनशील तथ्य है और नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक। नगरीय व्यवस्था ने पारिवारिक ढांचे के साथ परिवार के सदस्यों के बीच सम्बन्धों एवं कार्यों को भी प्रभावित किया है। आई०पी० देसाई, कपाडिया और रांस जैसे विद्वानों के अनुसार शहरी संयुक्त परिवार धीरे-धीरे एकाकी परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, रिश्तेदारी के सम्बन्ध केवल दो या तीन पीढ़ी तक सीमित हो गये हैं। थियोडॉर्सन के अनुसार, यह वह समुदाय है जिसकी जनसंख्या की सघनता बहुत है, जहाँ गैरकृषक व्यवसायों की सर्वाधिकता है, एक ऊँचे स्तर की विशेषज्ञता है जिसके फलस्वरूप श्रमविभाजन जटिल हो जाता है और स्थानीय शासन की औपचारिक ढंग से व्यवस्था होती है, उसकी विशेषताओं में द्वितीयक सम्बन्ध प्रचलित होते हैं और औपचारिक सामाजिक नियंत्रणों पर निर्भरता रहती है।

नगरीय जीवन मानवीय औद्योगिक व्यवस्था का संकूल है। इस संकूल में अनेकानेक आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। इन क्रियाओं में व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार के प्राथमिक संबंधों की व्यवस्था नहीं होती। नगरीय व्यक्ति किसी में विशेषीकरण और निपुणता प्राप्त कर लेने के बाद सरलता से उसे त्यागता नहीं है। मॉमफोर्ड ने लिखा कि नगरों की उत्पत्ति ग्रामों से हुई, बड़े ग्रामों ने ही कालांतर में नगरों का रूप धारण कर लिया, नगर ग्राम में ही निहित थे, उनके विचार अनुसार ग्राम और नगर की उत्पत्ति दो स्तरों की संस्कृतियों के मिश्रण से हुई। यहां व्यक्ति रोज नए लोगों से मिलता और संबंध जोड़ता है एवं पुराने लोगों को भूल जाता है इसलिए उसे अधिक लोगों से संबंध रखना पड़ता है, यहां संबंध प्राथमिक नहीं द्वितीयक होते हैं।

नगरीय केंद्रों में अधिक जनसंख्या होती है तथा सामाजिक विभिन्नता और सजातीयता अधिक होती है और एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोंडा, उ०प्र०।

जातीयता सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक क्रियाओं की मात्रा अधिक होती है। नगर के लोग उच्च शिक्षित, विभिन्न व्यवसायों, संरचनाओं, व्यापारिक अर्थव्यवस्था, संचार साधनों, सामाजिक गतिशीलता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के संपर्क में आते हैं। नगरीय परिवार में व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता का विकास करता है। स्वावलंबन का पार्ट वन नगरीय परिवार की पाठशाला में बैठकर पढ़ता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्रता का पर्यावरण उसे नगरीय परिवार में मिलता है। नगरीय परिवार के लिए नातेदारी का अधिक महत्व नहीं होता अतः प्रस्तुत अध्ययन का मूल उद्देश्य नगरीय परिवारों में बदलते हुए प्रतिमान के स्वरूप का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए गोंडा नगर के नगरीय परिवारों को अध्ययन में शामिल किया है।

विलियम गूडे ने परिवार में होने वाले परिवर्तनों को 5 आधारों पर देखा—

- 1— विस्तृत परिवार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है
- 2— अरेंज मैरिज में कमी या प्रेम विवाह में वृद्धि
- 3— विवाह के आर्थिक पक्ष के महत्व में कमी हो रही है लेकिन भारत इसका अपवाद है कि विकास के बावजूद यहां विवाह का आर्थिक महत्व बढ़ता जा रहा है। बधू-मूल्य और दहेज प्रथा में वृद्धि हो रही है
- 4— संबंधियों के बीच विवाह की घटना में कमी हो रही है
- 5— माता पिता का बच्चों के ऊपर तथा पति का पत्नी के ऊपर नियंत्रण में कमी हो रही है। स्त्री – पुरुष में समानता बढ़ रही है।

#### शोध प्रारूप एवं अध्ययन विधि :-

समाज के एक आधार संस्था के रूप में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सामाजिक संगठन की एक इकाई मान सकते हैं। यह व्यक्ति के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। यह जैविक से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करता है। नगरों में पुरानी परंपरा के अनुसार परिवार का अस्तित्व पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि आधुनिक समय में मौलिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है।

समाज के एक आधार संस्था के रूप में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सामाजिक संगठन की एक इकाई मान सकते हैं। यह व्यक्ति के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। यह जैविक से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करता है। नगरों में पुरानी परंपरा के अनुसार परिवार का अस्तित्व पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि आधुनिक समय में मौलिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है

परिवार एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो अपने समाज के सहस्रों वर्षों और संचित परंपराओं और आदर्शों को उसमें विभिन्न रीति-रिवाजों को विधिवत आत्मसात कर चुका है। परिवार के भीतर ही प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय परिस्थितियों का मिलन जीवन के प्रारंभिक वर्षों में व्यक्ति के विकास की गति और दिशा प्रदान करता है।

स्वाभाविक रूप से नगरीय परिवारों में प्रक्रिया के फलस्वरूप अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य लक्ष्य नगरीय समाज में परिवारों के बदलते हुए प्रतिमान का अध्ययन करना है। वर्तमान अध्ययन का मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना है कि नगरीय परिवारों के पारिवारिक स्वरूप, स्त्री पुरुष संबंधों की गतिविधियां, पारिवारिक गतिशीलता एवं परंपरागत रूप से व्याप्त सामाजिक मूल्यों में कहां तक परिवर्तन हो रहे हैं।

आंकड़ों के एकत्रित करने की विधियां :



विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है एवं एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण कर सूचनायें एकत्रित की गयी हैं ।

**समग्र एवं निदर्शन:**

प्रस्तुत अध्ययन का

मुख्य उद्देश्य नगरी परिवारों के बदलते स्वरूप का पता लगाना है । प्रस्तुत अध्ययन में 250 परिवारों को लिया गया है ।

**उत्तरदाताओं की शिक्षा:** शिक्षा समाज का मूल आधार है ८ जहां यह समाज को आधुनिक, आर्थिक प्रबन्धात्मक, वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर शिक्षा प्रदान करती है, वही वह व्यक्ति को पद और स्थिति, उसकी कार्यात्मक उपयोगिता, अभिजात वर्ग में प्रवेश पाने की क्षमता तथा अपने आसपास सामाजिक— राजनीतिक वास्तविकता को समझने की वास्तविकता प्रदान करता है।

**सारिणी सं० 1: उत्तरदाताओं की शिक्षा :**

शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
प्रोफेशनल डिग्री	65	26
बी०ए०		22
बी०एस०सी०	60	24
इंटरमीडिएट	25	10
हाईस्कूल	20	8
मिडिल	15	6
प्राइमरी	05	2
अशिक्षित	05	2
योग	250	100.0

सारिणी संख्या 01 से प्राप्त तथ्यों के अनुसार 26 प्रतिशत उत्तरदाता प्रोफेशनल डिग्री, 22 प्रतिशत बी०ए०, 24 प्रतिशत बी०एस—सी० , 10 प्रतिशत इंटरमीडिएट, 8 प्रतिशत हाईस्कूल तथा 6, 2 प्रतिशत क्रमशः मिडिल एवं प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त किये हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश उत्तरदाता प्रोफेशनल डिग्री लेने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं ।

**सारिणी सं० 2 : व्यावसायिक पृष्ठभूमि :**

व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
छुकान	20	8
कृषि	125	50
श्रोजगार	35	14
नौकरी	70	28
योग	250	100.0

सारिणी संख्या 02 प्राप्त तथ्यों के अनुसार 8 प्रतिशत उत्तरदाता दुकान, 50 प्रतिशत कृषि, 14 प्रतिशत रोजगार एवं 28 प्रतिशत नौकरी द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

### सारिणी सं० 3 : मकान स्वामित्व:

किसी भी समाज विशेषकर भारतीय ग्राम एवं नगरीय समाज में व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन में मकान एवं भूमि स्वामित्व का विशेष महत्व है। विद्वानों द्वारा इन दोनों कारकों को समाज में व्यक्ति के पद और सामाजिक स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक माना है।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर अध्ययन में लिए गये सभी उत्तरदाता अपने ही मकान में रहते हैं तथा यह भी पूछा गया की आप आधुनिक कालोनी में रहते हैं, पुराने मुहल्ले में या गलियों में, इस सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ की अधिकांश उत्तरदाता पुराने मुहल्ले या गलियों में रहते हैं लेकिन ऐसे उत्तरदाता जिनकी आर्थिक स्थिति (चाहे स्वरोजगार, नौकरी, कृषि से) अच्छी हो चुकी हो ऐसे लोग अब धीरे-धीरे आधुनिक कालोनियों की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। अब वे पुराने मुहल्लों या तंग गलियों से निकलकर आधुनिक कालोनियों में अपना निवास बना रहे हैं।

### सारिणी सं० 4: उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप :

परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
एकाकी	129	51.6
संयुक्त	121	48.4
योग	250	100.00

सारिणी संख्या 4 से प्राप्त तथ्यों के आधार पर 51.6 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार एवं 48.4 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवारों में रहते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोगों की रुचि एकाकी परिवारों की तरफ बढ़ रही है।

### सारिणी सं० 5: स्त्रियों की शिक्षा का स्तर:

शिक्षा का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाईस्कूल	94	37.6
इण्टर	36	14.4
बी०ए० / बी०एस – सी०	81	32.4
जहाँ तक हो सके	39	15.6
योग	250	100.0

उत्तरदाताओं से यह पूछे जाने पर कि स्त्रियों को शिक्षा कहाँ तक दी जानी चाहिए, इस सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अधिकांश का जबाब यह था कि जहाँ तक स्त्रियाँ पढ़ सके, वहाँ तक उनको पढ़ाना चाहिए।

### सारिणी सं० 6: जीवन साथी का चुनाव:

चुनाव	आवृत्ति	प्रतिशत
परिवार द्वारा नियोजित	193	77.2

प्रेम विवाह	44	17.6
पहले से देख सुनकर	13	5.2
अन्तर्जातीय विवाह	00	00
योग	250	100.0

यह पूछने पर कि आपने अपने जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार किया था प्राप्त तथ्यों के अनुसार 77.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं न करके परिवार द्वारा ही किया गया । इस प्रकार यह कहाँ जा सकता है कि नगरीय समाज में भी तीन चौथाई से भी अधिक लोग अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं न करके बल्कि परिवार के ऊपर निर्भर रहते हैं ।

क्लेटन ने पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन को आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को जोड़ा है, उनका कहना है कि जब समाज में आर्थिक व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आश्रित थी तो इस समय विस्तृत परिवार की प्रधानता थी तथा कृषि व्यवस्था के विकास के पूर्व आदिम कालीन समाज प्रमुख रूप से मूल परिवार की प्रधानता थी लेकिन जैसे-जैसे समाज अपने कृषि यंत्र से औद्योगिक स्तर की ओर बढ़ता गया मूल परिवार के प्रमुख था फिर से बढ़ने लगे ।

पारिवारिक समाज में व्याप्त कोशिश की भावना के बावजूद लोगों में भाई बहन चाचा ताऊ बेटा बेटी का रिश्ता जोड़ कर बात की जाती थी परस्पर सहयोग पाया जाता था शादी विवाह में लोग मिलकर सभी कार्य करते थे जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार मिलकर मिलजुल कर ही हो जाते थे । आधुनिकता ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है और हर सेवा पैसा देकर के दी जाती है और आज सारे संस्कार खरीदे जा रहे हैं ।

## संदर्भ

1. यादव, राम जी, 'सामाजिक समस्याएं', अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009, पृ० 217 ।
2. यादव, राम जी, उपरोक्त, पृ० 219
2. Goode, William World revolution and family patterns, New York, Free Press, 1963.
3. Clayton, Richard R The Family, Marriage and Social Change, Lexington, Mass, 1979.





***Dr. Rishikesh Singh***

*Editor in Chief*

**INDIAN JOURNAL OF SOCIAL  
SCIENCES & SOCIETIES**

**Publisher**

**FLASH PUBLICATION**

Basant Bihar, Janaki Nagar Colony, Bahraich Road, Gonda (U.P.)

Mob. 9415458974